शुक्रवार
27 अप्रैल 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १——प्रश्नोत्तर)

खण्ड ३, १९५६

(१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ४१ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खण्ड ३, अंक ४१ से अंक ६०—१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६]

अंक ४१—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०४, १५०५, १५०७ से १५१५, १५१८, १५१९, १५२१, १५२३, १५२४, १५२८, १५३० और १५३२ से १५३८ ... १५०८–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०६, १५१६, १५१७, १५२०, १५२२, १५२५ से १५२७, १५२९ और १५३९ से १५४३ ... १५३०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७० से ११२६ ... १५३४–५३

दैनिक संक्षेपिका ... १५५४–५६

अंक ४२—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४४ से १५४६, १५४८ से १५५१, १५५३, १५५६, १५५७, १५५९ से १५६३, १५६५, १५६६, १५६९, १५७१ से १५७४ और १५७७ ... ... १५५७–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४७, १५५२, १५५४, १५५५, १५५८, १५६४, १५६७, १५६८, १५७०, १५७५, १५७६ और १५७८ से १५८१ ... १५७६–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११६८ और ११७० से ११९८ १५८०–१६०५

दनिक संक्षेपिका ... १६०६–०९

अंक ४३—शुक्रवार, २० अप्रेल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८२ से १५८४, १५८६, १५८९, १५९३, १५९५ से १५९७, १६००, १६०१, १६०३ से १६०७, १६०९, १६१०, और १६१२ से १६१५ ... १६१०–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८५, १५८७, १५८८, १५९१, १५९२, १५९४, १५९८, १५९९, १६०२, १६०८ और १६१६ ... ... १६३२–३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२५० और १२५२ से १२६४ ... १६३५–५९

दैनिक संक्षेपिका ... १६६०–६२

अंक ४४—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६१७ से १६१९, १६२१, १६२३, १६२४, १६२७ से १६३०, १६३२ से १६३९, १६४१, १६४२, १६४४, १६४५, १६२६ और १६३१ ... ... १६६३–८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९५, १४१५, १६२०, १६२२, १६२५ और १६४० १६८४–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२९७ और १२९९ से १३०८ १६८६–१७००

दैनिक संक्षपिका ... १७०१–०३

अंक ४५—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७०४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६४६ से १६४९, १६५२, १६५४ से १६५९, १६६२, १६६३, १६७२, १६६५ से १६६८, १६७०, १६७३, १६७५, १६७८, १६७९, १६६०, १६६४ और १६५१... ... १७०४–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६५०, १६५३, १६६१, १६६९, १६७१, १६७४, १६७६, १६७७ और १६८० ... १७२६–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०९ १३५२ और १३५४ से १३६९ ... १७२९–५१

दैनिक संक्षेपिका ... १७५२–५४

अंक ४६—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८१ से १६८३, १६८९, १६९०, १६९५, १६९७, १७०१, १७०२, १७०४, १७०६, १७०८, १७०९, १७११, १७१३ से १७१५, १७१७, १६८७ और १६९१ ... १७५५–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४ से १६८६, १६८८, १६९२ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७००, १७०३, १७०५, १७०७, १७१०, १७१२ और १७१६ १७७४–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७० से १४१०, १४१२ से १४१८, १४२० से १४२३ और १४२५ से १४३५ ... ... १७७९–१८०१

दैनिक संक्षेपिका ... १८०२–०४

अंक ४७—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७१८ से १७२२, १७२४, १७२७, १७३० से १७३२, १७३४, १७३६ से १७३९, १७४१, १७४३, १७२३, १७२५ और १७२६ १८०५–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७२९, १७३३, १७३५, १७४० और १७४२ १८२६–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १४३६ से १४६२ और १४६४ से १४९३ १८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका १८४७–४९

अंक ४८—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४५ से १७४८, १७५२ से १७६०, १७६३, १७६५, १७६७ से १७७०, १७७२, १७४४ और १७६६ ... १८५०–७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ... १८७०–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४९ से १७५१, १७६१, १७६२, १७६४ और १७७१ १८७२–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९४ से १४९७ और १४९९ से १५२१ ... १८७४–८३

दैनिक संक्षेपिका ... १८८४–८५

अंक ४९—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७४, १७७६, १७७९, १७८१ से १७७९, १७९१ से १७९३, १७९५, १७९७ से १७९९, १८०१ और १८०२ १८८६–१९०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७५, १७७७, १७७८, १७८०, १७९०, १७९६, १८०३ और १८०४ ... ... १९०७–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२३ से १५३९ और १५४१ से १५६२ ... १९०९–२३

दैनिक संक्षेपिका ... १९२४–२६

अंक ५०—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०६ से १८११, १८१३, से १८१६, १८२० से १८२४, १८२६ से १८३०, १८३२ और १८३३ ... ... १९२७–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०५, १८१२, १८१७ से १८१९, १८२५ और १८३१ १९४७–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ और १५७७ से १६०७ ... १९४९–६२

दैनिक संक्षेपिका १९६३–६५

अंक ५१—मंगलवार, १ मई, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३४, १८३६, १८३९, १८४५, १८४७, १८४८, १८५२ से १८५५, १८५७, १८६१, १८३५, १८४३, १८४४ और १८६२ ... १९६६–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ ... १९८५–८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३८, १८४० से १८४२, १८४६, १८४९ से १८५१, १८५६ और १८५८ से १८६० ... ... १९८७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०८ से १६२६ और १६२८ से १६४१ १९९०–२००१

दैनिक संक्षेपिका ... २००२–०३

अंक ५२—बुधवार, २ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६३, १८६४, १८६६, १८७०, १८७२, १८७३, १८७६ से १८७८, १८८०, १८८२ से १८८४, १८८७, १८८९, १८९२, १८९३ और १८९५ से १८९७ ... ... २००४–२५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५ ... २०२५–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७ से १८६९, १८७१, १८७४, १८७५, १८७९, १८८१, १८८५, १८८६, १८८८, १८९० १८९१ और १८९४ २०२९–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६४२ से १६५४, १६५६ से १६८६ और १६८८ से १७१० ... ... २०३४–५९

दैनिक संक्षेपिका ... २०५६–५५

अंक ५३—गुरुवार, ३ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९९ से १९०२, १९०४ से १९०८, १९१०, १९११, १९१३ और १९१७ से १९२४ ... ... २०६०–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९८, १९०३, १९०९, १९१२, १९१४ और १९१५ २०८०–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७११ से १७५९ ... २०८२–९७

दैनिक संक्षेपिका २०९८–२१३०

अंक ५४—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५, १९२७, १९३०, १९३८, १९४०, १९४२ से १९४६, १९४८, १९४९, १९५३, १९५६, १९५८, १९६०, १९६२, १९६४, १९६६, १९२६, १९६३, १९३१ और १९३७ ... ... २१०१–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२८, १९२९, १९३२, १९३४ से १९३६, १९३९, १९४१, १९४७, १९५० से १९५२, १९५४, १९५५, १९५७, १९५९, १९६१ और १९६५ ... ... २१२१–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९७ ... २१२७–३९

दैनिक संक्षेपिका ... २१४०–४२

अंक ५५––सोमवार, ७ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६७, १९६९, १९७१, १९७२, १९७५, १९७८, १९७९, १९८१, १९८२, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१ से १९९३, १९९५, १९९७, १९९८, २०००, १९६८, १९७०, १९९९, १९८३ और १९८९ २१४३–६५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ २१६६–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७७, १९९६, १९८०, १९८५, १९९०, १९९४ और २००१ से २००३ २१६८–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९८ से १८३६ और १८३८ से १८५० २१७१–८७

दैनिक संक्षेपिका २१८८–९०

अंक ५६––मंगलवार, ८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००४, २००७, २००९, २०१२ से २०१६, २०१८, २०१९, २०२१, २०२२, २०२४, २०२८, २०३० से २०३२ और २०३४ २१९१–२२११

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००५, २००६, २००८, २०१०, २०११, २०१७, २०२०, २०२३, २०२५ से २०२७ से २०२९, २०३३, २०३५ और २०३६ २२११–१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५२ से १८८५ और १८८७ से १८९३ २२१५–२९

दैनिक संक्षेपिका ... २२३०–३२

अंक ५७––बुधवार, ९ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३९, २०४०, २०४२, २०४३, २०४५ से २०५०, २०५२ और २०५६ से २०६० २२३३–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४१, २०४४, २०५१, २०५३ से २०५५ और २०६१ से २०८३ २२५४–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १८९४ से १९२४ और १९२६ से १९३८ ... २२६४–८०

दैनिक संक्षेपिका २२८१–८३

पृष्ठ

अंक ५८—गुरुवार, १० मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८४, २०८५, २०८७, २०९० से २०९२, २०९४, २०९५, २०९८ से २१०२, २१०५ से २१०७, २१०९ और २१११ से २११६ … २२८४–२३०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८६, २०८८, २०८९, २०९६, २०९७, २१०३, २१०४, २१०८, २११० और २११७ से २१२५ … २३०४–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ से १९६४ … २३०९–१८

दैनिक संक्षेपिका … २३१९–२०

अंक ५९—शुक्रवार, ११ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१२८, २१३१, २१३३, २१३७, २१३९, २१४२ से २१४४, २१४९ से २१५१, २१५३, २१५६, २१२६, २१२९, २१४५, २१४६, २१४८, २१५४ और २१५५ … २३२१–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तरांकित प्रश्न संख्या २१२७, २१३२, २१३४ से २१३६, २१३८, २१४०, २१४१, २१४७, २१५२, २१५७ … २३४२–४५

अनारांकित प्रश्न संख्या १९६५ से १९९२ … २३४५–५४

दैनिक संक्षेपिका … २३५५–५६

अंक ६०—सोमवार, १४ मई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण … २३५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१५८ से २१६२, २१६४ से २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७६ और २१७८ से २१८१ … २३५७–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६३, २१७१, २१७४, २१७७ और २१८३ से २१९६ … २३७८–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९३ से २०३१ … २३८३–९६

दैनिक संक्षेपिका … २३९७–९८

M60LSD—190—20-3-58—GIPF

लोक-सभा

शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तीसरे दर्जे के डिब्बे में सोने की जगह

†*१७७३. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री, २५ नवम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे दर्जे में सोने के बर्थों में मझली और ऊपरी बर्थों के बीच जगह में अधिक अंतर रखने के प्रश्न का परीक्षण पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हां ।

(ख) बर्थों की व्यवस्था अधिक आरामदेह बनाने के लिये जगह की फिर व्यवस्था की जा रही है।

†**श्री डाभी** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सोने की जगह वाले डिब्बों में तीन पटे वाले बर्थों के कारण यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है, क्या यह सच है कि सरकार ने बीच वाला बर्थ हटा देने का निश्चय किया है ?

†**श्री अलगेशन** : हमने तीन बर्थों को उसी तरह रखा है किन्तु उनके बीच का अन्तर इतना रखा है कि यात्रियों को अधिक आराम मालूम हो। एक पटा निकाल देने और केवल दो पटे ही रखने के दूसरे प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं। किन्तु तब उससे यह होगा कि सोने के स्थान के लिये यात्रियों को अब थोड़ा अधिक किराया देना होगा ।

†**श्री डाभी** : बीच वाला बर्थ हटाये जाने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

†**श्री अलगेशन** : माननीय सदस्य इससे एक प्रकार से सम्बन्धित हैं। उन्होंने हमारे साथ सवारी डिब्बे का नमूना देखा है। आशा है कि हम शीघ्र ही निर्णय कर सकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बी० के० दास** : अभी-अभी माननीय मंत्री ने बताया कि किराया बढ़ाये जाने की संभावना है किन्तु इस तथ्य को देखते हुए कि प्राक्कलन समिति ने कम किराये की सिफारिश की है, क्या सरकार ने उस विषय पर विचार किया है ?

†**श्री अलगेशन** : शायद माननीय सदस्य ने मेरी बात ठीक-ठीक नहीं समझी । किराया घटाने का सुझाव यथापूर्व स्थिति बनाये रखने के सम्बन्ध में है अर्थात् तीन पंक्तियां रखी जायेंगी और तब किराया घटया जाना चाहिये । मैं प्राक्कलन समिति की सिफारिश का मतलब यही समझता हूं । किन्तु यहां जब हम तीसरी पंक्ति हटा कर केवल दो ही रखेंगे तब स्वाभाविक ही यात्रा का खर्चा बढ़ जायेगा ।

†**श्री सारंगधर दास** : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व दूसरे दर्जे के डिब्बों में एक के ऊपर एक तीन पंक्तियां रखी गयी थीं और उपरी बर्थ के लोगों के लिये वे बहुत असुविधाजनक पायी गयीं क्योंकि उनमें बर्थ के ऊपर ही छत थी, और वह व्यवस्था समाप्त कर दी गयी ? क्या अब भी व्यवस्था उससे भिन्न है जो दूसरे दर्जे में पहले अपनायी गयी थी ?

†**श्री अलगेशन** : माननीय सदस्य दूसरे दर्जे के बारे में कह रहे हैं और मुझे याद नहीं कि दूसरे दर्जे में भी किसी समय तीन पटे थे···(**श्री सारंगधर दास** : वहां थे)·····मेरे कथन में सुधार किया जा सकता है·····किन्तु यह तीसरे दर्जे में सोने के स्थान के बारे में है ।

फसलों का संरक्षण

*१७७४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, १९५५ में आस्ट्रेलिया के एक प्रसिद्ध कीटाणु विशेषज्ञ ने भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने फसलों को विभिन्न कीटों और कृमियों से बचाने के लिये भारतीय कृषि गवेषणा विभाग को कोई सलाह दी थी; और

(ग) यदि हां, तो वह सलाह क्या थी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग). सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३८]**

श्री विभूति मिश्र : इस विवरण को देखने से पता चलता है कि डा० मैफारलेन बर्नेट ने कीड़ों को कैसे हटाया जाये इसके सम्बन्ध में कोई सलाह नहीं दी, लेकिन इसमें लिखा है कि फसलों को पैदा करने और चरागाहों को सुधारने के बारे में उन्होंने बताया कि तांबे और कोबाल्ट के लाभदायक असर से इस दिशा में आस्ट्रेलिया में कुछ प्रगति हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने खासकर कौन सी बातें बतलायीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : सच बात तो यह है कि दूसरे ही काम के लिये आये थे और चलते-चलते उन्होंने कुछ कहा । उन्होंने हमारी कोई स्कीम नहीं देखी थी । जो कुछ उन्होंने कहा उसके बारे में हमारे पास कोई खास इनफार्मेशन नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : इस स्टेटमेंट में लिखा है कि इसके सम्बन्ध में उन्होंने कुछ कहा । मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा । आखिर उन्होंने फसलों और चरागाहों के सम्बन्ध में क्या बतलाया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : वह खेती के बारे में यहां नहीं आये थे । वह तो मैडिकल कानफ्रेंस के सिलसिले में आये थे । उनका ताल्लुक मनुष्य शरीर से था । उन्होंने फसलों और चरागाहों के बारे में क्या

†मूल अंग्रेजी में

कहा इसकी ठीक जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम यह जानते हैं कि जो खास बात उन्होंने कही उससे फायदा हो सकता है और उसके बारे में कुछ जानकारी हमारे पास भी है ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : वाहनाद क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश के संतरा बागान 'डाह-बैक' तथा 'स्टेम बोरर' रोगों से नष्ट हो गये हैं तथा भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने फसल को नष्ट होने से बचाने के लिये कुछ नहीं किया है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस विशेषज्ञ ने, इस रोग को रोकने के लिये सरकार को कोई सलाह दी है यदि हां, तो क्या सलाह दी तथा क्या सरकार इसको लागू करने जा रही है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया कि यह चिकित्सा करते हैं तथा इन्होंने आस्ट्रेलिया में फसलों को बढ़ाने तथा चरागाहों को सुधारने के सम्बन्ध में किये गये कुछ प्रयोगों का वर्णन किया है । वह हमसे कभी नहीं मिले तथा हमने उनसे मिलने का भी कभी प्रयत्न नहीं किया । अतः इस छोटे विवरण के अतिरिक्त, हमारे पास इसके सम्बन्ध में और कोई जानकारी नहीं है ।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि

†*१७७६. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **खाद्य और कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बच्चों तथा माताओं के लाभ पहुंचाने के हेतु दूध का सम्भरण बढ़ाने के लिये संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि तथा संयुक्त राष्ट्र के अन्य विशिष्ट अभिकरणों से डेरी विकास योजनाओं के लिये कितनी सहायता मिल सकती है;

(ख) क्या सम्बन्धित पदाधिकारियों के बीच, कुछ दिन पूर्व कोई बैठक हुई थी; और

(ग) यदि हां , तो इस बैठक में क्या निर्णय किये गये ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) दुग्ध तथा 'टोन्ड' दुग्ध के नगरों में वितरण आदि के लिये तथा फालतू दूध के दूध से बनी हुई चीजों को परिवर्तित करने के लिये प्राविधि विशेषज्ञों की सेवाओं तथा संयंत्रों और मशीनरी के रूप में सहायता प्राप्त है ।

(ख) जी हां ।

(ग) कोई निश्चित निर्णय नहीं किया गया है परन्तु सबकी यह सहमति है कि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की उन योजनाओं को जिनके अन्तर्गत कि माताओं तथा बच्चों आदि को दुग्ध प्रदान किया जाता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन भारत सरकार की दुग्ध परियोजनाओं के साथ मिलाया जाना चाहिये जिससे इन परियोजनाओं को संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से वित्तीय सहायता मिल जाये ।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या डेरी योजना के विकास के लिये इस संस्था को कोई निश्चित सहायता मिल चुकी है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत समय-समय पर कुछ सहायता मिलती रही है । मेरे लिये यह बताना कठिन होगा कि इस विशे कार्य के लिये वास्तव में क्या प्राप्त हुआ है ।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : यह कहा जाता है कि हमारे देश में प्रति पशु से बहुत कम दुग्ध प्राप्ति होती है । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार, अन्य राष्ट्रों के समान, अपने देश में दुग्ध बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : जी हां । इस कार्य के लिये विभिन्न योजनायें हैं तथा इस सम्बन्ध में हमें पर्याप्त विदेशी सहायता भी मिल रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री डी० सी० शर्मा** : भारत सरकार इन डेरी योजनाओं के लाभों की भारत के देहातों के किसानों को जानकारी कराने के लिये क्या प्रयत्न कर रही है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : हमारी कुछ प्रस्तिकायें हैं तथा हम इनको उन्हें बताने का प्रयत्न करते हैं। हम पशु प्रदर्शिनियां करते हैं जहां पशुओं के पालन तथा बढ़ोत्तरी की बातें दिखाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, मैं यह मानने को तैयार हूं कि इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या देश में दुग्ध संभरण बढ़ाने के लिये, देश में चलने वाली सभी गोशालाओं को कोई अनुदान अथवा सहायता दी गई है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : जी हां, हमारे पास देश की गोशालाओं को सहायता देने के बहुत कार्यक्रम हैं।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या धनराशि दी गई है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : मैं ब्योरे यहां नहीं बता सकता, परन्तु यह पर्याप्त तथा उदारता-पूर्वक दिये गये हैं।

†**श्री बी० के० दास** : क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की योजनाओं को लागू करने के लिये, भारत सरकार ने कोई अंशदान दिया है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : सामान्यत: नहीं, सिवाय वितरण तथा परिवहन के प्रासंगिक व्यय के।

भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति

†*१७७९. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति ने अपनी आठवीं वार्षिक सार्वजनिक बैठक में, क्या नवीन योजनायें स्वीकृत की थीं; और

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल में तिलहनों की गवेषणा योजना जो १ नवम्बर, १९५० को प्रारंभ हुई थीं, पूर्ण हो गई हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) नवीन योजनाओं की सूची लोक-सभा पटल पर रख दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३९]**

(ख) जी नहीं। योजना ३१ अक्तूबर, १९५८ को पूर्ण होगी।

†**ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : इन योजनाओं में जम्मू तथा काश्मीर राज्य क्यों सम्मिलित नहीं किया गया था ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : हमने इसे राज्यवार आधार पर स्वीकृत नहीं किया है। हम किसी विशेष योजना की जांच करते हैं तथा मैं माननीय मित्र को आश्वासन देता हूं कि यदि कोई योजना लाभ-दायक होगी, तब परिषद् इसे प्रारंभ करने के लिये तथा इसकी सहायता करने को उत्सुक रहती है।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने 'जी नहीं' कहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि यह इतनी लम्बी अवधि में पूर्ण क्यों नहीं हुई है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : योजना एक निश्चित अवधि के लिये स्वीकृत हुई थी तथा यह ३१ अक्तूबर, १९५८ को समाप्त होनी है। लम्बी अवधि इस कारण है क्योंकि उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : अन्य योजनाओं में कितनी प्रगति हुई है तथा ये कब तक पूर्ण होंगी ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : प्रत्येक योजना की एक निश्चित अवधि होती है तथा यदि यह पाया जाता है कि अवधि बढ़ाई जाये तो परिषद् और अधिक वृद्धि तथा अनुदान स्वीकार कर देती है । मेरे लिये, माननीय सदस्य को यह बताना कठिन है कि कितनी समाप्त हो चुकी हैं; परन्तु इसके लिये निश्चित विधियां हैं ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

†*१७८१. **श्री गिडवानी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह निश्चय किया है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उच्च नियुक्तियां सरकार के अनुमोदन से की जायेंगी; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्णय के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां । न्यूनतम १,००० रुपये प्रति मास तथा इससे अधिक की वेतन वाली नियुक्तियां निगम सरकार के पूर्व अनुमोदन से करेगा ।

(ख) एयर कारपोरेशन अधिनियम १९५३ की धारा ४४ (२) (क) के अधीन सरकार ऐसे नियम बनायेगी जो पदाधिकारियों की सेवा की उन शर्तों तथा निबन्धनों का उपबन्ध रखे जो इस अधिनियम की धारा ८ (१) में निश्चित है । धारा ४४ (२) (क) के अधीन नियम बनने तक, निगमों को आदेश दिये गये हैं कि वह न्यूनतम १,००० रुपये प्रति मास तथा इससे अधिक की वेतन वाली नियुक्तियाँ करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करें ।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह सच नहीं है कि कुछ दिन पूर्व पदों को विज्ञापित किये बिना ही, उच्च वेतन क्रम की कुछ नियुक्तियां की गई हैं, तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री आबिद अली** : यदि माननीय सदस्य पद के विवरण बतायें तो मैं जानकारी प्राप्त कर सकता हूं ?

†**श्री जी० एस० सिंह** : क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा नियुक्त विमान चालक ठेके पर नियुक्त होते हैं कि उनकी सेवायें एक मास की पूर्व सूचना के आधार पर समाप्त हो सकती हैं तथा यदि हां, तो क्या पद विमान चालक का साहस कम हो जाने का कारण है ?

†**श्री आबिद अली** : यह एक अलग प्रश्न है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार का विचार एक समिति अथवा बोर्ड नियुक्त करने का है जो विमान सेवा के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उसी नवीन नियुक्तियों का पुनरीक्षण करे ?

†**श्री आबिद अली** : इस प्रकार का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री पी० सी० बोस** : क्या १,००० रुपये से अधिक वेतन क्रम के पदाधिकारियों की सरकार के अनुमोदन से नियुक्ति की नीति का, अन्य निगमों, जैसे दामोदर घाटी तथा उर्वरक निगम, में भी पालन होता है ?

†**श्री आबिद अली** : दामोदर घाटी तथा उर्वरक निगम से सम्बन्धित प्रश्न उत्पादन मंत्रालय से करना चाहिये ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : क्या १,००० रुपये से अधिक वेतन वाले इन पदों पर उन लोगों को भी लिया जा सकता है जिन्हें अन्य सरकारी विभागों से लेकर प्रतिनियुक्त किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : जी हां ।

†**श्री सारंगधर दास** : क्या मैं यह समझूं कि यद्यपि एयर कारपोरेशन एक्ट को पारित हुए तीन वर्ष हो चुके हैं, तब भी नियम नहीं बनाये गये हैं तथा यदि हां, तो इस विलम्ब के कारण क्या हैं ?

†**श्री आबिद अली** : मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार को एयरलाइन्स कारपोरेशन के पुराने कर्मचारियों की वरिष्ठता निश्चित करने के सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं क्या यदि हां, तो क्या सरकार एक समिति नियुक्त करने का विचार कर रही है जो इन मामलों का पुनरीक्षण करे जिससे इनके साथ न्याय किया जा सके ?

†**श्री आबिद अली** : कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं परन्तु इनकी जांच की जा चुकी है तथा उपयुक्त निर्णय किये जा चुके हैं । इस सम्बन्ध में समिति नियुक्त करने का कोई मामला नहीं है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा भरती के प्रक्रिया नियमों को सभा पटल पर रखेगी ?

†**श्री आबिद अली** : नियम अभी नहीं बने हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी नियम नहीं बने हैं ।

†**श्री गिडवानी** : वह कब बनेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा विचार है माननीय मंत्री कोई आश्वासन नहीं दे सकते हैं ।

मार्ग-निर्माण

†*१७८२. **श्री रामकृष्ण** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़क कूटने के इंजनों और सड़क निर्माण की अन्य सज्जा सामग्री की कमी के कारण सड़क निर्माण के कार्य की बहुत हद तक क्षति हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं । फिर भी थोड़े से राज्यों में सड़क निर्माण का कार्य कुछ हद तक सड़क कूटने के इंजनों और अन्य सज्जा सामग्री की कमी के कारण नहीं हो पा रहा है ।

(ख) हाल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये सड़क कूटने के इंजनों के आयात की अनुमति दी जा रही है और भारत में सड़क कूटने के इंजनों और सड़क बनाने की सामग्री की अन्य चीजों के निर्माण के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

श्री रामकृष्ण : क्या भारतवर्ष में भी ऐसी कोई फैक्टरी बनाने की तजवीज है ? अगर है, तो कहां है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : अभी कामर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री (वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय) ने कलकत्ते में एक फैक्टरी को इसके बनाने के लिये लाइसेंस दिया है ।

†**श्री ए० एम० थामस** : प्रश्न के भाग (क) का उत्तर "नहीं" था । क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इन इंजनों की कमी के कारण नगरपालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों द्वारा प्रारंभ किये गये कार्य रुक गये हैं और क्या सरकार इस मामले में कुछ करने का इरादा रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : मैं नहीं जानता कि उनका मतलब किस राज्य से है। संभवतः उनका मतलब अपने ही राज्य से है। मेरे पास उसके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। हां, मेरे पास कुछ अन्य राज्यों के सम्बन्ध में जानकारी है जहां वे संभरण का प्रबंध करते समय आर्डर भेजने और संभरण प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। इन सब चीजों में इस मंत्रालय के सड़क विभाग द्वारा यथा संभव शीघ्रता की जा रही है, परन्तु मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि यह सम्बन्धित राज्य सरकार की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है।

†**श्री सारंगधर दास** : कुछ साल पहले टैलको वर्क्स में भाप से चलन वाले सड़क कूटने के इंजन बनाये जाते थे। फिर वहां डीजल से चलने वाले सड़क कूटने के इंजन बनने लगे। मैं जानना चाहता हूं कि टैलको वर्क्स में डीजल से चलने वाले सड़क कूटने के इंजनों के निर्माण का क्या हुआ ?

†**श्री अलगेशन** : जैसा कि माननीय मंत्री ने अभी उत्तर दिया कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने, जो इस मामले से सम्बन्धित है, कलकत्ता में मैसर्स जेसप एंड कम्पनी को इन डीजल से चलने वाले सड़क कूटने के इंजनों के निर्माण का लाइसेंस दिया है। पहले सड़क कूटने के इंजन के इस वर्ष जुलाई तक तैयार होने की आशा है। वह मंत्रालय भाप से चलने वाले सड़क कूटने के इंजनों के निर्माण के लिये एक अन्य समवाय को लाइसेंस देने का भी विचार कर रहा है।

†**श्री वल्लाथरास** : १९५४-५५ में कितने मील लम्बी सड़कों के निर्माण का विचार था तथा उसमें से कितने मील बन सकीं और कितनी नहीं बन सकीं ?

†**श्री अलगेशन** : यह मुख्य प्रश्न से कुछ अलग बात है। मैं इसके लिये पूर्व सूचना चाहूंगा।

†**श्री कासलीवाल** : क्या सरकार ने कभी देश की सड़क निर्माण सज्जा सामग्री की आवश्यकताओं का निर्धारण किया है, और यदि हां, तो देश में इस समय उपलब्ध इस सज्जा सामग्री का प्रतिशत क्या है ?

†**श्री अलगेशन** : इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों से सूचना मांगी गई थी और उस सूचना पर विचार करके निर्माण और वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपने स्वयं के उत्पादन के पूर्ण लक्ष्य तक पहुंचने तक आयात का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। कुछ अन्य सज्जा सामग्री भी है जो हम भारत में निर्मित कर रहे हैं। अर्थात् बिटुमन बायलर्स, एसफाल्ट मिक्सर्स, कंक्रीट मिक्सर्स आदि। पत्थर कूटने के यंत्र (स्टोन क्रशर्स) के निर्माण का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। मैं यह कहने में असमर्थ हूं कि हम इस सज्जा सामग्री के कितने प्रतिशत की पूर्ति अपने देश में कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि धीरे धीरे हम इन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति देशी संसाधनों से कर सकेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री सारंगधर दास** : मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं दूसरे प्रश्न के लिये कह चुका हूं।

परिचर्या

†***१७८३. डा० सत्यवादी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री परिचर्या व्यवसाय की सेवा की शर्तों, उपलब्धियों आदि का पुनरीक्षण करने के लिये नियुक्त की गई समिति की सिफारिशें बताने की कृपा करेंगी ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : परिचर्या व्यवसाय की सेवा की शर्तों, उपलब्धियों आदि का पुनरीक्षण करने के लिये नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों का संक्षेप लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सत्यवादी** : क्या मैं इन सिफारिशों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया जान सकता हूं ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : भारत सरकार परिचारिकाओं (नर्सों) की सहायता करना चाहती है ताकि वे अपनी दशा में सुधार कर सकें और यही कारण है कि उसने राज्य सरकारों से सिफारिश की है कि वे परिचारिकाओं के लिये आश्वयक कार्य करें।

†**डा० रामा राव** : इस समिति की एक सिफारिश प्रशिक्षण काल में वृत्तिका तथा अन्य भत्ते और प्रशिक्षण के पश्चात वेतन तथा अन्य भत्ते बढ़ाने की है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने यह सिफारिश किस हद तक स्वीकार की है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, हमने श्रम, रेलवे तथा ऐसे अन्य मंत्रालयों को, जिनमें परिचारिकायें नौकरी करती हैं, वेतनक्रम बढ़ाने के लिये लिखा है। हमने राज्य सरकारों को भी लिखा है। कुछ राज्य सरकारों ने वेतनक्रम बढ़ा दिये हैं जबकि कुछ अन्य ने वित्तीय कठिनाई के कारण ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : क्या माननीय मंत्राणी जी यह बतलाने की कृपा करेंगी कि नर्सेज कमेटी ने जो यह मांग की थी कि उनको पेन्शन चाहिये, प्राविडेंट फंड (भविष्य निधि) नहीं, क्योंकि उसके पाने में उन को दो-दो वर्ष लग जाते हैं, साथ ही वह बहुत थोड़ा होता है और चूंकि उनकी तनख्वाह बन्द हो जाती है इसलिये उनको बड़ी कठिनाई होती है, उसके बारे में क्या निर्णय हुआ है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : मुझे इसका कोई इल्म नहीं है और न मेरे पास ऐसी कोई दरख्वास्त ही आई है।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : उत्तर प्रदेश की जो नर्सेज कमेटी है उसकी यह मांग थी, मगर यह बात सभी जगहों के लिये लागू होती है क्योंकि समस्या सब जगह एक सी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्या भाषण कर रही हैं और कुछ सुझाव दे रही हैं। मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है कि अभी तक ऐसी कोई दरखास्त नहीं आई है।

†**श्री बूबराघस्वामी** : क्या समिति की सिफारिशों के अनुसार परिचारिकाओं की सेवा शर्तों और उपलब्धियों के सम्बन्ध में समस्त देश में एक सी नीति अपनाई जायगी, अथवा भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग-अलग नीति होगी ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : जहां तक केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत परिचारिकाओं के सेवा शर्तों और वेतनक्रमों का सम्बन्ध है, वे उससे कहीं ऊंचे हैं जिनकी समिति ने सिफारिश की है। केन्द्रीय सरकार एक सी नीति की इच्छुक है और वह समस्त राज्यों को समिति की प्रत्येक सिफारिश स्वीकार कर लेने को बाध्य करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या केन्द्रीय सरकार की परिचारिकायें वही वेतन और उपलब्धियां पा रही हैं जो सैन्य विभाग में काम करने वाली उनकी बहनें पाती हैं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : जी नहीं। अभाग्यवश असैनिक नौकरी में काम करने वाली परिचारिकाओं का वेतन सैन्य विभाग की परिचारिकाओं से कम है।

†**श्री वी० पी० नायर** : ऐसा क्यों है ?

†**डा० रामा राव** : एक सिफारिश यह है कि विवाहित लड़कियां प्रशिक्षण के लिये भर्ती नहीं की जानी चाहियें और प्रशिक्षण पानेवाली लड़कियों को विवाह करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या इन लड़कियों को उन्हें अवसर मिलने पर, विवाह करने से रोक कर सरकार का विचार विवाह का महत्व कम करना है जिससे बाद में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : सिफारिश केवल यही थी कि विद्यार्थी परिचारिकाओं को विद्यार्थी रहते हुये विवाह नहीं करना चाहिये क्योंकि उससे उनके अध्ययन में बाधा होती है । जहां तक विवाहित परिचारिकाओं को नौकरी में रखने का प्रश्न है उस पर विचार किया जा रहा है । केन्द्रीय सरकार ने और वास्तव में, मैंने स्वयं यह सिफारिश की है कि जहां परिचारिकाओं की कमी है वहां विवाहित परिचारिकाओं को अंश-कालिक आधार पर नौकरी में रखा जाय ।

†**श्री वीरस्वामी** : क्या स्वास्थ्य मंत्रालय को यह ज्ञात है कि परिचारिकायें सेवा की बुरी शर्तों और कम वेतन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जाने और काम करने से इन्कार कर देती हैं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : पिछले दिन ही बम्बई राज्य से एक ऐसी शिकायत आई थी । यह सच है वे ग्रामीण क्षेत्रों में परिचारिकाओं के रहने की शर्तें अच्छी नहीं हैं, और हम राज्य सरकारों से यथाशीघ्र सुधार करने की सिफारिश कर रहे हैं ।

†**श्री ए० एम० थामस** : मंत्री जी ने कहा था कि परिचारिचाओं की संख्या में कमी है । स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में कुल कितनी परिचारिकाओं को प्रशिक्षण दिया जायगा ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि कितनी परिचारिकाओं को नौकरी मिलने की सम्भावना है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : यदि हम आबादी को प्रति व्यक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रख कर हिसाब फैलायें तो ज्ञात होगा कि देश में परिचारिकाओं की कमी है। जहां तक प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, मैं आपको सही संख्या नहीं बता सकती कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनों को प्रशिक्षण दिया जायगा, परन्तु निश्चय ही वृद्धि काफी होगी ।

जहां तक सहायक परिचारिकाओं और दाइयों का सम्बन्ध है, १७ नई पाठशालायें खोली गई हैं, और ६००० सहायक परिचारिकाओं और दाइयों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है । ६०० अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर ही रहे हैं । जहां तक कल्याण विस्तार परियोजनाओं के लिये सहायक परिचारिकाओं का सम्बन्ध है, इस समय इस वर्ष के लिये १०० अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

भारतीय भैषजिकी परिषद्

†*१७८४. **श्री राधा रमण** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि सरकार ने अभी तक भैषजिकीय जांच आयोग और भारतीय भैषजिकी परिषद् की सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : एक विवरण, जिसमें भेषज व्यवसाय के सम्बन्ध में भैषजिकीय जांच समिति और भारतीय भैषजिकी परिषद् की सिफारिशें और उन पर की गई कार्यवाही दी गई है, लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४१**]

†**श्री राधा रमण** : क्या ये सिफारिशें विभिन्न राज्यों को परिचारित की गई हैं और क्या किन्हीं राज्यों ने इस मामले में कार्यवाही की है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : वे राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं और राज्य सरकारें जहां भी संभव है कार्यवाही कर रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० रामा राव** : एक सिफारिश राज्य की नौकरी करने वाले भैषजिकों का वेतन बढ़ाने की है। यह सिफारिश किस हद तक स्वीकार कर ली गई है और कार्यान्वित की जायेगी ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : केन्द्रीय सरकार ने इन सिफारिशों का जोरदार संस्तवन किया है, और राज्य उन पर विचार करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या मैं जान सकता हूं ·····

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं । हमने आध घंटे में केवल ७ ही प्रश्न समाप्त किये हैं ।

†**श्री वी० पी० नायर** : यह प्रश्न के महत्व पर निर्भर करता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को एक प्रश्न और दूसरे प्रश्न में अन्तर समझना चाहिये । यदि एक ही प्रश्न लिया जाय और उसी को जारी रखा जाय तो मैं क्या कर सकता हूं ? माननीय सदस्यों को समस्त प्रश्नों को देखना चाहिये और उन्हें महत्वपूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध में ही पूछताछ करनी चाहिये । अन्यथा मुझे केवल परिचर्या पर आध घंटा खर्च करने, भैषजिकीय परिषद् पर अन्य आध घंटा, और परिचर्या परिषद् पर अन्य आध घंटा खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

†**श्री नम्बियार** : चिकित्सा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण विषय है, इसलिये हमें उन पर अधिक समय लगाना चाहिये ।

'हेरोन' विमान

†*१७८५. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की सेवा में लगे हुये समस्त हैरोन विमानों की उड़ान १ अप्रैल, १९५६ से बंद कर दी गई थी और उनके सम्बन्धित मार्गों पर विमान सेवायें निलम्बित कर दी गई थीं;

(ख) उनके लिये किस प्रकार की प्राविधिक मरम्मतों की आवश्यकता थी;

(ग) क्या सरकार इन विमानों की पूरी-पूरी जांच 'हैरोन' निर्माताओं से भिन्न किन्हीं विशेषज्ञों द्वारा करायेगी; और

(घ) सेवा के निलम्बन के कारण अनुमानत: कितनी हानि हुई ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) 'हेरोन' विमानों की उड़ान केवल दो दिन, अर्थात् ३१ मार्च और १ अप्रैल, १९५६, के लिये बन्द की गई थी । फिर भी 'हैरोन' मार्गों पर 'डकोटा' और 'वाइकिंग' विमान चलाये गये थे ।

(ख) प्रविधिक मरम्मत में 'राड' और 'फोर्कएन्ड्स' को मिलाने वाले 'रडर टैब' को बदलने की आवश्यकता पड़ी थी ।

(ग) असैनिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों ने सम्बन्धित पुर्जों की पूरी-पूरी जांच पड़ताल की है ।

(घ) आय में कोई हानि नहीं हुई क्योंकि कोई भी सेवायें निलम्बित नहीं हुई थीं ।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** : इस प्रविधिक खराबी का पता क्या हमारे इंजीनियरों ने लगाया था या स्वयं निर्माताओं द्वारा लगाया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : निर्माताओं ने ।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** : इन मरम्मतों के कारण क्या कारपोरेशन को कोई अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा था ?

†**श्री आबिद अली** : जी, नहीं, निर्माताओं ने ये पुर्जे मुफ्त दिये ।

†**श्री बंसल** : इन हवाई जहाजों की उड़ान अस्थायी रूप से बन्द करने के कारण क्या हैरोन हवाई जहाजों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कम हो गई है ?

†**श्री आबिद अली** : मेरे विचार में ऐसा नहीं हुआ है ।

†**श्री कासलीवाल** : कुछ समय पहले इस विषय में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए संचार मंत्री ने कहा था कि इन हैरोन हवाई जहाजों में जो खराबी पैदा हो गई है उसके लिये एक तेल समवाय उत्तर-दायी है और उस समवाय से प्रतिकर का दावा किया जायेगा । अब श्रम उपमंत्री ने कहा है कि कोई हानि नहीं उठानी पड़ी है । ये दोनों उत्तर कहां तक ठीक हैं ?

†**श्री आबिद अली** : दोनों उत्तर ठीक हैं । आज के उत्तर का सम्बन्ध इन हवाई जहाजों की उड़ान बन्द कर देने से था और जहां तक स्टेन्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी द्वारा खराब तेल दिये जाने के कारण प्रतिकर का दावा करने का सम्बन्ध है वह एक अन्य घटना है ।

†**श्री जी० एस० सिंह** : क्या यह सच है कि यह विशिष्ट पुर्जा भारतीय वायु सेना के पास पर्याप्त मात्रा में प्राप्त था और यदि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने भारतीय वायु सेना से इस सम्बन्ध में प्रार्थना की होती तो इन दो दिनों के लिये भी हवाई जहाजों की उड़ान बन्द करना आवश्यक न होता ।

†**श्री आबिद अली** : माननीय सदस्य के प्रश्न का प्रथम भाग क्या था ?

†**श्री जी० एस० सिंह** : क्या यह विशिष्ट पुर्जा भारतीय वायु सेना के पास प्राप्त था ?

†**श्री आबिद अली** : हमें निर्माताओं से सूचना प्राप्त हुई थी और इसलिये परीक्षण के लिये तथा पुर्जों के प्रतिस्थापन के लिये हवाई जहाज की उड़ान बन्द कर दी गई थी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समस्त मंत्रिमंडल से भविष्य के लिये कहता हूं कि जिस मंत्रालय में एक मंत्री तथा उपमंत्री हैं उनमें से कम से कम एक को अवश्य यहां उपस्थित होना चाहिये । अन्य मंत्री पर भार डालना ठीक नहीं है । मैं जानता हूं कि श्रम उपमंत्री द्वारा जो उत्तर दिये गये हैं वे पूरे दिये गये हैं फिर भी उन्हें सभी प्रश्नों की पृष्ठभूमि ज्ञात नहीं हो सकती ।

†**श्री आबिद अली** : कभी-कभी किन्हीं अत्यावश्यक बातों के कारण ऐसा करना पड़ जाता है। आप इस प्रश्न पर पहले भी अपना मत प्रकट कर चुके हैं और उस पर सच्चे दिल से चला गया है । परन्तु कुछ ऐसी भी विवशतायें होती हैं जिन पर कुछ बार ध्यान देना पड़ता है । मैं आपके विनिर्णय का सम्मान करता हूं । उस पर दो राय नहीं हो सकतीं । परन्तु फिर भी कभी-कभी ऐसा करना पड़ता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने मुझे गलत समझा है । उनके लिये मेरे दिल में बहुत इज्जत है । उन्होंने प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह इस प्रकार दिये हैं जैसे कि वह स्वयं उस मंत्रालय के मंत्री हों । फिर भी संसद् के सत्र के दौरान में सम्बन्धित मंत्रालय के मंत्री को या उनके उपमंत्री को उपस्थित होना चाहिये । किसी अन्य मंत्री को कार्य सौंपने का कोई लाभ नहीं है । इससे ऐसा लगता है जैसे कि मंत्री को अधिक दिक न किया जाये और प्रश्न अधिक संख्या में न पूछे जायें । मैं इसलिये ऐसा कह रहा हूं कि उन्हें प्रश्नों की पृष्ठभूमि भी ज्ञात होनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई)** : श्रीमान्, मैं यहीं था ।

†**श्री वी० पी० नायर** : माननीय मंत्री ने कहा था कि हैरोन हवाई जहाज की उड़ान इसलिये बन्द कर दी गई थी उनके रैडार उपकरण को दोष पूर्ण पाया गया था । (रौड डायरैक्टिंग एण्ड रेंजिंग) में किस विशिष्ट प्रकार का दोष पाया गया था ? क्या रैडार उपकरण पूरा बदला गया था या उसका केवल कुछ भाग ही बदले गये थे ?

†**श्री नम्बियार** : यह मालूम नहीं हो सकता ।

†**श्री आबिद अली** : प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर में यह बात स्पष्ट है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : मैं यह जानना चाहता था कि क्या रैडार उपकरण पूरा बदला गया था या उसका कुछ भाग बदला गया था ?

†**श्री आबिद अली** : 'राड' तथा 'फोर्क एंडस्' को मिलाने वाले 'रडर टैब' को बदला गया था ।

मार्ग परिवहन निगम

†*१७८६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५६ तक सरकार द्वारा विभिन्न सड़क परिवहन निगमों में कितनी रकम विनियोजित की जा चुकी थी;

(ख) इस तिथि को निगमों में लगाई गई कुल पूंजी की यह रकम कितने प्रतिशत थी; और

(ग) १९५५-५६ के वर्ष में केन्द्रीय सरकार को अपनी विनियोजित पूंजी पर कुल कितना शुद्ध लाभ हुआ था ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४२**]

†**सरदार इकबाल सिंह** : इन निगमों में सरकार के कुछ प्रतिशत अंश हैं । इन निगमों के निदेशकों के बोर्ड में क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि है ? या इन निगमों के प्रशासन में सरकार का अन्य कोई हाथ है ?

†**श्री अलगेशन** : इन निगमों में सरकार का प्रतिनिधान भी है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सच नहीं है कि १९५५-५६ के दौरान में एक भी निगम ने किसी प्रकार के लाभ की घोषणा नहीं की है ? क्या पिछले वर्ष किसी लाभ की घोषणा की गई थी ?

†**श्री अलगेशन** : बम्बई राज्य मार्ग परिवहन निगम में पिछले कुछ वर्षों से हम भाग लेते रहे हैं और १९५१-५२ से पिछले चार या पांच वर्षों के लिये लाभांशों की घोषणा की गई है । मेरे पास आंकड़े भी हैं ।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि केवल तीन राज्यों में ही रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशंस में रेलवे मंत्रालय ने हिस्सा लिया । मैं जानना चाहता हूं कि और राज्यों की क्या स्थिति है विशेषकर उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कोई वार्त्ता वहां की सरकार से चल रही है कि वहां के रोडवेज़ में भी रेलवे मंत्रालय हिस्सा ले ?

†**श्री अलगेशन** : इन परिवहन सेवाओं को चलाने के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा उनमें भाग लिये जाने के लिये निगमों का गठन किया जाना होता है । कई राज्य सरकारें इन्हें विभागीय रूप से चलाना

†मूल अंग्रेजी में

अधिक पसन्द करती हैं। वे यह नहीं चाहतीं कि निगम इन्हें चलायें। उत्तर प्रदेश सरकार भी उनमें से एक है। फिर भी केन्द्र द्वारा भाग लिये जाने का प्रस्ताव किया गया था। सम्भवतः वे केन्द्र को शामिल नहीं करना चाहते।

†**सरदार इकबाल सिंह** : पिछले वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार क्या सरकार ने राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कोई निदेश दिये हैं कि लाभ की घोषणा करने से पूर्व अवक्षयण निधि, विकास निधि तथा अन्य निधियों की व्यवस्था की जानी चाहिये ? क्या इस नियम का सारे देश में पालन किया जाता है, और यदि हां, तो परिणाम क्या हैं ?

†**श्री अलगेशन** : मैं प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता। स्वयं निगमों द्वारा इन सभी बातों की देख रेख की जानी चाहिये। निगमों को इसलिये गठित किया जाता है ताकि इन सेवाओं के दैनिक प्रशासन में सरकार बीच में न आये।

†**सरदार इकबाल सिंह** : पिछले वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्य परिवहन निगमों का सारे देश के लिये यह नियम होना चाहिये कि शुद्ध लाभ की घोषणा करने से पूर्व अवक्षयण निधि, विकास विधि तथा अन्य निधियों के लिये भी व्यवस्था की जाय। क्या सरकार ने इस सिफारिश के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री अलगेशन** : जैसा कि मैंने कहा था, निगमों को स्वयं इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या वे इस कार्यप्रणाली का एक रूप आधार पर पालन कर रहे हैं या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता हूं।

पर्यटन

†*१७८७. **श्री संगण्णा** : क्या **परिवहन** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पर्यटन के विकास के सम्बन्ध में क्या योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में पर्यटन के विकास के लिये उड़ीसा में पर्यटन के विकास से संबन्धित योजनाओं पर अन्य राज्यों की योजनाओं के साथ ही विचार किया जा रहा है। योजना का ब्योरा अभी अन्तिम रूप से तय नहीं हुआ है।

†**श्री संगण्णा** : क्या पुरी से कोणार्क तक सड़क बनाना और चिल्का झील के क्षेत्र का विकास करना पर्यटन योजना के अन्तर्गत आयेंगे ?

†**श्री अलगेशन** : कोणार्क जाने वाली सड़क के लिये जहां तक मुझे याद है हमने कुछ वर्ष पहले दो तिहाई सहायता दी थी। निर्माण में हमारी आशा के अनुसार प्रगति नहीं हुई है किन्तु काम चल रहा है। हम चिल्का झील के क्षेत्र के लिये भी कुछ सहायता करना चाहते हैं।

†**श्री संगण्णा** : क्या उड़ीसा सरकार से वहां के पर्यटन केन्द्रों की सूची तैयार करने के लिये कहा गया है ?

†**श्री अलगेशन** : हां, ये सब काम किये जा रहे हैं। अनेक प्रस्ताव आये थे और वे योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय में विचाराधीन हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सारंगधर दास :** क्या पुरी-कोणार्क सड़क का टेंडर किसी ठेकेदार को दे दिया गया है और यदि नहीं, तो भारत सरकार का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इस काम को क्यों नहीं हाथ में लेता है क्योंकि वह उस राज्य में और भी कई काम कर रहा है ?

†**श्री अलगेशन :** मुझे तो यह खबर है कि यह काम किसी ठेकेदार को दे दिया गया है। वह काम चल रहा है। इन कामों को हम राज्य के लोक निर्माण विभाग के द्वारा कराते हैं। वहां केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से काम कराने का कोई इरादा नहीं है।

रेलवे पोस्टर

†*१७८८. **श्री मादिया गौडा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा अभी तक विभिन्न प्रकार के कितने रेलवे पोस्टर प्रकाशित किये गये हैं;

(ख) रेलवे स्टेशनों के अलावा क्या ये पोस्टर पर्यटन कार्यालयों तथा ऐसे अन्य स्थानों पर भी भेजे जाते हैं; और

(ग) क्या ये रेलवे स्टेशनों पर उपयोग के लिये विदेशों में भी भेजे जाते हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४३]**

†**श्री मादिया गौडा :** क्या इन पोस्टरों को अधिक शिक्षात्मक तथा आकर्षक बनाने के लिये इनमें सुधार का प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री अलगेशन :** इस विषय में हम माननीय सदस्य द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव का स्वागत करेंगे ?

†**श्री कामत :** ये प्रचार के पोस्टर मंत्रालय में किसी कलाकार द्वारा बनाये जाते हैं या बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा ?

†**श्री अलगेशन :** ये पोस्टर रेलवे द्वारा बनवाये जाते हैं। उनका सम्बन्ध पर्यटन से उतना नहीं होता, जितना सामाजिक शिक्षा से जैसे सफाई, रेलवे क्षेत्रों को साफ रखना, बिना टिकट के यात्रा नहीं करना आदि।

†**श्री कामत :** ये पोस्टर मंत्रालय में किसी कलाकार द्वारा बनाये जाते हैं या बाहर वाले किसी व्यक्ति द्वारा ?

†**श्री अलगेशन :** मैंने अभी कहा है कि ये रेलवे द्वारा बनवाये जाते हैं और इन्हें बनाने के लिये उनके पास अवश्य ही कोई व्यक्ति होगा।

†**श्री बंसल :** क्या माननीय मंत्री ने ऐसे रेलवे पोस्टर देखे हैं जिनमें बड़े अक्षरों में यह लिखा रहता है "भारत देखिये" ("विजिट इंडिया")। ऐसे पोस्टरों को भरतीय रेलवे स्टेशनों पर लगाने से क्या लाभ है ?

†**श्री अलगेशन :** ये पोस्टर पर्यटन के उद्देश्य से लगाये जाते हैं और ये पर्यटन विभाग द्वारा बनवाये जाते हैं। किन्तु इस प्रश्न का सम्बन्ध रेलवे मंत्रालय के पोस्टरों से है जिनके विषय का मैंने अभी उल्लेख किया है।

†**श्री बंसल :** किन्तु पर्यटन विभाग भी परिवहन मंत्री के अधीन है।

†**श्री अलगेशन :** मैंने इससे इन्कार कब किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि भारत में "भारत देखिये" (विजिट इंडिया") पोस्टर क्यों लगाये जाते हैं ?

†**श्री अलगेशन :** भारत के एक भाग के लोग अन्य भागों के बारे में नहीं जानते । आप समझ सकते हैं कि हम अपने देश वासियों को भी समस्त देश का भ्रमण करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं । इन से इन्हें पता लगता है कि उन्हें भारत में कौन से स्थान देखने चाहिये । ये पोस्टर विदेशों में भी भेजे जाते हैं ।

जिप्सम के लिये माल-डिब्बे

†*१७८९. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री ११ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिप्सम के लिये सिन्दरी से राजस्थान को प्रतिदिन जाने वाले वैगनों की औसत संख्या कितनी है; और

(ख) सिन्दरी से प्रतिदिन खाली जाने वाले वैगनों की औसत संख्या कितनी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) और (ख). स्थिति यह है कि राजस्थान में जिप्सम, छोटी लाइन के डिब्बों में भरा जाता है और भटिंडा, दिल्ली, सराय रोहिल्ला और आगरा ईस्ट बैंक स्टेशनों पर उसे सिन्दरी भेजने के लिये बड़ी लाइन के डिब्बों में भरा जाता है । सिन्दरी से कोई डिब्बा खाली नहीं भेजा जाता ।

†**श्री एन० बी० चौधरी :** क्या इन सब वैगनों का, सिन्दरी में खाली होने के बाद, उपयोग किया जाता है ?

†**श्री अलगेशन :** मैंने अभी कहा है कि बड़ी लाइन के डिब्बों में अनेक स्थानों पर उन्हें भरे जाने के बाद, जिप्सम ले जाया जाता है और लौटते समय उन में कोयला वगैरह कोई अन्य सामान भरा जाता है ।

†**श्री एन० बी० चौधरी :** बिहार में सिन्दरी के पास से जो कोयला भरा जाता है उसका अधिकांश भाग राजस्थान नहीं ले जाया जाता । अतः मैं जानना चाहता हूं कि वे मुख्य स्टेशन अथवा जंक्शन कौन से हैं जहां ये वैगन खाली किये जाते हैं ?

†**श्री अलगेशन :** मैंने अभी कहा है कि राजस्थान में जिप्सम बड़ी लाइन के वैगनों में नहीं भरा जाता और सीधा सिन्दरी नहीं भेजा जाता । पहले वह छोटी लाइन के वैगनों में भरा जाता है और फिर विभिन्न स्टेशनों पर बड़ी लाइन के वैगनों में भरा जाता है । उसके बाद वे वैगन सिन्दरी भेजे जाते हैं । अतः कोई सीधा यातायात नहीं है । उन छोटी लाइन के डिब्बों को स्टेशनों पर खाली किया जाता है और लौटते समय उनमें राजस्थान के लिये कोई और सामान भर दिया जाता है ।

मादा जानवर रोग विज्ञान

†*१७९१. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५४ में स्टाक होम के मादा जानवर रोग और गर्भ विज्ञान के अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में भारत ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में भारत में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) :** (क) और (ख). हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना में अगस्त १६५४ से एक समन्वित पशु वंध्याकरण योजना प्रारम्भ की गई है जिसका उद्देश्य पशु चिकित्सा विद्यालयों में मादा जानवर रोग और गर्भ विज्ञान के शिक्षण में उन्नति करना है और उपचार तथा रोकथाम की कार्यवाही के लिये पशु वंध्यता की समस्या का अध्ययन करना है। इसके शिक्षण और गवेषणा के लिये एक समन्वित योजना तैयार की गई है और इसके आधार पर काम किया जा रहा है।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** किन लोगों ने इस शिक्षण में भाग लिया और भारत में उनकी सेवाओं का उपयोग कैसे किया गया ?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** बम्बई, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान आदि विभिन्न राज्यों के नौ व्यक्ति थे, और उन्हें उस काम में लगाया गया है जिसके विशेष प्रशिक्षण अर्थात नस्ल सुधार और बांझपन की रोक के लिये वे विदेश भेजे गये थे।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या प्राध्यापकों को भारत में इन विषयों के शिक्षण का कोई प्रबन्ध किया गया था ?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** यह विषय भारत के कालेजों में पढ़ाया जाता है परन्तु उस उच्च-स्तर के लिये सुविधायें भारत में नहीं हैं जिसका प्रशिक्षण इन लोगों ने विदेश में प्राप्त किया है। अब जिन लोगों ने विशेष रूप से इस विषय को सीखा है उनकी सेवा का और अधिक प्रयोग किया जायेगा।

†**श्री बी० एस० मूर्ती :** क्या विभिन्न राज्यों के वर्तमान पशु चिकित्सा कालेजों में पशु योनि रोग विद्या पहले नहीं पढ़ाई जाती थी और इस नई योजना में पुरानी की अपेक्षा क्या भिन्नता है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** यह विषय सभी पशु चिकित्सा कालिजों में पढ़ाया जाता है परन्तु बांझपन की रोक और पशु योनि रोग विद्या के विषय में कुछ नवीन विकास हुआ है। उस प्रयोजन के लिये हमने खाद्य-कृषि संघ और स्वीडन की सरकार की सहायता के फलस्वरूप नौ व्यक्ति अध्ययन के लिये स्वीडन भेजे थे। अब हमें आधुनिकतम ज्ञान प्राप्त हो गया है, केवल यही अन्तर है। यह विषय तो कालेजों में पढ़ाया जाता है।

गन्ना

†*१७६२. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गत वर्ष गन्ने का भाव कम हो गया था, तो भी कृषकों को उन जिलों में अपना गन्ना बेचने में कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके गन्ने को समय पर बेचने का प्रबन्ध किया है ताकि उत्पादकों को कोई हानि न हो ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख):** (क) तथा (ख). नैनीताल और देहरादून जिलों के तराई के क्षेत्र के गन्ने के मूल्य में केवल २ आने की कमी की गई थी क्योंकि उस गन्ने की किस्म अच्छी नहीं थी। परन्तु यदि सम्बन्धित कारखानों में उस गन्ने से चीनी की प्राप्ति उसकी औसत प्राप्ति तक हो जाये तो भाव की कटौती हटा दी जायेगी।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक फसल होने के कारण सभी कारखाना क्षेत्रों में अतिरिक्त गन्ना उपलब्ध है और यह प्रबन्ध किया जा रहा है कि वर्तमान ऋतु में कारखानों के बंद होने से पूर्व सारा उपलब्ध गन्ना पेरा जा सके।

†**श्री विश्वनाथ राय :** क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इन क्षेत्रों के सारे गन्ने को, जिन का उल्लेख अभी किया गया है बेचने में असमर्थता प्रकट की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पी० एस० देशमुख :** कुछ ऐसे भाग हैं जिनके बारे में भय है कि वहां की उपज का सारा गन्ना हम नहीं पेर सकेंगे। परन्तु यह बहुत संभव है कि हम सारा गन्ना पेर सकेंगे।

†**श्री विश्वनाथ राय :** क्या यह सच है कि कुछ चीनी के कारखानों ने उस क्षेत्र से गन्ना खरीदने से इन्कार कर दिया है। जहां कुछ समय पूर्व एक चीनी का कारखाना था और अब वहां से हटा लिया गया है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** मुझे ऐसी कोई विशेष शिकायत नहीं मिली।

†**श्री झुनझुनवाला :** उत्तर-प्रदेश सरकार के अनुमान के अनुसार और केन्द्रीय सरकार के अनुमान के अनुसार गन्ने की कितनी मात्रा बेचने की संभावना है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उसके फलस्वरूप, संभव है कि सारा उपलब्ध गन्ना पेरा जा सके।

†**श्री झुनझुनवाला :** कितनी मात्रा बिना पेरी रह जायेगी ?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** संभवतः गन्ने की कोई मात्रा बिना पेरे नहीं रहेगी।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करना चाहती है अगर मिलें सारा केन क्रश न कर सकें तो किसानों को छोटी-छोटी मशीनों द्वारा गन्ना पेरने की अनुमति दी जाय ताकि उनका गन्ना बरबाद न हो ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमारा जो प्रयत्न है उससे हम आशा करते हैं कि सारा केन क्रश हो जायेगा और कुछ बाकी नहीं रहेगा।

श्री भक्त दर्शन : अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि देहरादून और नैनीताल जिलों के केन की रिकवरी के बारे में किसानों को पूरा मुआवजा दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में देरी क्यों हो रही है और आखिरी फैसले की कब तक आशा की जा सकती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह जो हमको उस एरिया (क्षेत्र) के केन (गन्ने) पर स्टेट गवर्नमेंट (राज्य सरकार) की सिफारिश पर दो आने कम करने पड़े इसका कारण यह था कि वहां पर जो फैक्टरी थी उसके मालिक उसको चालू नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनकी शिकायत यह थी कि गन्ने की रिकवरी इतनी कम होती है कि उसे मुनाफा लायक नहीं कहा जा सकता। इसलिये हमने यह तजवीज की थी, लेकिन जब ९.६ परसेंट से ज्यादा रिकवरी होगी तो हम चाहते हैं कि उनको दो आना वापस कर दिया जाये।

बिहार में चीनी की मिलें

†*१७९३. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की चीनी की मिलें, विशेषतः दक्षिण बिहार की मिलों ने १९५५-५६ में, कब गन्ना पेरना आरम्भ किया था;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि उस राज्य के बहुत से क्षेत्रों में बहुत सा गन्ना अभी तक खेतों में खड़ा है; और

(ग) क्या चीनी की मिलें पेरने की कालावधि बढ़ा देंगी और सारे खड़े गन्ने को ले लेंगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) :** (क) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४४**]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कुल उपलब्ध गन्ने के केवल १२ प्रतिशत का पेरना बाकी है ।

(ग) जी, हां ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या सरकार को विदित है कि कारखाना द्वारा पेरना आरम्भ करने में अत्यधिक देरी के कारण दक्षिण शाहाबाद, विशेषतः रोहतास और डेहरी में अभी तक लगभग ५० प्रतिशत गन्ना खेतों में खड़ा है और उत्पादकों के मन में आशंका है कि यह गन्ना नहीं उठाया जायेगा ; क्या सरकार ने इस आशंका को दूर करने और गन्ना उठाने के लिये किसी साधन का विचार किया है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख :** बिहार सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह संभव नहीं कि कुछ गन्ना बिना पेरे रह जाये । मेरे माननीय मित्र की इस शिकायत के सम्बन्ध में कि चीनी के कारखाने ने इस वर्ष देर से पेरना आरम्भ किया है, मैं बताना चाहता हूं कि १९५४-५५ में गन्ना पेरना असाधारण रूप से शीघ्र आरम्भ कर दिया गया था और इस वर्ष बहुत से कारखानों ने उस तिथि से भी पूर्व गन्ना पेरना आरम्भ किया था । इसलिये यह शिकायत करने का कोई कारण नहीं कि इस बार देरी हो गई है ।

†**डा० राम सुभग सिंह:** माननीय मंत्री ने बताया है कि बिहार सरकार ने उन्हें जानकारी दी है । इस विवरण में बताया गया है कि बिक्रमगंज के कारखाने ने १५ दिसम्बर को गन्ना पेरना आरम्भ किया था । वह कारखाना तो लगभग ३ वर्ष पूर्व वहां से हटा दिया गया था । क्या बिहार सरकार ने जो जानकारी माननीय मंत्री को दी है वह ऐसी ही है जैसी कि विक्रमगंज कारखाना के सम्बन्ध में अथवा यह सच है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख:** मुझे यह आशा नहीं कि प्रत्येक मामले में जानकारी अविश्वसनीय है ।

अलगेशन समिति

†* **१७९५. श्री डाभी:** क्या रेलवे मंत्री १३ दिसम्बर १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७५७ के विवरण (२) की मद ३ (१) और ३ (२) के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने रेलों में भोजन व्यवस्था करनेवाले ठेकेदारों के ठेकों की धृति में कमी करने के लिये और जिन छोटे ठेकेदारों के स्थान पर विभागीय भोजन व्यवस्था आरम्भ की गई है उनके पुनःस्थापन करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** ठेकों की धृति को विहित सीमा तक कम करने की प्रक्रिया में और विभागीय भोजन व्यवस्था जारी करने के कारण जिन ठेकों को बन्द करना है उन्हें १-४-१९५६ को बन्द कर देने के अनुदेश जारी किय गये हैं । ये अनुदेश बहुत हद तक लागू किये गये हैं । कुछ मामलों में ये अनुदेश लागू नहीं किये जा सके क्योंकि कतिपय ठेकेदारों ने न्यायालय से निषेधाज्ञायें प्राप्त कर ली हैं जिनमें रेलवे को ठेके बन्द करने से रोका गया है ।

†**श्री डाभी :** निकट भविष्य में पश्चिमी रेलवे के जिन स्टेशनों पर विभागीय भोजन व्यवस्था जारी करने की संभावना है ?

†**श्री अलगेशन :** पश्चिमी रलवे के दो स्टेशनों पर अर्थात् रतलाम और मेहसाना में विभागीय भोजन व्यवस्था आरम्भ की जा चुकी है ।

†**श्री डाभी :** निकट भविष्य में अन्य किन स्टेशनों पर यह आरम्भ किया जाना है ?

†**श्री अलगेशन :** मैं कुछ कह नहीं सकता परन्तु इन दो स्टेशनों पर पहले आरम्भ हो चुकी है ।

†**श्री नम्बियार :** अलगेशन समिति के प्रतिवेदन पर भी अभी तक रेलवे में वल्लभदास ईश्वरदास जसे एकाधिकारी ठेकेदार हैं । उन्हें हटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है । ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : अच्छा हो यदि माननीय सदस्य उस उत्तर की ओर ध्यान दें जो मैंने पहले दिया है। मैंने अभी कहा है कि ठेकेदार न्यायालय के पास पहुंचे और रेलवे को उनके ठेके बन्द करने से रोक दिया गया। जब तक न्यायालय में मामले का निर्णय नहीं हो जाता हम उनके ठेकों को बन्द नहीं कर सकते। केन्द्रीय रेलवे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप ठेकेदारों को अपनी ठेका सम्बन्धी सम्पत्ति केंटीन और भोजन व्यवस्था के डिब्बों को खाली कर दिया था, ये सेवायें उन से ले ली गई हैं।

†**श्री जोकीम आल्वा** : सब रेलों में विभागीय भोजन व्यवस्था आरम्भ करने से पूर्व क्या सरकार ने निश्चित योजना बनाई है जिससे कि हमारे देश प्रेमी नवयुवकों और नवयुवतियों को भोजन व्यवस्था के बारे में प्रशिक्षण दिया जा सके। स्थिति यह तो नहीं है कि व्यवस्था और बिगड़ जाये।

†**श्री अलगेशन** : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जहां कहीं विभागीय भोजन व्यवस्था आरम्भ की गई है सेवा की बहुत प्रशंसा की गई है और मूल्य गिर गये हैं तथा वस्तुओं की किस्म में भी सुधार हुआ है। इस सभा के कुछ सदस्यों से मुझे यही जानकारी मिली है। इससे पता चलता है कि इस प्रयोग में सफलता मिली है।

होटल सम्बन्धी प्रशिक्षण

†***१७९७. श्री राधा रमण** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय विद्यार्थियों के एक दल को होटल सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो ये छात्र किस देश में भेजे जायेंगे; और

(ग) इस प्रस्थापना का ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) उन देशों का चुनाव अभी नहीं किया गया जिनमें होटल सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिये छात्रों को भेजा जायगा।

(ग) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४५]**

†**श्री राधा रमण** : विवरण में यह बताया गया है कि इस प्रयोजन के लिये तीन छात्र चुने जायेंगे विवरण में चुनाव का ढंग भी बताया गया है। ये तीन छात्र प्रशिक्षण के लिये किन देशों को भेजे जायेंगे ?

†**श्री अलगेशन** : मैंने अभी बताया कि इस बात का अभी तक निश्चय नहीं किया गया है कि उन्हें किन देशों में भेजा जायगा।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्योंकि सरकार उन पर बहुत अधिक व्यय कर रही है तो क्या सविदा में कोई ऐसी बात रहेगी कि अपने प्रशिक्षण के पश्चात वे सरकार की सेवा करने के लिये बाध्य होंगे ?

†**श्री अलगेशन** : इस व्यय में होटल फेडरेशन भी अंशदान देगा। सरकार इन छात्रों पर ४० प्रतिशत व्यय करेगी और होटल फेडरेशन और भारत की रेस्तरां संस्था ६० प्रतिशत व्यय करेगी। ये होटल उन्हें अपने यहां सेवा में लगायेंगे क्योंकि होटलों में यूरोपियन कर्मचारी हैं जिन के स्थान पर भारतीय कर्मचारी रखने हैं। सरकार का व्यय अधिक नहीं है। तीन वर्षों में तीन छात्रों पर २१,००० रुपये होगा।

†**श्री शिवनंजप्पा** : इन छात्रों के प्रशिक्षण के पश्चात उनकी सेवाओं का उपयोग कैसे किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने अभी इस प्रश्न का उत्तर दिया है ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या चुने गये व्यक्तियों को होटल के प्रबंध और संचालन का प्रशिक्षण दिया जायेगा अथवा खाना पकाने आदि के ढंग का? हमें ज्ञात नहीं कि प्रशिक्षण किस प्रकार का होगा ।

†**श्री अलगेशन** : वे स्वागत कर्त्ता और सेवा प्रबंधक इत्यादि के रूप में कार्य करेंगे ।

कुछ सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा लगता है कि सभी सदस्यों को होटल प्रशिक्षण में रुचि है । परन्तु हमें माननीय मंत्री का उत्तर तो सुनने दीजिये ।

†**श्री अलगेशन** : मैंने बताया है कि उन्हें स्वागत कर्त्ता और सेवा प्रबन्धक के रूप में नियुक्त किया जायेगा ।

चावल की विशेष किस्म

†*१७६८. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में एक विशेष प्रकार का चावल का बीज विकसित किया गया है जिस के द्वारा कम सिंचाई पर अधिक उत्पादन होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बीज का देश के अन्य भागों में प्रचार करेगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)**: (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल रखी जायेगी ।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या यह चावल साधारण चावल से घटिया होगा या बढ़िया ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है । हमने मध्य प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है

†**श्री तेलकीकर** : प्रति एकड़ कितना उत्पादन होगा ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : मुझे कुछ पता नहीं है । हमने मध्य प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है और अभी वह प्राप्त नहीं हुई है । इसलिये मैं गुण प्रकार या उत्पादन के बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

दूसरा कृषक फोरम

*१७६६. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दूसरे कृषक फोरम के आयोजन के बारे में धन व्यय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धन राशि व्यय की गई और किन-किन मदों पर व्यय की गई ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख). सरकार ने कोई व्यय नहीं किया है। लेकिन १६५५-५६ के लिये आई० सी० ए० आर० द्वारा फार्मस फोरम को ५०,००० रुपयों का अनुदान फार्मस फोरम को फोर्म के केन्द्रीय आफिस के संगठन तथा केन्द्रीय व प्रादेशिक सेमिनारों और प्रकाशन के लिये दिया गया ।

श्री विभूति मिश्र : जब आई० सी० ए० आर० है ही तब इस फार्मस फोरम जैसी संस्था की क्या जरूरत है और क्या इससे काम में डुप्लीकेशन नहीं होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पी० एस० देशमुख**: आई० सी० ए० आर० के ज़िम्मे इनफारमेशन और पबलिसिटी का काम है और इसके जरिये उन्होंने समझा कि जो कृषि के नवीन प्रयोग हैं उनको ज्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है और उनका फायदा उठाया जा सकता है और इसके लिये हमारे हाउस की भी मांग है ।

जीव जन्तुओं का संरक्षण

†*१८०१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष रोम में समुद्र के जीवित संसाधनों के संरक्षण के बारे में कोई सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में क्या मुख्य निर्णय किये गये थे, और

(ग) उनको कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये थे ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४६]**

†**सरदार इकबाल सिंह** : इस सम्मेलन की एक सिफारिश यह थी कि संरक्षण विनियम वैज्ञानिक गवेषणा और अनुसन्धान पर आधारित होने चाहियें । क्या इस मामले में कोई कदम उठाया गया है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या इस सम्मेलन की सिफारिशों को कार्य रूप में परिणित करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : जी, हां अधिकतर सिफारिशें विचाराधीन हैं । मुझे विश्वास है कि जहां तक सम्भव होगा उनको कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया जायगा ।

†**श्री वी० पी० नायर** : इन सिफारिशों को स्वीकार करके क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है जिस के द्वारा समुद्री जीवों के चिड़ियाघर और समुद्री पौधों का सम्पूर्ण अध्ययन सरकार के तत्वावधान में किया जायगा ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता है, क्योंकि माननीय मित्र ने कुछ पारिमाणिक शब्दों का प्रयोग किया है ।

चिकित्सा सहायता गाड़ी

†*१८०२. **श्री गिडवानी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे ने एक नमूने की दुर्घटना सहायता चिकित्सा गाड़ी चालू की है, जिस में बड़े सर्जरी शल्यचिकित्सा के मामलों का इलाज करने के लिये डाक्टरी का सामान होगा;

(ख) इस गाड़ी में दूसरी किन सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया है; और

(ग) क्या दूसरी लाइनों पर भी ये गाड़ियां चलाई जायेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे और परिवाहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) मध्य रेलवे ने अभी गाड़ी तैयार करवाई है; किन्तु अभी यह चलाई नहीं गई है। इस गाड़ी में सब प्रकार की आकस्मिक शल्यचिकित्सा का प्रबन्ध करने का सामान किया गया है।

(ख) विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४७]**

(ग) जी, हां।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नार्वे की मत्स्यापालन योजना

†*१७७५. **श्री वेलायुधन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य में नार्वे मत्स्य पालन योजना, किस मात्रा तक संतोषजनक कार्य कर रही है;

(ख) योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) पकड़ी गई मछली के वितरण की सहकारी योजना किस मात्रा तक सफल हुई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)**: (क) परियोजना क्षेत्र के स्वास्थ्य और स्वच्छता स्थिति के क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति हुई है। मत्स्यपालन विभाग में काम यद्यपि धीरे धीरे होता है, परन्तु इसके परिणाम अच्छे हैं और उत्साहवर्धक हैं।

(ख) (१) मछली पकड़ने की किश्तियों का मशीनीकरण और राज सहायता मूल्य पर, मछवों में उनका वितरण।

(२) मशीन की सहायता से मछली पकड़ने में मछुवों का प्रशिक्षण।

(३) मछलियों के संरक्षण, भण्डार और विपणन के लिये सुविधायें देना।

(४) अष्टमुडी तंग खाड़ी में उन्नति कर के बन्दरगाह की सुविधायें प्रदान करना, और

(५) इस क्षेत्र में स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति में सुधार।

(ग) अभी हाल में केवल कुछ मछवों को मछली पकड़ने की किश्तियां दी गई थीं। इसलिये इतने शीघ्र परिणाम का अनुमान लगाना कठिन है।

भारतीय श्रम सम्मेलन

†*१७७७. **श्री टी० बी० विट्ठलराव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय श्रम सम्मेलन की आगामी वार्षिक बैठक (अर्थात् १५वां सत्र) कब होगी ?

†**श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई)**: भारतीय श्रम सम्मेलन के पन्द्रहवें सत्र के लिये अभी तिथि निश्चित नहीं की गई है।

पैंसिलिन

†*१७७८. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पैंसिलिन का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के पश्चात भी पैंसिलिन के आयात में पर्याप्त कमी नहीं हुई है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि डाक्टर भारत में बनाई गई पैंसिलिन का प्रयोग नहीं करवाते और विदेशी पैंसिलिन का प्रयोग करवाना अधिक पसन्द करते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)** : (क) जी, हां । किन्तु इस मामले में पैंसिलिन के हमारे उत्पादन के प्रभाव का अनुमान इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता ।

(ख) सरकार को नहीं मालूम कि डाक्टर भारत में बनाई गई पैंसिलिन के विरुद्ध भेद-भाव करते हैं ।

बिहार को वित्तीय सहायता

*१७८०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि तथा तत्सम्बन्धी व्यवसायों को वित्तीय सहायता देने के लिये किये गये ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण के आधार पर भारत के रिजर्व बैंक की निदेशक समिति द्वारा की गई सिफारिरशों के बारे में बिहार सरकार द्वारा जो योजना तैयार की गई थी, उसके अन्तर्गत उसने वर्ष १९५६–५७ के लिये केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक से किस प्रकार के तथा कितनी राशि के अनुदानों, ऋणों और अग्रिम धनों की मांग की है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार या रिजर्व बैंक आफ इंडिया से अभी तक सन् १९५६–५७ के लिये कोई भी अनुदान, ऋण और अग्रिम धन नहीं मांगा है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कलकत्ता में कर्मचारियों की छंटनी

†*१७९०. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत खाद्य और चीनी विभागों के कलकत्ता के कार्यालयों में बहुत बड़ी छंटनी करने का विचार किया गया है; और

(ख) क्या छंटनी किये गये लोगों को वैकल्पिक नौकरी दी जायगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सिंगरैनी कोयला खदान

†*१७९६. **श्री टी० बी० विट्ठलराव** : क्या **श्रम** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १११४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान श्रम कल्याण संगठन निधि ने प्रसूति वार्ड के निर्माण के लिये सिंगरैनी कोयला खान के लिये कुछ राशि मंजूर की है ;

(ख) यदि हां तो उसके लिये कितनी राशि मंजूर की है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो विलम्ब का क्या कारण है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) विभिन्न मंत्रालयों और समवाय के साथ परामर्श के द्वारा प्रस्थापना का सविस्तार परीक्षण करना था और उसमें संशोधन करना आवश्यक हो गया था । अब अन्तिम प्रस्थापना इस निधि की परामर्शदातृ समिति के सामने उसकी आगामी दूसरी बैठक में रखी जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंगरैनी कोयला खदान

†*१८०३. **श्री टी० बी० विट्ठलराव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोहामुदम में जल संभरण के लिये कोयला खान श्रम कल्याण संगठन निधि के लिये अनुदान के बारे में सिंगरैनी कोयला खान के प्रबन्धकों ने प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई राशि मंजूर की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या राशि दे दी गई है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खण्डुभाई देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) अभी नहीं । यह मामला इस दृष्टि से राज्य सरकार के विचाराधीन है, कि क्या राष्ट्रीय जल सम्भरण और स्वच्छता कार्यक्रम (ग्रामीण) से कोई वित्तीय सहायता दी जा सकती है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गाड़ियों के लिये अणु शक्ति

†*१८०४. **श्री गिडवानी** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १२ अप्रैल, १६५६ के टाइमज़ आफ इंडिया, दिल्ली संस्करण में प्रकाशित पूर्व रेलवे के महा प्रबन्धक की प्रसार वार्ता की रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है जिस में कहा गया है कि विशेषज्ञों को इस बात का विश्वास है कि आगामी चार वर्षों में रेल गाड़ियां चलाने के लिये अणु शक्ति का प्रयोग किया जा सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो मामले का ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे और परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). जी, हां । किन्तु रिपोर्ट के संगत भाग में कहा गया है कि विशेषज्ञों का विश्वास है कि कुछ वर्षों में थर्मल स्टेशनों पर भाप तैयार करने के लिये कोयला के स्थान पर अणु शक्ति का सस्ते मूल्य पर प्रयोग किया जा सकेगा, किन्तु जितना विकास अभी हुआ है उसको देखते हुये अणु शक्ति की सहायता से भाप के रेलवे इंजन चलाना आर्थिक दृष्टि से सम्भव नहीं समझा जाता ।

रिपोर्ट में चार वर्ष के समय का कोई उल्लेख नहीं है ।

अमृतसर मेल (डाक गाड़ी) के यात्री

†१५२३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री सभा पटल पर निम्न पत्र रखने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर बिहार और आसाम के लिये गोरखपुर से परे की यात्रा करने वाले अमृतसर मेल के यात्रियों की संख्या और गोरखपुर से आगे जाने वाले तथा बरास्ता-लखनऊ रेलवे की दूसरी गाड़ियों और सैक्शनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की गणना;

(ख) दिल्ली के बढ़ते हुये महत्व को ध्यान में रखते हुये क्या उत्तर बिहार और आसाम के यात्रियों के लिये आगरा, कानपुर, या लखनऊ से दिल्ली के लिये वैसी ही वेग गाड़ियों का प्रबन्ध किया जा सकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

†**रेलवे और परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) २५-२-५६ से २८-२-५६ तक की गई गणना से पता चलता है कि उत्तर बिहार और आसाम में गोरखपुर से परे के स्टेशनों से औसतन प्रतिदिन

---

†मूल अंग्रेजी में

१६ यात्री लखनऊ आये और ७३ अप हावड़ा-अमृतसर मेल में चढ़े और लगभग २२ यात्री ७४ डाउन अमृतसर-हावड़ा मेल से गोरखपुर के परे उत्तर बिहार और आसाम के स्टेशनों के लिये लखनऊ उतरे। गोरखपुर से परे जाने वाले और बरास्ता-लखनऊ रेलवे की दूसरी गाड़ियों और सैक्शनों के द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की गणना नहीं की गई ।

(ख) तथा (ग). इस समय दिल्ली को और दिल्ली से बड़ी लाइन की गाड़ियों के साथ आगरा फोर्ट , कानपुर और लखनऊ को मिलाने वाले उत्तर-पूर्व रेलवे के स्टेशनों को और वहां से यात्रियों के लिये छोटी लाइन पर तेज चलने वाली गाड़ियां मिलती हैं, इसका विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४८**] सम्भवत: दिल्ली से ३०४ डाउन (बड़ी लाइन) लखनऊ ऐक्सप्रेस के आगमन और कटिहार के लिये ३०२ डाउन अवध-तिरहट मेल के छूटने के बीच और इसी तरह प्रतिलोमत: इस समय लखनऊ पर जो लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ती है उसका उल्लेख किया गया है । ३०२ डाउन।३०१ अप मेल गाड़ियों के समयों में हेरफेर के द्वारा लखनऊ में की जाने वाली लम्बी प्रतीक्षा को कम करना इस समय सम्भव नहीं है क्योंकि इसका परिणाम यह होगा कि वे ७३ अप/७४ डाउन हावड़ा अमृतसर मेल गाड़ियों के साथ लखनऊ में मेल नहीं दे सकेंगी और ३०२ डाउन और ३०३ अप तथा ३०४ डाउन और ३०१ अप के बीच कटिहार में इस समय जो प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वह भी बढ़ जायगी ।

कृषि अर्थशास्त्र गवेषणा केन्द्र

†**१५२४. श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन चार कृषि अर्थशास्त्र गवेषणा केन्द्रों की स्थापना की गई है उन स्थानों के क्या नाम हैं;

(ख) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसे और भी केन्द्रों की स्थापना की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)**: (क) चार कृषि अर्थ शास्त्र गवेषणा केन्द्र इन स्थानों पर स्थित हैं:—

(१) दिल्ली स्कूल आफ इकानामिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय , दिल्ली;

(२) विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल,

(३) गोखले इस्टीट्यूट आफ पालिटिक्स एण्ड इकानामिक्स, पूना; और

(४) मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास ।

(ख) जी, हां, द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दूसरे वर्ष में दो कृषि अर्थशास्त्र गवेषणा केन्द्रों की स्थापना करने की प्रस्थापना है ।

(ग) अभी इस बात का निश्चय नहीं किया गया है कि इन नवीन गवेषणा केंद्रों की स्थापना किन स्थानों पर की जायेगी ।

रेलवे क्वार्टर

†**१५२५. चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की रेलवेज में टिकटों की जांच करने वाले कर्मचारियों को आवंटित किये जाने के लिये रेलवे क्वार्टरों का कोई भी अभ्यंश निर्धारित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) भारत में टिकटों की जांच करने वाले कर्मचारियों को अब तक कितने क्वार्टर आवंटित किये जा चुके हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख) किसी भी श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों के लिये कोई क्वार्टर निर्धारित नहीं किये गये हैं। अभ्यर्थियों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और इसमें अनिवार्य कर्मचारियों को गैर अविनवार्य कर्मचारियों पर प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) २१६२।

खाद्यन्नों का आयात

†१५२६. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५२ से १६५५ तक के प्रत्येक पत्री-वर्ष में भारत में जिन खाद्यान्नों का आयात किया गया था उनका कुल परिमाण और मूल्य कितना है;

(ख) इसमें से कितने खाद्यान्नों का आयात भारतीय राष्ट्रीयता वाले वाष्पपोतों द्वारा और कितने का आयात विदेशी राष्ट्रीयता वाले वाष्पपोतों द्वारा किया गया था और भारतीय राष्ट्रीयता वाले वाष्पपोतों तथा विदेशी राष्ट्रीयता वाले वाष्पपोतों को क्रमशः भाड़े की कुल कितनी राशि अदा करनी पडी थी ;

(ग) इन खाद्यान्नों को भारत में लान वाले भारतीय राष्ट्रीयता वाले वाष्पपोतों और विदेशी राष्ट्रीयता वाले वाष्पपोतों की, अलग-अलग, कितनी संख्या थी;

(घ) भारत के विभिन्न बन्दरगाहों पर उतारे गये खाद्यान्नों का परिमाण कितना था; और

(ङ) इन खाद्यान्नों का आयात करने में इन चार वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में भारत सरकार द्वारा डालरों में, स्टर्लिंग और रुपयों में कुल कितना भाड़ा चुकाया गया ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क)

वर्ष	**परिमाण (१००० टनों में)**	**मूल्य (मूल्य और भाडा) (लाख रुपयों में)**
१६५२	३८६४	२०,६०७
१६५३	२००३	८,५६५
१६५४	८३०	४,८५३
१६५५	७००	३,३११

(ख)

वर्ष	**भारतीय राष्ट्रीयता वाले परिमाण भाड़ा**		**विदेशी राष्ट्रीयता वाले [परिमाण भाडा]**	
	(१००० टनों में)	(लाख रुपयों में)	(१००० टनों में)	(लाख रुपयों में)
१६५२	३२८.६	१५६.०	३५३५.४	३६२६.०
१६५३	१२७.५	५२.०	१८७५.५	१०१८.५
१६५४	३२६.३	६७.३	५००.३	१५५.१
१६५५	२०२.६	६५.८	४६७.४	१७०.६

†मूल अंग्रेजी में

(ग)

वर्ष	भारतीय राष्ट्रीयता वाले वाष्पपोतों की संख्या	विदेशी राष्ट्रीयता वाले वाष्पपोतो की संख्या	वाष्पपोतों की कुल संख्या
१९५२	५८	४२३	४८१
१९५३	२२	२१७	२३९
१९५४	५७	६९	१२६
१९५५	३१	६३	९४

(घ) संलग्न विवरण के अनुसार । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४९]**

(ङ) इस सूचना को एकत्र करने में जितना श्रम लगेगा । वह प्राप्त होने वाले परिणाम के सममात्रिक नहीं होगा, इसलिये यह सूचना एकत्र नहीं की जा रही है ।

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण

†**१५२७. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के कलकत्ता स्थित मुख्य कार्यालय और लखनऊ तथा बम्बई स्थित शाखाओं द्वारा १९५५ में कुल कितनी अपीलों का निबटारा किया गया है; और

(ख) दिसम्बर, १९५५ के अन्त तक इन न्यायाधिकरणों के सम्मुख कुल कितनी अपीलें विचाराधीन थीं ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)**: (क) और (ख). संलग्न विवरण में अपेक्षित सूचना दी गयी है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५०]** न्यायाधिकरण का मुख्य कार्यालय बम्बई में स्थित है न्यायाधिकरण की बैंचें मद्रास में भी कार्य कर रही हैं ।

रेलवे पर दावे

†**१५२८. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में १ अप्रैल से नवम्बर १९५५ के अन्त तक की अवधि में कुल कितने दावों का पंजीयन किया गया; और

(ख) इस अवधि के भीतर कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) ४४,०५६ ।

(ख) २४,५३,३०० रुपये ।

गुरदासपुर में तार घर

†**१५२९. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) १९५६ में गुरदास पुर जिले में कितने नये तार घर खोले जाने को हैं और १९५५-५६ में कितने तार घर खोले गये; और

(ख) यह किन किन स्थानों पर खोले जाने को हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). १९५५–५६ में गुरदासपुर जिले में कोई तारघर नहीं खोले गये । किसी भी नये तारघर के लिये कोई स्वीकृत प्रस्ताव भी नहीं है । उस जिले में समस्त उप विभागीय और तहसील स्थानों पर पहले ही से तार सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त हैं । यदि कोई नये प्रस्ताव हों और उन्हें उचित समझा गया, तो उन पर विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मचादा डाक तथा तार घर

†१५३०. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री २६ जुलाई, १६५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सर्कल के मेचादा के संयुक्त डाक और तार घर से होने वाली वार्षिक आय कार्यालय और कर्मचारियों दोनों के लिये विभागीय इमारतों के बनाये जाने को न्यायासंगत सिद्ध करती है;

(ख) हाल में कितने कर्मचारी बढ़ाये गये हैं; और

(ग) १६५५–५६ में उक्त कार्यालय से कितनी आय हुई ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) एक संयुक्त डाक और तारघर की विभागीय इमारत का निर्माण आवश्यक रूप से उस की आय पर निर्भर नहीं करता है किन्तु अन्य बातों पर जैसे कि स्थान की कमी, वर्तमान इमारत की टूटी-फूटी अवस्था, किराये की उपयुक्त इमारत के उपलब्ध न होने, पट्टे की समाप्ति जिस के बाद इमारत का मालिक उसका नवीकरण कराने के लिये तैयार नहीं है इत्यादि पर निर्भर होती है। १५–२–५६ से मेछाडा संयुक्त डाक और तारघर को एक और इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिस में कार्यालय और सब पोस्ट मास्टर के क्वार्टर के लिये उपयुक्त स्थान है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) ११,४५६ रुपये १२ आने ६ पाई।

विदेशो में भारतीयों का प्रशिक्षण

†१५३१. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत १६५५-५६ में कितने व्यक्ति विदेशों में भेजे गये;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम, अर्हतायें और प्रशिक्षण के विषय क्या हैं; और

(ग) क्या उन पर हुये व्यय का कुछ भाग किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वहन किया गया था ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)**: (क) से (ग). जहां तक श्रम मंत्रालय का सम्बन्ध है, अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५१]**

खगरिया-मांसी रेल संपर्क

†१५३२. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खगरिया और मांसी (पूर्वोत्तर रेलवे) बिहार के बीच दुहरी रेलवे लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्ताव की अभी जांच की जा रही है। यदि लाइन की क्षमता बढ़ाने के और कोई साधन उपयुक्त सिद्ध न हुये; केवल तभी दुहरी लाइन बनाई जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

खगरिया रेलवे स्टेशन

†१५३३. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर स्थित खगरिया में टर्मिनल व्यवस्था का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(ख) यदि हां, तो इस के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या मासी में, जो कि खगरिया से केवल पांच मील की दूरी पर है टर्मिनल स्टेशन बनाने के सब प्रबन्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो मांसी के मुकाबले में खगरिया को क्यों चुना गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी, हां ।

(ख) खगरिया में टर्मिनल व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि वर्तमान यातायात और दूसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में खगरिया-मांसी विभाग पर होने वाले प्रत्याशित अतिरिक्त यातायात की आवश्यकतायें पूरी की जा सकें ।

(ग) जी, हां ।

(घ) मांसी में वर्तमान टर्मिनल सुविधाएं ब्रांच लाइन सेवाओं के लिए काफी है । योजना अवधि में होने वाली यातायात की प्रत्याशित वृद्धि के कारण अग्रेतर सुविधाओं की आवश्यकता है जिन की व्यवस्था खगरिया में अधिक अच्छी तरह की जा सकती है ।

रेडियो लाइसेंस

†१५३४. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी १९५५ और १९५६ में कितने रेडियों लाइसेंस जारी किये गये ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : जनवरी १९५५ में ६,४७,८३६ लाइसेंस जारी किये गये थे ।

जनवरी १९५६ में ३,६७,७२० लाइसेंस जारी किये गये । इन में बम्बई, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हल्कों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं, जो कि इकट्ठे किये जा रहे हैं और प्राप्त होने पर तुरन्त ही सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

यह चालू लाइसेंसों की कुल संख्या को नहीं बताते हैं, क्योंकि कुछ नवीकरण बाद के मासों में कराये जाते हैं ।

"अधिक अन्न उपजाओ" योजनायें

†१५३५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नलकूप योजनाओं सहित, "अधिक अन्न उगाओ" योजनाओं के लिये पेप्सू राज्य को उसके बनने की तिथि से १९५६ तक, ऋणों और सहायतानुदान या अनुसहाय के रूप में कुल कितनी राशि दी गई है;

(ख) क्या समूची राशि का उपयोग कर लिया गया है या नहीं ; और

(ग) उपरोक्त प्रयोजनों के लिये अगले वर्ष कुल कितना धन दिया जायेगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) ६२८.६७ लाख रुपये (जिस में बड़े पैमाने के नलकूप कार्यक्रम के लिये दिये गये २१९.५ लाख रुपये भी सम्मिलित हैं ।)

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस समय जो जानकारी उपलब्ध है, वह संलग्न विवरण में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५२]**

(ग) १६५६–५७ के लिये कुल वित्तीय सहायता का अन्तिम अनुमान नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से अग्रेतर जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन

†१५३६. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन में १६५४ में किये गये अधिक समय तक काम (ओवर टाईम) की तुलना में १६५५ में कितना अधिक समय काम किया गया ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : १६५५ में १६,१७,०६६ रुपये अधिक समय तक काम करने (ओवर टाइम) के भत्ते के रूप में दिये गये थे और १६५४ में १०,४०,६५५ रुपये दिये गये।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम

†१५३७. **डा० सत्यवादी** : क्या **श्रम** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में यह दिखाया गया हो कि १६५५–५६ में विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम, बाल नियोजन अधिनियम और मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत कितने अभियोग चलाये गये ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिट १०, अनुबन्ध संख्या ५३]**

छोटी सिंचाई योजनायें (मध्य प्रदेश)

†१५३८. **मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १६५४–५५ में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छोटी सिंचाई योजनाओं पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) ऐसी योजनाओं की संख्या क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) १४७.११ लाख रुपये।

(ख) चार।

बी० सी० जी० के टीके

†१५३६. **मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि १६५४-५५ और १६५५–५६ में विदेशों को निर्यात किये गये बी० सी० जी० वैक्सीन की मात्रा और उसका मूल्य कितना था ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)** : विदेशों को निर्यात किये गये बी० सी० जी० वैक्सीन की मात्रा और मूल्य इस प्रकार हैं :

	मात्रा क्यूबिक सेंटीमीटर्स में	मूल्य
१६५४–५५	३,७२,४३५	रुपये ३७,२४३–८–०
१६५५–५६ (फरवरी १६५६ के अन्त तक)	५,०३,८४५	रुपये ५०,३८४–८–०

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे स्कूल

†१५४१. **श्री गिरधारी भोई** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कान्तावंजी (दक्षिण-पूर्वी रेलवे) में रेलवे कर्मचारियों द्वारा पिछले ११ वर्षों से एक गैर-सरकारी अपर् प्राथमिक स्कूल चलाया जा रहा है;

(ख) क्या उक्त स्कूल को विभागीय तौर पर सरकार द्वारा ले लिये जाने के लिये कोई अभ्यावेदन सरकार को प्रस्तुत किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस स्कूल को विभागीय तौर पर चलाने की प्रस्थापना करती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) एक गैर-सरकारी अपर प्राथमिक स्कूल १९४६ में शुरू किया गया था, वह १९५२ में बन्द हो गया था और फरवरी, १९५५ में पुन: आरम्भ किया गया था ।

(ख) और (ग): कुछ मास पूर्व इस आशय का एक सुझाव एक संसद् सदस्य से प्राप्त हुआ था । मामला विचाराधीन है ।

डालमिया दादरी स्टेशन

†१५४२. **श्री राम कृष्ण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के छोटी लाइन के रेवाडी भटिन्डा-फाजलिका मार्ग पर स्थित डालमिया दादरी स्टेशन को सुधारने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो इन सुधारों का स्वरूप क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में इन सुधारों को करने की प्रस्थापना है :-

(१) प्रतीक्षालय में ४०० वर्ग फीट अतिरिक्त स्थान का उपबन्ध ।

(२) प्लेट फार्म पर आश्रय स्थान का उपबन्ध करना जिसमें १,२५० वर्ग फीट क्षेत्र पर छाया होगी ।

विस्थापित क्षय रोगी

†१५४३. **डा० सत्यवादी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि जब से उनके मंत्रालय ने कार्यभार सम्हाला है तब से १९५५-५६ में जिन विस्थापित क्षय रोगियों को वित्तीय सहायता दी गई है उनकी संख्या क्या है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)** : आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

देख-भाल तथा पुनर्वास केन्द्र

†१५४४. **डा० सत्यवादी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९५६-५७ में क्षय रोगियों की देख-भाल तथा पुनर्वास के कितने केन्द्र प्रारम्भ किये जाने को हैं तथा वह किन स्थानों में स्थित होंगे; इन केंद्रों में कितने रोगियों को रखने की प्रस्थापना है; और

(ग) उनका चयन किस प्रकार किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)** : (क) से (ग). इस योजना के ब्यौरों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

रेलवे इंधन समिति

१५४५. श्री क० सी० सोधिया : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजनों में प्रयोग किये जाने वाले कोयले के बारे में रेलवे ईंधन समिति ने क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं;

(ख) कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गईं और उनमें से कौन-कौन सी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) क्या इन सिफारिशों के परिणामस्वरूप कोयले की खपत में कुछ बचत होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (घ). एक बयान साथ नत्थी है । **[देखिये परिशिट १०, अनुबन्ध संख्या ५४]**

(ख) बयान में दी गयी सभी सिफारिशें मान ली गयी हैं और उन पर अमल किया जा रहा है

(ग) जी, हां ।

मलेरिया रोक-थाम टुकड़ी

†**१५४६. श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इस समय पश्चिम बंगाल में कार्य कर रहे मलेरिया नियंत्रण यूनिटों की संख्या कितनी है

(ख) वह क्षेत्र कौन से हैं जहां उक्त यूनिट कार्य कर रहे हैं; और

(ग) १६५६–५७ में पश्चिम बंगाल के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) १६ ।

(ख) (१) बांकुड़ा
(२) बीरभूम
(३) बर्दवान
(४) कूच बिहार
(५) दिनाजपुर पश्चिम
(६) हुगली
(७) हावड़ा
(८) जलामाई गुड़ी
(९) मालदा
(१०) मिदनापुर उत्तर
(११) मिदनापुर दक्षिण
(१२) मुर्शिदाबाद उत्तर
(१३) मुर्शिदाबाद दक्षिण
(१४) नदिया
(१५) २४–परगना उत्तर
(१६) २४–परगना दक्षिण

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पहले ही से कार्य कर रहे १६ यूनिटों के अतिरिक्त १९५६–५७ में ६ और यूनिट कार्य करने लगेंगे इन ६ अतिरिक्त यूनिटों के अन्तर्गत यह क्षेत्र आयेंगे;

(१) बर्दवान पश्चिम;

(२) तामलुक;

(३) मिदनापुर जिले में झाड़ग्राम सब-डिवीजन;

(४) बैरकपुर;

(५) बसिरहाट; और

(६) २४ परगना जिले में डायमण्ड हार्बर सब-डिवीजन ।

डाक व तार कर्मचारी

१५४७. श्री भक्त दर्शन : क्या **संचार** मंत्री २२ नवम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस बुनियादी सिद्धान्त पर जो कि डाक व तार विभाग के ऐसे कर्मचारियों को दोबारा नौकरी देने के बारे में था, जिन्हें राजनीतिक कारणों पर नौकरियों से अलग कर दिया गया था, अब तक कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस निर्णय की एक प्रति लोक-सभा के टेबल पर रखी जायेगी;

(ग) क्या उल्लिखित प्रश्न के भाग (ख) के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उस जानकारी का सर्किलवार विवरण भी सभा के टेबल पर रखा जायेगा ।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). यह विषय अभी विचाराधीन है ।

(ग) जी हां ।

(घ) एक विवरण-पत्र जिस में मांगी हुई सूचना दी गई है, लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५५]**

रेलवे कर्मशालाओं में चोरियां

†**१५४८. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में रेलवे कर्मशालाओं से चोरी गये सामान का मूल्य;

(ख) उपरोक्त अवधि में कर्मशालाओं से सामान चुराते हुए कितने व्यक्ति पकड़े गये;

(ग) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मामले अभी न्यायालयों में पड़े हुए हैं; और

(घ) कितने व्यक्तियों को दोषी सिद्ध किया गया ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ९६,९१९–१४–० रुपये;

(ख) ६२२;

(ग) ९८;

(घ) ९१ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे स्कूल

†१५४६. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या** उत्तर रेलवे ज़ोन में रेलवे प्रशासन के अधीन सभी स्कूलों में राष्ट्रीय और प्रादेशिक भाषायें पढ़ाई जाती हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) **प्रश्न** उत्पन्न नहीं होता ।

भूतपूर्व मैसूर रेलवे-कर्मचारी

†**१५५०. श्री शिवनंजप्पा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ ने संघ सरकार को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें उन्होंने भूतपूर्व मैसूर रियासत रेलवे पर केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन क्रमों की कार्यान्विति का पुनरीक्षण और परीक्षण करने के लिये एक समिति स्थापित करने और भूतपूर्व मैसूर रेलवे कर्मचारिवृन्द को मैसूर राज्य रेलवे क्षेत्र में ही रखे जाने के लिये अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ज्ञापन में की गई मांगों को कहां तक पूरा कर सकी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) **प्रश्न** उत्पन्न नहीं होता ।

मैसूर में मालगाड़ी के डिब्बे बनाने की कर्मशाला

†**१५५१. श्री शिवनंजप्पा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में सामान्य रूप से मांग की गई है कि वर्तमान केंद्रीय कर्मशाला के सहायक के रूप में मैसूर दक्षिण में माल डिब्बे बनाने की एक कर्मशाला स्थापित की जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नई रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण

१५५२. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री ७ अप्रैल, १६५५ के तारांकित प्रश्न संख्या २०६६ और ६ सितम्बर, १६५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १६४६ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विन्ध्य प्रदेश में सतना, रींवा, गोविन्दगढ़ नई रेलवे लाइनों और पूर्वोत्तर रेलवे पर मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनवरसा लाइनों के सर्वेक्षण पूरे हो गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उनके पूरे होने की सम्भावना कब तक है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सर्वेक्षण के बाद निर्माण-कार्य आरम्भ किये जाने की सम्भावना कब तक है;

(घ) निर्माण-कार्य पर लगभग कितना व्यय होने की सम्भावना है;

(ङ) निर्माण-कार्य में लगभग कितना समय लग जायेगा; और

(च) मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनवरसा लाइन किन-किन महत्वपूर्ण गांवों में से हो कर गुजरेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन):

सतना-रीवा-गोबिन्दगढ़

(क) जी नहीं।

(ख) यातायात सर्वे (सर्वेक्षण) जल्द पूरा हो जायेगा। इंजिनीयरिंग सर्वे अक्तूबर, १९५६ के आस-पास शुरू होगा और अनुमान है कि पांच महीने में पूरा हो जायेगा।

(ग) इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि पहले सर्वे की जांच करनी होगी।

(घ) इस लाइन के बनाने में पूंजी के मद से लगभग २·६४ करोड़ रुपये लग जायेंगे।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

(च) सवाल नहीं उठता।

मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनवरसा

(क) मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवरसा के बीच नयी रेलवे लाइन का सर्वे करने का अभी विचार नहीं है।

(ख) से (च). सवाल नहीं उठता।

अगरतला में सड़कें

†**१५५३. श्री बीरेन दत्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) सन् १९५५–५६ में अगरतला नगरपालिका ने कितनी सड़कों को पक्का किया;

(ख) अभी कितनी सड़कों को पक्का किया जाना बाकी है; और

(ग) इनको कब तक पक्का बनाये जाने की आशा है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) १२ पूर्ण रूप से और चार के कुछ भाग।

(ख) १०।

(ग) लगभग तीन वर्ष में।

मल आदि का इकट्ठा किया जाना

†**१५५४. श्री बीरेन दत्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अगरतला नगरपालिका द्वारा मल आदि के अगरतला की रंजीत नारागर बस्ती के निकट एकत्र किये जाने से वायु के खराब हो जाने के कारण वहां के लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो बस्ती के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) पूछ ताछ से पता चलता है कि मामला इस प्रकार का नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सब्जी के बीजों का आयात

†**१५५५. डा० डी० रामचन्द्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार १६५३ से पहले प्रतिबन्धित, विदेशी सब्जी के बीजों के आयात की अनुमति दे रही है;

(ख) क्या युद्ध के वर्षों में काश्मीर में खोला गया बीज उत्पादन केन्द्र अब भी चल रहा है; और

(ग) क्या कुल्लू घाटी के केन्द्रीय वनस्पति अभिजनन केन्द्र ने भारत में पाई जाने वाली विभिन्न जलवायु की दशाओं के लिये उपयुक्त नस्लों का विकास कर लिया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)**: (क) जी, हां । १०० प्रतिशत सामान्यता और १०० प्रतिशत सुलभता के आधार पर, 'स्नोबॉल' (श्वेत) किस्म की फूलगोभी के बीजों के आयात की अनुमति दी जाती है । अन्य किस्मों की सब्जियों के बीजों के लिये संस्थापित आयातव्यों और पौधशालाओं जैसे उपभोक्ताओं के प्रार्थना पत्रों पर तदर्थ आधार पर विचार किया जाता है ।

(ख) जी, हां । भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् द्वारा वित्तपोषित एक योजना के अन्तर्गत काश्मीर में यूरोपीय ढंग की चुनी हुई सब्जियों के बीजों के उत्पादन का कार्य चल रहा है ।

(ग) कुल्लू घाटी के केन्द्रीय वनस्पति अभिजनन केन्द्र द्वारा किया गया अभी तक का कार्य मुख्यतः विदेशों से आयात की गई यूरोपीय ढंग की कुछ सब्जियों के केंन्द्राधार बीजों के उत्पादन से ही सम्बंधित रहा है । विभिन्न जलवायुओं की दशाओं के लिये उपयुक्त वनस्पतियों की नस्लों के विकास का कार्य केन्द्र ने अब आरम्भ किया है ।

चीनी के कारखाने का स्थानान्तरण

†**१५५६. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित रज़ाबुलन्द समूह के चीनी के कारखानों में से एक कारखाने को किसी अन्य स्थान पर ले जाने की अनुमति देने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने को किस स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव किया गया है;

(ग) क्या सरकार को इस कारखाने के कथित स्थानांतरण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले को विलासपुर कृषिकर संस्था से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई निर्णय किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : जी, हां; रज़ा शुगर फैक्टरी को ।

(ख) बड़ौत जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) ।

(ग) जी, हां ।

(घ) अभी तक नहीं ।

(ङ) शीघ्र ही निर्णय किये जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संवरण और असंवरण पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया

†**१५५७. श्री नम्बियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलवेज़ में संवरण और असंवरण अघोषित पदों पर पदोन्नति करने के लिये अपनाई जा रही प्रक्रिया का ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : एक विवरण संलग्न है, । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५६]**

यात्री सुविधायें

†**१५५८. श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इसकी जानकारी है कि अधिकाधिक यात्री यातायात होते हुए भी टकुरिया स्टेशन (पूर्व रेलवे) में यात्री सुविधाओं का अभाव है; और

(ख) क्या इस मामले की जांच की जा रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । एक कार्यक्रमिक आधार पर सुधारों की योजना बनाई जा रही है, जिसमें प्लेटफार्मों पर सायबानों और संडासों की व्यवस्था भी सम्मिलित है । रेलवे उपभोक्ता सुविधा समिति के अनुमोदन पर इन निर्माण कार्यों के १९५७–५८ के निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिये जाने की आशा है ।

निम्ता में सार्वजनिक टेलीफोन

†**१५५९. श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि निम्ता डाक घर में एक सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिये उत्तर डमडम नगरपालिका करदाता संस्था (पश्चिम बंगाल) का प्रार्थना पत्र दो वर्ष से भी अधिक समय से विचाराधीन पड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की आशा है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) प्राय: सन् १९५३ के अन्त में वह प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था ।

(ख) सितम्बर, १९५६ तक वहां एक सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोल दिये जाने की सम्भावना है ।

उदयपुर में डाक मुख्यालय

†**१५६०. श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उदयपुर को राजस्थान में जिला डाक मुख्यालय का एक स्थान बनाना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो कब तक उसके आरम्भ हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) विहित विभागीय मानदण्डों के अनुसार, यह प्रस्ताव समर्थनीय नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'स्वविवेक निधि'

१५६१. श्री भक्त दर्शन : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री वित्तीय वर्ष १९५५–५६ में मंत्रालय की "स्वविवेक निधि" से दिये गये अनुदानों की राशियां तथा वह मदें, जिनके लिये यह अनुदान दिये गये, दिखाने वाला एक विवरण सभा के टेबल पर रखने की कृपा करेंगी ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५७]**

जनाना डिब्बे

†**१५६२. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १४ अप्रैल, १९५६ के **स्टेट्समैन** के दिल्ली संस्करण में, "केवल स्त्रियां" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक पत्र की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में ऐसी अशोभनीय घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कोई उपाय करने की प्रस्थापना करती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) रेलवे कर्मचारियों को जनाने डिब्बों में से पुरुष यात्रियों को निकाल देने के आदेश दे दिये गये हैं और रेलवेज़ से कहा जा रहा है कि वह यह देखें कि इन अनुदेशों का पालन किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	...	१८८६–१९०७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७७३	तीसरे दर्जे के डिब्बे में सोने की जगह	१८८६–८७
१७७४	फसलों का संरक्षण	१८८७–८८
१७७६	संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि	१८८८–८९
१७७९	भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति	१८८९–९०
१७८१	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन	१८९०–९१
१७८२	मार्ग-निर्माण ...	१८९१–९२
१७८३	परिचर्या ...	१८९२–९४
१७८४	भारतीय भैषजिकी परिषद्	१८९४–९५
१७८५	हैरोन विमान ...	१८९५–९७
१७८६	मार्ग परिवहन निगम	१८९७–९८
१७८७	पर्यटन	१८९८–९९
१७८८	रेलवे पोस्टर ...	१८९९–१९००
१७८९	जिप्सम के लिये माल-डिब्बे	१९००
१७९१	मादा जानवर रोग विज्ञान	१९००–०१
१७९२	गन्ना	१९०१–०२
१७९३	बिहार में चीनी की मिलें	१९०२–०३
१७९५	अलगेशन समिति	१९०३–०४
१७९७	होटल सम्बन्धी प्रशिक्षण	१९०४–०५
१७९८	चावल की विशेष किस्म	१९०५
१७९९	दूसरा कृषक फोरम	१९०५–०६
१८०१	जीव-जन्तुओं का संरक्षण ...	१९०६
१८०२	चिकित्सा सहायता गाड़ी ...	१९०६–०७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१९०७–२३
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७७५	नार्वे की मत्स्यपालन योजना	१९०७
१७७७	भारतीय श्रम सम्मेलन	१९०७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१७७८	पैंसिलिन	१६०७–०८
१७८०	बिहार को वित्तीय सहायता	१६०८
१७६०	कलकत्ता में कर्मचारियों की छंटनी	१६०८
१८६६	सिंगरेनी कोयला खदान	१६०८
१८०३	सिंगरेनी कोयला खदान ...	१६०६
१८०४	गाड़ियों के लिये अणुशक्ति ...	१६०६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१५२३	अमृतसर मेल डाक-गाड़ी के यात्री	१६०६–१०
१५२४	कृषि अर्थशास्त्र गवेषणा केन्द्र	१६१०
१५२५	रेलवे क्वार्टर	१६१०–११
१५२६	खाद्यान्नों का आयात ...	१६११–१२
१५२७	श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण	१६१२
१५२८	रेलवे पर दावे	१६१२
१५२६	गुरदासपुर में तार घर ...	१६१२
१५३०	मेचादा डाक तथा तार घर	१६१३
१५३१	विदेशों में भारतीयों का प्रशिक्षण ...	१६१३
१५३२	खगरिया मांसी रेल संपर्क	१६१३
१५३३	खगरिया रेलवे स्टेशन	१६१४
१५३४	रेडियो लाइसेंस	१६१४
१५३५	अधिक अन्न उगाओ योजनायें	१६१४–१५
१५३६	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन	१६१५
१५३७	न्यूनतम मजूरी अधिनियम	१६१५
१५३८	छोटी सिंचाई योजनायें (मध्य प्रदेश)	१६१५
१५३६	बी० सी० जी० के टीके	१६१५
१५४१	रेलवे स्कूल	१६१६
१५४२	डालमिया दादरी स्टेशन	१६१६
१५४३	विस्थापित क्षय रोगी	१६१६
१५४४	देख भाल तथा पुनर्वास केन्द्र	१६१६–१७
१५४५	रेलवे ईंधन समिति	१६१७
१५४६	मलेरिया रोक थाम टुकड़ी	१६१७–१८
१५४७	डाक व तार कर्मचारी	१६१८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१५४८ रेलवे कर्मशालाओं में चोरियां १९१८
१५४९ रेलवे स्कूल — — १९१९
१५५० भूतपूर्व मैसूर रेलवे कर्मचारी १९१९
१५५१ मैसूर में माल गाड़ी के डिब्बे बनाने की कर्मशाला १९१९
१५५२ नई रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण १९१९–२०
१५५३ अगरतला में सड़कें १९२०
१५५४ मल आदि का इकट्ठा किया जाना १९२०–२१
१५५५ सब्जी के बीजों का आयात १९२१
१५५६ चीनी के कारखाने का स्थानान्तरण १९२१
१५५७ संवरण और असंवरण पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया ... १९२२
१५५८ यात्री सुविधायें १९२२
१५५९ निम्ता में सार्वजनिक टेलीफोन १९२२
१५६० उदयपुर में डाक मुख्यालय १९२२
१५६१ स्वविवेक निधि १९२३
१५६२ जनाना डिब्बे १९२३

M49LSD—000-22-7-57—GIPF

खण्ड ४ — अंक ५३
२७ अप्रैल, १९५६ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

(XII Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ४ में अंक ४६ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[खण्ड ४—१८ अप्रैल से ८ मई, १९५६]

अंक ४६—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४३३–३४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२४३४–३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन ...	२४३५
कार्य मंत्रणा समिति—	
बत्तीसवां प्रतिवेदन	२४३५–३७
जम्मू तथा कश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक	२४३७
राज्य पुनर्गठन आयोग ...	२४३७–३८
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ...	२४४३
विनियोग (संख्या २) विधेयक ...	२४४३
संविधान (छठा संशोधन) विधेयक	२४३९–४३
नियम समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन ...	२४८५
वित्त विधेयक	२४४४–८५
विचार करने का प्रस्ताव ...	२४४४
दैनिक संक्षपिका	२४८६

अंक ४७—शुक्रवार, २० अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४८७–८९
विनियोग (संख्या २) विधेयक	२४८९–९०
वित्त विधेयक ...	... २४९०–२५११
विचार करने का प्रस्ताव	२४९०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन	२५११
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४२९ का संशोधन)	२५१२–२३
विचार करने का प्रस्ताव	२५१२
विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन)	२५२४–३०
विचार करने का प्रस्ताव ...	२५२४
दैनिक संक्षेपिका	२५३१

अंक ४८—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में याचिकायें	२५३३

वित्त विधेयक २५३३–२६०२
विचार करने का प्रस्ताव २५३३
खण्ड २ से ३७ तक, अनुसूचियां १ से ४ और खण्ड १ ... २५५३–२६००
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... २६००
कार्य मंत्रणा समिति—
तैतीसवां प्रतिवेदन ... २६०२
विनियोग (संख्या २) विधेयक २६०२–०५
विचार करने का प्रस्ताव २६०२
खण्ड १ से ३ और अनुसूची ... २६०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २६०५
दैनिक संक्षेपिका २६०६

अंक ४९—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

कार्य-मंत्रणा समिति—
तैतीसवां प्रतिवेदन २६०७–०८
नियम ९२ के प्रथम परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव ... २६०८–१७
राज्य पुनर्गठन विधेयक २६१७–५९
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २६१७
दैनिक संक्षेपिका २६६०

अंक ५०—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य का बंदीकरण २६६१
सभा-पटल पर रखा गया पत्र २६६२
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २६६२–९६
दैनिक संक्षेपिका २६९७

अंक ५१—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
कुछ प्रदर्शन-कर्त्ताओं का बंदीकरण ... २६९९–२७००
सभा का कार्य २७००–०१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २७०१
नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७०८
राज्य-पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७०१–०७, २७०८–४७
दैनिक संक्षेपिका २७४८

अंक ५२—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्राक्कलन समिति—
पच्चीसवां प्रतिवेदन २७४९

नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७४९–५९
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २७५९–६९
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७६९–९४
राज्य सभा से सन्देश २७९४
दैनिक संक्षेपिका २७९५

अंक ५३—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २७९७
सदस्य की नजरबन्दी २७९७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के बारे में याचिका २७९७
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७९८–२८२१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ... २८२१–३०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २८३१
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ... २८३१
व्यक्ति की आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प ... २८४७
राज्य-सभा से सन्देश २८४७
श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में आधे घण्टे की चर्चा २८४७–५२
दैनिक संक्षेपिका ... २७५३–५४

अंक ५४—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... २८५५
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २८५५
राज्य-सभा से सन्देश २८५६
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक २८५६
प्राक्कलन समिति—
छब्बीसवां प्रतिवेदन २८५६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
युद्ध सामग्री कारखानों में छटनी ... २८५६–५८
सरकार की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य २८५८–६५
सभा का कार्य २८६५–६६
मनीपुर राज्य पहाड़ी-लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन)
विधेयक २८६६–७०
मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों के ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक २८७०

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २८७०–२९१६
जीवन बीमा निगम विधेयक २९१६
सीमेण्ट के बारे में आधे खण्टे की चर्चा २९१८–२४
दैनिक संक्षेपिका २९२५–२६

अंक ५५—मंगलवार, १ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २९२७
विधान-मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक ... २९२७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २९२८–७७
दैनिक संक्षेपिका २९७८

अंक ५६—बुधवार, २ मई, १९५६

समिति के लिये निर्वाचन—
राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संघ सम्पर्क समिति २९७९–८०
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक २९८०
राज्य-सभा से संदेश ३०१९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव २९८०–३०१८, ३०१९–२७
खण्ड २ से ५ तक ... २९८९–३०२७
दैनिक संक्षेपिका ... ३०२८

अंक ५७—गुरुवार, ३ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०२९
राज्य-सभा से सन्देश ३०२९–३०
सभा का कार्य ... ३०३०–३१
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३०३१–३२
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—
संशोधन जिसकी राज्य-सभा द्वारा सिफारिश की गयी ... ३०३३–३६
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
खण्ड ५, ६ और ४ ... ३०३६–८७
दैनिक संक्षेपिका ३०८८

अंक ५८—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

सभा का कार्य ३०८९–९०, ३१३६–३७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—
खण्ड ७ से १० तक ३०९०–३१२९
कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा) ५१, ५४ और ५९ का संशोधन) ३१२९
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन) ३१२९–३३

विधान मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३१३३–३६, ३१३७–४६
खण्ड २ से ४ तक और खण्ड १ ... ... ३१३५–३६, ३१३७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३१४६
खान (संशोधन) विधेयक (धारा ३३ और ५१ का संशोधन)—
विचार करने का प्रस्ताव ३१४६–४८
दैनिक संक्षेपिका ३१४९

अंक ५९—सोमवार, ७ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३१४९–५०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३१५०
राज्य-सभा से सन्देश ३१५०
भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन)विधेयक ३१५०
कार्य मंत्रणा समिति—
चौंतीसवां प्रतिवेदन ३१५१
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
चौदहवां प्रतिवेदन ३१५१
प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का विवरण ... ३१५१
खण्ड ४, अंक २ ... ... ३१५१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ३१५१–३२०४
खण्ड १० से २५ तक और अनुसूची ३१५१–३२०४
दैनिक संक्षेपिका ३२०५–०६

अंक ६०—मंगलवार, ८ मई, १९५६

सदस्य की रिहाई ... ३२०७
सदस्यों का बन्दीकरण ३२०७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ... ३२०७–७७
खण्ड २५ से ३३ तक और १ ... ... ३२०७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३२७७
दैनिक संक्षेपिका ३२७८

M132LSD—190—24-3-58—GIPF.

विषय-सूची

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७९७
सदस्य की नजर बन्दी ...	२७९७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के बारे में याचिका ...	२७९७
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	२७९८–२८२१
श्री टेक चन्द ...	२७९८–९९
श्री यू० एम० त्रिवेदी	२७९९–२८००
श्री सी० सी० शाह	२८००–०१
पंडित ठाकुर दास भार्गव ...	२८०२–०७
श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्	२९०७–०८
श्री पाटस्कर	२८०८–११
श्री टण्डन ...	२८११–१४
श्री वी० पी० पवार	२८१४–१५
पंडित जी० बी० पन्त	२८१५–१९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव	२८२१–३०
श्री पाटस्कर	२८२१–२३
श्री वी० जी० देशपांडे	२८२३–२४
पंडित ठाकुरदास भार्गव	२८२४–२५
श्री एस० एस० मोरे	२८२५–२६
श्री साधन गुप्त	२८२६–२७
श्रीमती शिवराजवती नेहरू	२८२८–३०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
ईक्यावनवां प्रतिवेदन	२८३१
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प— ...	२८३१
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	२८३१–३३, ४६–४७
श्री कौट्टुकप्पल्ली	२८३३–३४
श्री मात्तन ...	२८३४–३६
श्री वी० पी० नायर	२८३६–३८
श्री भागवत झा आज़ाद ...	२८३८–४०
श्री ए० एम० थामस ...	२८४०–४१
श्री डी० सी० शर्मा	२८४१–४२
श्री ए० सी० गुह	२८४२–४६
व्यक्ति की आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प—	२८४७
श्री विभूति मिश्र	
राज्य सभा से सन्देश	२८४७
श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	२८४७–५२
दैनिक संक्षेपिका	२८५३–५४

लोक-सभा

शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

११-३० म० पू०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

अनुदानों की मांगों (रेलवे), १९५६–५७ के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तरों के विवरण

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री** (**श्री अलगेशन**) : मैं अनुदान (रेलवे) १९५६–५७ के लिये अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त हुये कतिपय ज्ञापनों के उत्तरों के कतिपय विवरणों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५८**]

सदस्य की नजर बन्दी

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि मुझे कलकत्ता के मुख्य प्रेसीडेंसी दण्डाधिकारी की ओर से २४ अप्रैल १९५६ का पत्र मिला है जिसमें यह बताया गया है कि लोक-सभा के सदस्य श्री तुषार चटर्जी को २३ अप्रैल १९५६ को भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४३/१४५/१८६ पश्चिमी बंगाल सुरक्षा अधिनियम की धारा ११ के अधीन प्रेसीडेंसी जेल अलीपुर कलकत्ता में ५ मई १९५६ तक के लिये नजरबन्द किया गया है।

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के बारे में याचिका

†**डा० रामा राव** (काकिनाडा) : मैं हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के सम्बन्ध में एक याचिका प्रस्तुत करना चाहता हूं जिस पर ३१२७ लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—(जारी)

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा संविधान (नवां संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी। माननीय मंत्री कितना समय लेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त)** : मुझे १–३० के आस पास पर बुलाया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो वे आध घंटा का समय लेंगे। अब श्री टेक चन्द भाषण जारी रखें।

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला –शिमला) : मैं कल कह रहा था कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच में न्यायाधीशों का स्थानान्तरण बहुत आवश्यक है। इस से न्यायाधीशों को स्वतन्त्र निर्णय देने में सहायता मिलेगी और इसका स्वागत न केवल विधि जीवी वरन् मुकदम्मेबाज भी करेंगे।

भरती के सम्बन्ध में सरकार अनुभव करती है कि अधिक निश्चित मान दण्ड होने चाहियें। नागरिकों के अधिकार और स्वतन्त्रतायें स्वतन्त्र, विद्वान और सत्य निष्ठ लोगों के हाथ में सुरक्षित होती है जो बिना पक्षपात के न्याय करते हैं। न्यायपालिका के सम्बन्ध में पक्षपात अथवा द्वेष के विषय में तनिक भी सन्देह होने पर समाज की शांति में व्यवधान पैदा हो जाता है। स्थानान्तरण को प्रोत्साहन देना लाभदायक है।

परन्तु विधेयक के एक सुझाव के सम्बन्ध में सन्देह है। आप उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उन न्यायालयों में कार्य करने को अनुज्ञा देना चाहते हैं जहां उन्होंने काम नहीं किया हो। मेरा निजी मत तो यह है कि उनका वेतन बढ़ा देना चाहिये ताकि सेवा निवृत्ति के पश्चात् वे सम्मानपूर्ण और सुविधापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। आप उच्चतम न्यायालय के मामले में सेवा निवृत्ति काल में दो वर्ष की वृद्धि कर सकते हैं। परन्तु वे लोग अधिवक्ता के रूप में कार्य करें यह सम्मानपूर्ण नहीं हैं।

मैं अनुभव करता हूं कि इस देश के समक्ष एक बड़ी कठिनाई यह है कि उच्च न्यायालयों में बहुत अधिक अवशिष्ट मामले हैं। इससे न्याय में देरी होती है और कुछ मामलों में देरी अन्याय के समान होती है। न्याय में दक्षता और शीघ्रता दोनों होनी चाहिये। जो सुझाव बनाये गये हैं उनसे कठिनाई दूर नहीं होती। अस्थायी अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रयोग हाल ही में विभिन्न न्यायालयों में किया गया है। परन्तु अधिक मत इस पद्धति के विरुद्ध है। तदर्थ आधार पर सेवा निवृत्ति प्राप्त न्यायाधीशों को लेने का उपबन्ध संविधान में है। परन्तु कुछ लोग नवयुवकों को लेने के पक्ष में हैं। अब आप जिला न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीश बना रहे हैं। इंग्लैंड जैसे लोकतन्त्र देशों में विधि जीवियों में से ही न्यायाधीश चुने जाते हैं। एक जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय में उतनी स्वतन्त्रता से कार्य नहीं कर सकता जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिये आवश्यक होती है।

फिर निश्चय ही यह प्रश्न होता है कि आप उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश लें। परन्तु आप संविधान के अनुच्छेद २२२ के खण्ड (२) को हटा कर स्थानान्तरित होने वाले न्यायाधीशों का भत्ता छीन रहे हैं। तब तो न्यायाधीश स्थानान्तरित नहीं होंगे।

न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में एक असंगति है जो समझ में नहीं आती। आप स्थायी न्यायाधीशों पर यह प्रतिबन्ध लगा रहे हैं कि वे अधिवक्ता का कार्य नहीं कर सकते। यह प्रतिबन्ध अस्थायी न्यायाधीशों पर भी लागू होना चाहिये। जो व्यक्ति कुछ काल के लिये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहे आप उसे उसी न्यायालय में अभियोगी या अभियुक्त का पक्ष लेने के लिये अनुज्ञा दे रहे हैं। यह ठीक नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयक में आप न्यायिक आयुक्त के न्यायालयों को रखे रखने की अनुज्ञा दे रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। प्रत्येक अभियोक्ता और अभियुक्त को ऐसे न्यायाधीश से न्याय प्राप्त हो जिस की दक्षता और योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हो। परन्तु हिमाचल प्रदेश का न्यायिक आयुक्त जिला न्यायाधीश के स्तर का है। मुझे विश्वास है कि न्याय के विषय में नीति और आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये।

न्यायिक आयुक्त स्थान-स्थान पर जाकर न्याय करता है। इसे एक वांछनीय विशेषता कह सकते हैं और ऐसा किया जा सकता है उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश दूर-दूर प्रदेश के दौरे पर भेजा जाये। एक प्रदेश के लिये एक ही व्यक्ति का न्यायिक आयुक्त न्यायालय रखना ठीक नहीं है।

पंजाब और एक या दो अन्य राज्यों के लिये प्रादेशिक समितियों के उपबन्ध किये गये हैं। प्रादेशिक समितियों का काम भली प्रकार चले इस के लिये आवश्यक है कि उनकी शक्तियों पर प्रतिबन्ध हो। किसी भी राज्य का कोई मंत्री प्रादेशिक समिति का सदस्य नहीं होना चाहिये क्योंकि उससे उसकी निष्ठा विभाजित हो जायेगी। इस से मंत्रिमंडल के संयुक्त उत्तरदायित्व को क्षति पहुंचेगी। ऐसे उपबन्धों की व्यवस्था करनी चाहिये कि विशेष प्रदेश के संसद् सदस्य उस में लिये जायें ताकि वे अपना परामर्श दे सकें।

कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधान मंडल हैं। अनुभव से पता चलता है कि द्विसदनीय विधान मंडलों की आवश्यकता नहीं है। उन से शांति की बजाय संघर्ष पैदा होता है। एक सदनीय विधान मंडलों वाले राज्यों में भी ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति उपलब्ध हैं और वहां के मंत्रि मंडलों के निश्चय श्रेष्ठ हैं। दूसरे सदन के नियन्त्रण की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : इस पवित्र संविधान में पिछले पांच वर्षों में ही बहुत परिवर्तन कर दिये गये हैं, जिसे कि छः वर्ष पूर्व कठिन परिश्रम के पश्चात पारित किया गया था। यह संविधान (नवम संशोधन) विधेयक इस सभा का अपमान है। इस विधेयक में राज्य पुर्नगठन विधेयक के बारे में राज्य पुनर्गठन अधिनियम शब्द प्रयोग किये गये हैं जब कि वह विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ।

भले ही सरकार को यह विश्वास हो कि वे उस विधेयक को पारित कर देंगे, परन्तु फिर भी अधिनियम शब्द का प्रयोग सभा का अपमान है और आने वाली पीढ़ियों के लिये बुरी परम्परा है।

राज्य पुनर्गठन विधेयक के अनुसार समाप्त किये जाने वाले राज्यों के उच्च न्यायालय भी समाप्त हो जायेंगे। परन्तु इस बात का कोई उपबन्ध नहीं किया गया कि न्यायाधीशों की सेवाओं का क्या होगा। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये और मध्य भारत उच्च न्यायालय के सदस्यों के भविष्य के बारे में बताना चाहिये।

अनुच्छेद २२० के संशोधन में जो अधिकार दिया गया है उसक लिये उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश मांग किया करते थे। परन्तु क्या यह अधिकार देना ठीक है? जो उच्च न्यायालय समाप्त किये जायेंगे उनके न्यायाधीशों को मुक्त कर दिया जायेगा कि वे विभिन्न उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता का कार्य करें। अतः वे उन्हीं लोगों के समक्ष जा कर मुकदमा लड़ेंगे जिन के साथ वे काम करते रहे हैं। क्या यह वांछनीय है?

राज्यों का क, ख, ग वर्गीकरण समाप्त किया जा रहा है। तब यह समझ में नहीं आता कि केरल, मैसूर और राजस्थान के न्यायालयों और अन्य न्यायालयों में भेद क्यों रखा गया है। क्या यह इस लिये है कि केरल, मैसूर और राजस्थान छोटे राज्य हैं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति

---

†मूल अंग्रेजी मे

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

उन एक ही अर्हताओं के आधार पर होती है, जो न्यूनतम अर्हतायें संविधान में उपबंधित है। अतः यह भेद-भाव ठीक नहीं है। विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में जो विभेद किया जा रहा है उसे दूर किया जाना चाहिये। जोधपुर अथवा जयपुर तथा लखनऊ और इलाहाबाद के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में क्या अन्तर है। केरल, मैसूर और राजस्थान के उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में जो विभेद किया गया है उसे विधेयक का अंग नहीं बनाया जाना चाहिये।

जम्मू और काश्मीर को प्रथम अनुसूची में राज्य संख्या १५ माना गया है परन्तु अनुच्छेद ३७० और २३८ के उपबन्धों को नहीं हटाया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हो जाने के बाद अनुच्छेद २३८ बेकार हो जायेगा। यह उपबन्ध किया जाना चाहिये कि इस सम्बन्ध में अनुच्छेद ३७० लागू न हो। यदि जम्मू और काश्मीर भारत का अंग बन गये हैं तो ऐसा किया जाना आवश्यक है।

मैं भाषा के आधार पर देश को बांटने के विरुद्ध हूं। इसके कारण बहुत सी अप्रिय घटनायें घटी हैं। मंत्री आदि हिन्दू महा सभा और जन-संघ पर जातीयता का आरोप लगाते हैं परन्तु बम्बई में जो घटना हुई उसके लिये कांग्रेस ही दोषी है। भाषावार राज्यों के कारण नागरिकों में सद्भाव कम हो गया है। उड़ीसा, बिहार और गुजरात आदि में इस दृष्टि से बड़ी क्षति हुई है। बम्बई पर महाराष्ट्रियों का दावा है। ब्रिटिश काल में बम्बई में अच्छा शासन था यद्यपि वहां विभिन्न संस्कृति और भाषा बोलने वाले नागरिक रहते थे। आज गुजराती और महाराष्ट्री एक दूसरे का गला काटने को उद्यत हैं।

देश में एकीय शासन स्थापित करने का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? संविधान के अनुसार इसी शासन की कल्पना की गई है। केन्द्र को शक्तिशाली बनाने के स्थान पर, जो समस्त देश को एकता प्रदान करता, हम भाषावार राज्य बना रहे हैं। जिस के कारण हम में फूट उत्पन्न हो गई है। पाकिस्तान में विभिन्न भाषा भाषियों के लिये शासन की एक एकाई बनाई गई है। एकीय शासन से अपव्यय कम हो जाता है। कुछ लोग पद की चाह के कारण ही छोटे राज्य चाहते हैं।

सामान्य निर्वाचन होने से पूर्व हमने देश के विभाजन का निश्चय कर लिया है। यह देश की भलाई के लिये नहीं अपितु अन्य कारणों से किया गया है।

†**श्री सी० सी० शाह** (गोहिलवाड सोरठ): श्री कामत ने अपने संशोधन संख्या ३ के अनुसार यह चाहा है कि नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार सभा को रहे, अध्यक्ष को नहीं। विधेयक को समिति को सौंपने के प्रस्ताव का प्रमाणी रूप यही है। उसमें परिवर्तन यदा-कदा ही किया जा सकता है। इस संशोधन से प्रकट होता है कि सदस्य को अध्यक्ष पर विश्वास नहीं है। मुझे आशा है कि सभा इन संशोधनों को एकमत से अस्वीकार करेगी। ऐसा करने से ही स्वस्थ परम्परायें बनी रह सकेंगी।

संविधान नवम् संशोधन विधेयक में दो प्रकार के उपबन्ध किये गये हैं। एक प्रकार के उपबन्ध राज्यों के क्षेत्रीय पुनर्गठन से सम्बन्धित हैं और दूसरे वे हैं जो संविधान पृष्ठ संशोधन विधेयक में रखे गये हैं।

खण्ड १२ के अनुसार अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों पर से वकालत करने के बारे में प्रतिबन्ध आंशिक रूप से हटा लिया गया है। जब किसी वकील को न्यायाधीश बनाया जाये तो उसे धन की चिन्ता न कर एक सम्मान की वस्तु समझनी चाहिये। मैं समझता हूं कि अब तक जो प्रतिबन्ध लगा था उसके कारण हम अच्छे न्यायाधीश नहीं चुन सके। इस विषय में हमारे देश में इंग्लैंड जैसी परम्परायें स्थापित

†मूल अंग्रेजी में

हो जानी चाहिये जिस से कोई भी वकील न्यायाधीश बनने से इन्कार न कर सके । हम न्यायाधीशों को काफी वेतन देते हैं । अतएव अच्छे न्यायाधीश चुनने में हमें कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

न्यायाधीशों के स्थानान्तरण सम्बन्धी खण्ड १३ हटाया जा रहा है । यह अच्छी बात है । राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस सम्बन्ध में कहा है कि उच्च न्यायालयों में कम से कम एक तिहाई न्यायाधीश अन्य राज्यों से भर्ती किये जाने चाहियें । मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि अनुच्छेद २२१ के अधीन राष्ट्रपति न्यायाधीशों का स्थानान्तरण करायेंगे और स्वस्थ परम्परायें स्थापित करेंगे ।

काम अधिक होने पर राष्ट्रपति अतिरिक्त न्यायाधीश अथवा स्थानापन्न न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है । राष्ट्रपति को अनुच्छेद २२४ के अधीन इतने न्यायाधीश नियुक्त करने चाहिये, जिस से निलम्बित मामले कम समय में निबटाये जा सकें ।

खण्ड ४५ के अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र और बम्बई के लिये एक उच्च न्यायालय का उपबन्ध किया गया है । बम्बई का उच्च न्यायालय एक बहुत अच्छा न्यायालय है । देश में शक्तिशाली और स्वतन्त्र न्यापालिका का होना आवश्यक है । मेरा सुझाव है कि इन तीनों क्षेत्रों के लिये बम्बई उच्च न्यायालय रखा जाये । इस बात को राजनीतिक महत्व न दिया जाये । मैं संयुक्त समिति से अपील करूंगा कि वह इस उपबन्ध को बनाये रखे । यदि हमारे महाराष्ट्र के मित्र ऐसा न चाहें तो मैं उन पर दबाव नहीं डालूंगा । बम्बई विधान-सभा ने एक मत से यह संशोधन स्वीकार किया है कि उन तीनों क्षेत्रों के लिये तीन उच्च न्यायालय हों । हम उससे सहमत हैं क्योंकि, यद्यपि बम्बई संघ राज्य क्षेत्र है फिर भी इस में उच्च न्यायालय होना चाहिये । इसके लिये संविधान के अनुच्छेद २१४ में संशोधन करना पड़ेगा ताकि बम्बई का संघ राज्य क्षेत्र उच्च न्यायालय स्थापित करने के प्रयोजन से राज्य समझा जाये ।

संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में पहले संसद् को उसकी शासन-व्यवस्था के लिये विधि द्वारा उपबन्ध करने की शक्ति दी गई थी । अब यह शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है । यह शक्ति संसद् को दी जानी चाहिये ।

क्षेत्रीय समितियों के गठन आदि के लिये राष्ट्रपति को विनियम बनाने की शक्ति देने का उपबन्ध किया गया है । इन समितियों का बड़ा महत्व है । वास्तव में वे छोटे विधान मण्डल के रूप में होंगी । इस सम्बन्ध में शक्तियां राष्ट्रपति को नहीं अपितु संसद् को दी जानी चाहियें क्योंकि राष्ट्रपति सरकार द्वारा बताई गई रीति से सब कार्य करता है ।

मध्य-भारत, पेप्सू और सौराष्ट्र के उच्च न्यायालय तोड़ दिये जायेंगे । गृह-कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि भारत का मुख्य न्यायाधिपति उन न्यायाधीशों की सेवाओं और योग्यताओं का ध्यान रखेगा तथा उनके लिये पर्याप्त व्यवस्था करेगा । यह सम्भव नहीं कि उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीश नये राज्यों के न्यायालयों में न्यायाधीश बन जायेंगे । परन्तु मुझे आशा है कि इससे उन्हें कोई क्षति नहीं होगी और उन्हें उतना ही वेतन आदि मिलता रहेगा ।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और अवर न्यायाधिपतियों के वेतन में जो विभेद किया गया है वह अच्छा नहीं है । भाग (क), (ख) राज्य का भेद मिटा दिया गया है । अतएव केरल, मैसूर, और राजस्थान के उच्च न्यायालयों को जो हीन स्थान दिया गया है, उसे मिटाया जाना चाहिये । उनके निर्णय उतने ही मान्य होते हैं जितने अन्य उच्च न्यायालयों के । यदि आप उनको कम वेतन देंगे तो उत्तम व्यक्ति नहीं मिल सकेंगे । समता स्थापित करने से विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानान्तरण भी किया जा सकेगा । यदि हम सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब उच्च न्यायालयों का समान स्थान है तो न्यायाधीशों के वेतन में भेद करना ठीक नहीं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): जनाब स्पीकर साहिब, यह जो कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट बिल (संविधान संशोधन विधेयक) इस हाउस के अन्दर पेश है, इस के अन्दर कई एक फीचर्स ऐसे हैं जिन पर कि दूसरे बिल के आ जाने की वजह से इस हाउस में मैम्बर साहिबान की तरफ से पूरी तवज्जह नहीं दी गई है। मिसाल के तौर पर मैं सब से पहले आर्टिकल्स (अनुच्छेद) २३९ और २४० को लेता हूं। मेरी नाकिस राय में इन दो आर्टिकल्स (अनुच्छेदों) में इस कदर सख्त तबदीली की जा रही है कि अगर हाउस उन प्रभावों को अच्छी तरह से देखे तो किसी सूरत में भी इनको इस तरह से तबदील करने की इजाजत नहीं देगा । आज तक जितनी भी स्टेट्स हिन्दुस्तान के अन्दर मौजूद थीं उन सब के अन्दर किसी न किसी तरह से, कुछ न कुछ हद तक डेमोक्रेटिक सेट-आप (लोकतन्त्रीय-व्यवस्था) और डेमोक्रेसी मौजूद थी। अब जिस तरह से अप आर्टिकल (अनुच्छेद) २३९ को तबदील कर रहे हैं उससे तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप पूर्ण रूप से आटोक्रेसी (निरंकुशता) को वहां रायज़ कर रहे हैं। अगर आप आर्टिकल (अनुच्छेद) २३९ को देखें तो वहां पर लिखा हुआ है :

> "प्रत्येक संघीय राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति करेगा तथा वह इस बारे में उस मात्रा तक, जितना कि वह उचित समझे, अपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले मुख्यायुक्त या अन्य प्राधिकारी के द्वारा कार्य करेगा।"
>
> "परन्तु राष्ट्रपति किसी ऐसे राज्य क्षेत्र के लिये अनुच्छेद २४० के अधीन बनाये गये विनियम द्वारा मुख्यायुक्त के लिये मंत्रणादाता और परिषद् अथवा अन्य प्राधिकार बना सकेगा जिस के काम विनियम में उल्लिखित हों।"

आर्टिकल २४० इसको और भी वज़ाया कर देता है:

> "राष्ट्रपति ऐसे किसी राज्य क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिये विनियम बना सकेगा तथा इस प्रकार बना हुआ कोई विनियम, संसद्-निर्मित किसी विधि का अथवा किसी वर्तमान विधि का, जो ऐसे राज्य-क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा तथा, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित होने पर उस राज्य-क्षेत्र पर लागू संसद् अधिनियम के जैसा ही बल और प्रभाव होगा।"

अब आप मुलाहिजा फरमायें कि जब कांस्टीट्यूशन (संविधान) बना था उस वक्त प्रेजीडेंट साहब (राष्ट्रपति) को यूनियन की सारी एग्जेक्यूटिव पावर्स (कार्यपालिका शक्तियां) हासिल थीं। इन एग्जेक्यूटिव पावर्स (कार्यपालिका शक्तियों) के अलावा उनको और जो अख्तियार हासिल थे वे लेजिस्लेशन के थे और वे भी सिर्फ इस हद तक कि वह आर्डिनेंस (अध्यादेश) ईशू (जारी) कर सकते थे। आर्डिनेंस (अध्यादेश) ईशू (जारी) करने के अलावा और कोई भी लैजिस्लेटिव पावर्स (वैधानिक शक्तियां उनको हासिल नहीं थी। जब पंजाब के अन्दर यूनियन का राज हुआ, जब पेप्सू में यूनियन का रूल हुआ और जब त्रावणकोर, कोचीन में यूनियन का रूल हुआ, उस वक्त भी हम से जब यह कहा गया कि प्रेजीडेंट साहब को वे सारी पावर्ज दे दी जायें जो आर्टिकल ३५६ के नीचे यूनियन के तहत आती हैं उस वक्त हमने तकाजा किया था और एक तजवीज पास कराई थी कि जो कानून प्रेजीडेंट साहब पास करेंगे उसको भी इस हाउस की एक कमेटी जिस में कि उस इलाके के (संसद् सदस्य) तथा दूसरे लोग होंगे विचार करेगी और उस कानून के अन्दर तरमीम करने को उसको हक होगा। तो जहां तक पार्लियामेंट की कानून बनाने की पावर्स का ताल्लुक है, हम नहीं चाहते कि ये पावर्स उससे छीन ली जायें। मैं अर्ज करता हूं कि हम अपनी लैजिस्लेटिव पावर्स को बरकरार रखने के लिये बेहद ज़ेलस (उत्साही) हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी जो पावर्स (शक्तियां) तमाम हिन्दुस्तान के लिये कानून बनाने की हैं उनको किसी तरह से भी एग्जेक्यूटिव को दे दिया जाये कि वह उन पावर्स को एक्सर-साइस करे और कानून बनाकर उसे इम्प्लीमेंट (कार्यान्वित) करे। जहां तक कानून को इंम्प्लीमेंट

(कार्यान्वित) करने का सवाल है ये पावर तो पहले ही से एग्जेक्यूटिव के पास हैं और प्रेजीडेंट साहब के पास हैं। मैं चाहता हूं कि यह उसूल माना जाये कि जहां तक मुमकिन हो जितने भी कानून तमाम भारत के लिये बनते हैं, उनके बारे में इस बिल में आर्टिकल (अनुच्छेद) रखा जाये कि वे तमाम के तमाम पार्लियामेंट पास करेगी और एग्जेक्यूटिव उसकी जगह नहीं लेगी।

जो भी इलाका आर्टिकल (अनुच्छेद) ३५६ के मातहत यूनियन गवर्नमेंट के मातहत आता है उसके लिये हम ने पार्लियामेंट को एम्पावर (अधिकार) किया हुआ था कि वह उस इलाके के लिये कानून बना सकती है। अब जो पुराना आर्टिकल २४० है वह इस तरह से शुरू होता है:

"प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित तथा मुख्य आयुक्त या राज्यपाल द्वारा प्रशासित किसी राज्य के लिये संसद् विधि द्वारा....."

इसके ऊपर आर्टिकल २३९ के अन्दर भी यहां यह दर्ज है कि प्रेजीडेंट साहब अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो पार्लियामेंट को एक तरह से दखल हासिल होगा कि वह कानून बनाये और जो कानून पार्लियामेंट बनायेगी उसी के मुताबिक एग्जेक्यूटिव गवर्नमेंट काम करेगी। अब जो आर्टिकल २३९ और २४० बनाये जा रहे हैं उन से तो ऐसा मालूम पड़ता है कि यूनियन टेरिटरीज कुछ ऐसी बन जाती हैं जिन में प्रेजीडेंट साहब और गवर्नमेंट सब कुछ कर सकते हैं यहां तक कि कानून भी बना सकते हैं। मैं अर्ज करता हूं कि इसको जरा गौर से देखे और जो ओरिजनल प्रिंसिपल (मूल सिद्धान्त) था कि दो किस्म की पावर्स (शक्तियां) थीं, एक एग्जेक्यूटिव (कार्यपालिका) और दूसरी लैजिस्लेटिव जो राष्ट्रपति और संसद् को प्राप्त हैं। उन पर स्टिक किया जाये। एग्जेक्यूटिव पावर्स तो प्रेजीडेंट और गवर्नमेंट को दे दी जायें और जो लैजिस्लेटिव पावर्स हैं वे पार्लियामेंट के पास ही रहने दी जायें। मैं चाहता हूं कि इस प्रिंसिपल से डिपार्ट न किया जाये (सिद्धान्त को न छोड़ा जाये)। मैं जानता हूं कि यह कहा जा सकता है कि अगर यह पावर एग्जेक्यूटिव गवर्नमेंट को दे दी जाये तो भी उस इलाके के जो रिप्रिजेंटेटिव (प्रतिनिधि) हैं वे उस पर नुक्ताचीनी तो कर ही सकेंगे और वहां से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि इस में बड़ा फर्क पड़ता है। कानून बनाने का पार्लियामेंट का एक खास कार्य है। जब यह इसका एक खास कार्य है तो मैं चाहता हूं कि किसी तरह से भी इसके बारे में कांस्टीट्यूशन में जो कुछ प्रोवाइडिड है (संविधान में जो कुछ उपबन्ध किया गया है उसमें हेर-फेर न किया जाय)।

इस वास्ते मेरी अदब से गुजारिश है सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) की खिदमत में कि वह दफा २३९ और ३४० को खास तौर से गौर से देखे और ऐसा न हो कि पार्लियामेंट की पार्वस (शक्तियां) कम हो जायें। अगर ऐसा हुआ तो उसको यहां पास कराना मुश्किल हो जायेगा क्योंकि यह हाउस सावरिन वाडी (सभा सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न निकाय) है और यह अपनी पावर्स कम करना नहीं चाहेगा।

जहां तक ऐसी जगहों का सावल है, जैसे कि दिल्ली, बम्बई वगैरह, जहां के लोगों को पहले डिमाक्रेटिक राइट्स (लोकतन्त्रात्मक अधिकार प्राप्त) रहे हैं, वहां के लिये मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट कोई न कोई ऐसी तरकीब निकालेगी कि लोगों को यह महसूस होगा कि वे अपनी हकूमत में आप हिस्सा ले रहे हैं जो कि उसका नाम स्टेट नहीं होगा। अगर ऐसा न हुआ तो मुझे डर है कि जो हमने सब से पहला आबजेक्टिव (उद्देश्य) बनाया है यानी :

"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व—सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये....."

हम उसके खिलाफ जायेंगे और इसके मानी होंगे कि हिन्दुस्तान की टैरीटरी का एक बहुत बड़े चंक डिमाक्रेटिक रिपबलिक के डेसक्रिप्शन (लोकतन्त्रीय व्यवस्था) को संसर नहीं कर सकेगा। इस लिये

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

मेरी सिलेक्ट कमेटी से निहायत अदब से गुजारिश है कि वह २३९ और २४० की तरफ खास तवज्जह दे ।

इसके अलावा मैं दफा ३५० ए० पर आता हूं जो कि क्लाज २० में रखी गयी है । इसके अल्फाज इस तरह पर हैं:

"प्रत्येक राज्य और राज्य के अन्दर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार यह प्रयास करेगा....."

जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल के अल्फाज हैं वही इसमें हमको नजर आ रहे हैं । ये सेफगार्ड (परिणाम) के अल्फाज नहीं हैं । अगर आप लिंग्विस्टिक माइनारिटीज (भाषावार अल्प संख्यकों) को वाकई सेफगार्ड देना चाहते हैं तो उसके अल्फाज दूसरे होने चाहिये । एस० आर० सी० ने बहुत से सेफगार्ड (परिमाण) दिये हैं । अगर गवर्नमेंट उनको देना चाहती है तो उनको कानून की शक्ल दी जानी चाहिये और उनको कहीं न कहीं लिखा जाना चाहिये । हमने देखा कि अभी जो बिल हमने सिलेक्ट कमेटी को भेजा है उसमें किसी सेफगार्ड का जिक्र नहीं है । इस में भी सिर्फ क्लाज ३५० में एक सेफगार्ड का जिक्र है । अव्वल तो मैं गवर्नमेंट से यह कहना चाहता हूं कि जो सेफगार्ड दिये जाते हैं उनको किसी कानून में किसी कायदे में, किसी कम्पेंडियम में या किसी तहरीरी इन्श्योरेंस में दर्ज किया जाना चाहिये । मैं तो चाहता था कि आप उनको कांस्टीट्यूशन में ही रखें और ऐसा आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं । कहीं न कहीं इनको रखा जाना चाहिये । यहां पर जो यह सेफगार्ड दिया जा रहा है यह तो जाहिरा सेफगार्ड है । इसके अल्फाज हैं :

"प्रत्येक राज्य और राज्य के अन्दर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार यह प्रयास करेगा....."

हालांकि जहां कहीं सेफगार्ड दिया जाता है वहां यह लिखा जाता है :

"प्रत्येक राज्य का यह कर्त्तव्य होगा....."

जो अल्फाज आपने यहां रखे हैं उनका मतलब तो यह है कि यह एक डाइरेक्टिव प्रिंसिपल है । मैं यह मानने को तैयार हूं कि आप जो यह सेफगार्ड दे रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत मुश्किल होगी । हो सकता है कि एक छोटी सी स्टेट में ऐसे लोगों का एक खानदान है जो कि वहां की जबान नहीं जानते । तो उस खानदान के एक या दो लड़कों के लिये अलग इन्तिजाम बहम पहुंचाना मुश्किल हो सकता है । बड़े शहरों में जैसे दिल्ली वगैरह है, वहां तो यह मुमकिन हो सकता है क्योंकि वहां इस तरह के काफी लड़के होंगे । आपने पहले ही इस सेफगार्ड को काफी फ्लेक्सिबिल (लचीला) रखा है "टू प्रोवाइड एडीक्वेट फैसिलिटीज" (पर्याप्त सुविधाओं का उपबन्ध करने के लिये) मैं नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है । अगर आप इसको डाइरेक्टिव प्रिंसिपल रखना चाहते हैं तो साफ कहिये, और अगर आप सचमुच में सेफगार्ड देना चाहते हैं तो इसे दुरुस्त कीजिये ।

†**पंडित के० सी० शर्मा** (जिला मेरठ—दक्षिण) : यह निदेश के रूप में होना चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अतः जैसा कि मेरे मित्र कहते हैं वह बात निदेशक तत्व में आनी चाहियें । तो मैं सिलेक्ट कमेटी की खिदमत में अदब से अर्ज करूंगा कि इस तरफ खास तवज्जह दे और अगर सेफगार्ड देना है तो उसको ठीक तरह से रखे ।

और साथ ही मैं अर्ज करूंगा कि जो भी सेफगार्ड आप देते हैं उनके लिये इस बिल में एक प्रावीजन बनाना चाहिये । इसके अन्दर उनको लिखा जाये । आपने डिप्रेस्ड क्लासेज (दलित वर्गों) और शिड्यूल्ड कास्ट्स (अनुसूचित जातियों) को सेफगार्ड दिये हैं उनको कांस्टीट्यूशन की आर्टिकिल १६ में रख दिया है । आप ने उनको कहां-कहां रिप्रेजेंटेशन (अभ्यावेदन) करने दिया है वह कांस्टीट्यूशन में लिख दिया है । अगर आप सच्चे मानों में लिंग्विस्टिक माइनारिटीज को सेफगार्ड देना चाहते हैं तो

---

†मूल अंग्रेजी में

उनको भी लिख दीजिये ताकि अगर कल को आप उनको पूरा न करें तो वे आप की खिदमत में हाजिर होकर कह सकें कि आपने यह वादा किया था अब आप इसे पूरा कीजिये । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि एस० आर० सी० ने लिखा है कि उन्होंने जो सेफगार्ड लिंग्विस्टिक माइनारिटीज के लिये लिखे हैं वे नाकाफी हैं । उन्होंने कहा है कि अगर आप और सेफगार्ड बना सकें तो बनायें । मैं ने परसों एक सेफगार्ड का जिक्र किया था और उसको मैं आज फिर दुहरा देना चाहता हूं । लिंग्विस्टिक माइनारिटीज को शिकायत है । उनके साथ आज तक इन्साफ नहीं हुआ है । आपने दस वर्ष के लिये डिप्रेस्ड क्लासेज को खास रिप्रेजेंटेशन दिया है । मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आप लिंग्विस्टिक माइनारिटीज के लिये भी इन्तिजाम कीजिये । जब तक वे दूसरों के बराबर न आ जायें उनके साथ बराबरी का बरताव करना ठीक नहीं होगा । मैं एक पिछड़े इलाके से आता हूं । वहां सालों से न कोई सड़कें बनी, न रेलें बनीं, न वहां ऐजुकेशन का इन्तिजाम है, न सेनीटेशन का इन्तजाम है और न वहां पानी का इन्तिजाम है । न वहां वालों को बड़ी नौकरियां मिलती हैं । वहां का कोई आदमी डिप्टी कमिश्नर नहीं है, सुपरिटेंडेंट पुलिस नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है । मैं अदब से अर्ज करूंगा कि दस बरस तक उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया जाये और उनके लिये इस कानून में सेफगार्ड रखें अगर आप विजनेस मीन (व्यापार साधन) करते हैं, और अगर आप सिर्फ लीपा पोती करना चाहते हैं और आप को कुछ देने की नीयत नहीं है तो साफ कह दीजिये ।

इसके अलावा मैं क्लाज २१ की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं जिस में कि तेलंगाना, आंध्र और पंजाब के लिये खास प्रोवीजन किया गया है । मेरी अदब से दरख्वास्त है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब हाउस की टेबल पर एक पेपर रखें और हमको बतलायें कि यह रीजनल कमेटीज (प्रादेशिक समितियां) क्या चीज़ हैं । न जाने दूसरे मेम्बर साहिबान ने इनका क्या मतलब समझा है कि वे कहते हैं कि इनको बम्बई और दूसरे इलाकों के लिये भी बनाया जाये । मैं चाहता हूं कि हमको इनके बारे में बतलाया जाये ताकि हम समझ लें कि आप क्या करना चाहते हैं । मेरी नाकिस राय में तो अभी गवर्नमेंट के अपने दिमाग़ में भी यह बात साफ नहीं है कि रीजनल कमेटीज और जोनल काउंसिल्स के क्या पावर्स होंगे और उनको क्या आथारिटी होगी । मैं चाहता हूं कि जब हमारे होम मिनिस्टर साहब जवाब दें तो जो कुछ उनकी राय हो वह हमको बतला दें ताकि हमको मालूम हो कि वे क्या चीज बनाना चाहते हैं । कांस्टीट्यूशन की आर्टिकिल २६३ में प्रेसीडेंट को अख्तियार है कि वह स्टेट्स के लिये बार्डर डिस्प्यूट्स और कुछ और चीजों के लिये जोनल काउंसिल जैसी संस्था बना सकते हैं । अब आप जो जोनल काउंसिल बना रहे हैं क्या वह उसके मुख्तलिफ होगी । और अगर वह मुख्तलिफ होगी तो एक ही चीज के लिये दो-दो काउंसिलें हो जायेंगी । मैं समझता हूं कि अगर आप नई जोनल काउंसिल्स रखना चाहते हैं और आर्टिकिल २६३ की काउंसिल नहीं रखना चाहते तो उस आर्टिकिल को ही हटा दीजिये, और अगर आप आर्टिकिल २६३ को कायम रखना चाहते हैं तो इस जोनल काउंसिल को हटा दीजिये । जब हमारे नेशनल लीडर्स ने देखा कि एस० आर० सी० रिपोर्ट के बाद मुल्क में फिसीपेरस टेडेंसीज (विनाशकारी भावनायें) पैदा हो गयीं तो उनके दिमाग में जोनल काउंसिल प्रतिक्रिया के रूप में आयी । लेकिन इनकी क्या पावर्स होंगी यह अभी हमारे सामने ठीक से नहीं आया है । आज स्टेट्स की हालत यह है कि एक तरफ तो हमारा कांस्टीट्यूशन है, इधर वहां पर सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर बैठा है, इधर लोकल लेजिस्लेचर्स (स्थानीय विधान मण्डल) हैं । जब तक आप इन सब की पावर्स ठीक तरह से डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आप का काम नहीं चल सकेगा । इधर आपने लिंग्विस्टक माइनारिटीज के लिये रीजनल कमेटीज रखी हैं । अगर रीजनल कमेटीज में और जोनल काउंसिल्स में किसी बात पर झगड़ा होगा तो उसका फैसला कौन करेगा । आप की जोनल काउंसिल के ११ मेम्बर होंगे । उत्तरी जोन के लिये जो काउंसिल होगी उसमें तीन मेम्बर काश्मीर से आवेंगे, तीन राजस्थान से आवेंगे और तीन पंजाब के होंगे और दिल्ली का और हिमाचल प्रदेश का एक-एक आदमी होगा । इसके फैसले मैजारिटी (बहुमत) से होंगे ।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

एक हमारे सेंटर के आनरेबल मिनिस्टर हुये और इस तरह वहां पर १२ मेम्बर हो गये। अब फर्ज कीजिये कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर और उनके साथी वजीरों के दिमाग़ में एक चीज है और वह मेजारिटी से वहां हार जायें तो कैसे वह चीज उनकी इम्पलीमेंट होगी? लेजिस्लेचर की सपोर्ट उनको हासिल है और चीफ मिनिस्टर के साथ दोनों वज़ीर उस चीज के लिये सहमत हैं और वह एक चीज करना चाहते हैं जब कि दूसरे ९ आदमी जो और जगहों के वज़ीर हैं वह उनसे सहमत नहीं होते तो उनका फैसला कैसे अमल में आयेगा? आप कहते हैं कि यह ऐडवाइजरी बोर्ड होगा जिस के कि मानी यह हुये कि लेजिस्लेचर के ऊपर गवर्नर के ऊपर जो बाडी होगी वह महज ऐडवाइजरी होगी, मैं समझता हूं कि इस से ज्यादा मज़ाक की बात और किसी कांस्टीट्यूशन में नहीं हो सकती। अगर आप एक इस तरह की बाडी बनाते हैं तो जरूरत इस बात की है कि उस बाडी को आप ठीक से बनाइये और उनको स्टैचुटरी पावर्स (संविहित शक्तियां) दीजियें, उनको पावर्स या तो सेंटर (केन्द्र) से निकाल कर दीजिये या स्टेट्स (राज्यों) से निकाल कर दीजिये और जो कि उस लेजिस्लेचर से कंट्रोल्ड न हो और जब ऐसी चीज आप बनायेंगे तभी वह ठीक से वर्क कर सकेगी। जोनल कौंसिलों का बनाया जाना मुझे पसन्द है और मैं चाहता हूं कि ऐसी कोई चीज हो ताकि हर एक प्राविंस की अलहिदा होने की जो टेंडेंसी (भावना) है, वह दूर हो सके। मैं इस तरह की कौंसिलों की स्थापना को सही कदम समझता हूं और इन जोनल कौंसिलों की स्थापना को मैं एपैक्स आफ युनिटरी गवर्नमेंट समझता हूं और अगर इनको बनाते वक्त आपके दिमाग़ में वह नक्शा है, तब तो मैं समझता हूं कि आप ठीक बात कर रहे हैं और यह जोनल कौंसिलें उपयोगी सिद्ध होंगी वरना मुझे नजर आता है कि यह जो आप की जोनल कौंसिल हैं यह आहिस्ता-आहिस्ता छोटी-छोटी प्रिसिपैलिटीज बन कर, दो-दो, और चार-चार प्राविंसज का मजमुआ बन कर इनके अन्दर यह टेंडेंसी आ जायगी कि यह सेंटर से बिलकुल इंडिपेंडेंट हो जायें और उस हालत में मैं कह नहीं सकता कि हमारे देश की हालत क्या होगी। मैं तो चाहता हूं कि आप ऐसी जोनल कौंसिलें रखिये जिन का कि सेंटर से गहरा ताल्लुक हो और सेंटर और जोनल कौंसिल के दरमियान वैसा ही सम्बन्ध हो जैसा कि पेट में एक बच्चे का मां के साथ सम्बन्ध होता है वरना अगर आप की यह कंटिनुएटी खत्म हो गई तो ऐसी हाईब्रिडि चीज बन जायेगी जिस को कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जायगा। इस वास्ते मैं अदब से अर्ज करूंगा कि इस तरह का एक सही नक्शा खींच कर रीजनल कौंसिल बनाई जानी चाहियें। जोनल कौंसिलों का कांस्टीट्यूंशन में कहीं जिक्र ही नहीं है, इस वास्ते मैं ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी से अपील करूंगा कि वह इस बारे में विशेष ध्यान दे।

हाईकोर्टस के बारे में एक चीज जिस के ऊपर मेरी दिलचस्पी बिलकुल साफ है और वह यह कि आप को यह तमीज कि कोई जज तो तीन हजार पाये और कोई ढ़ाई हजार पाये, इस भेदभाव को आप को रवा नहीं रखना चाहिये। राजस्थान हाईकोर्ट की बाबत जहां कि मैं पहले प्रैक्टिस भी कर चुका हूं, यह दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान हाईकोर्ट के जजेज किसी भी हाई कोर्ट के जजेज से कम नहीं हैं। वहां की बार के बारे में इसके अन्दर कई जगह पर दर्ज है कि वह एफिशिएंट नहीं हैं और वहां पर काफी आमदनी भी नहीं होती है, मैं इसको सही नहीं मानता। मुझे केरल और मसूर का पता नहीं। लेकिन जब कि एक जगह का जज दूसरे हाईकोर्ट में तबदील होकर भेजा जा सकता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस हालत में दो हजार पाने वाला और तीन हजार पाने वाला जज कैसे दोनों बराबर-बराबर बैठेंगे और मैं तो कहूंगा कि भले ही थोड़ा रुपया ज्यादा खर्च हो जाय लेकिन जजेज को सैलरी के मामले में एक लेवल (स्तर) पर ले आना चाहिये। अगर आप को रुपया बचाना ही है तो मैं कहूंगा कि तीन-चार हजार रुपये की यह जो आप ऊपर की सीलिंग लगाना चाहते हैं, तो सीलिंग से ऊपर वालों की आप तनख्वाहों में थोड़ी कमी कर सकते हैं, हालांकि मैं हाईकोर्ट के

जजेज की तनख्वाह कम करने के हक में नहीं हूं और हाईकोर्ट के जजज की तनख्वाह कम करना मैं पब्लिक क्लैमिटी से कम नहीं समझता । लेकिन साथ ही मैं यह भी साफ कर दूं कि मैं यह नहीं चाहता कि एक ही हाईकोर्ट में जजेज की तनख्वाहों में भेदभाव हो ।

†**श्री एन० राचय्या** (मैसूर रक्षित अनुसूचित जातियां) : मेरा औचित्य प्रश्न है । कल जब उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे तब हमने कहा था कि भाषणों की समय-सीमा १० मिनट कर दी जाये जिस से अधिक सदस्य बोल सकें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं दस मिनट का समय दूंगा ।

†**पंडित के० सी० शर्मा** : क्या उत्तर प्रदेश के सदस्यों को बोलने दिया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें बोलने का अवसर मिल सकता है ।

†**श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** (गुणटूर) : हमने अपने देश को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र घोषित किया है । हमारा उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बनाये रखना है । इस के लिये देश की एकता और दृढ़ता आवश्यक है । इसीलिये, 'क' 'ख' और 'ग' श्रेणी के राज्यों के वर्गीकरण का मिटाया जाना एक ठीक कार्यवाही है, लेकिन हमने संघीय राज्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों किया है ?

पिछले कई वर्षों से मनीपुर और त्रिपुरा लोकतन्त्रात्मक शासन की मांग कर रहे थे । वे अपनी स्थानीय विधान सभायें और परिषदें चाहते थे । लेकिन हमने उन्हें संघीय प्रदेश बना दिया है । बम्बई, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को भी हमने संघीय राज्य क्षेत्र में रख दिया है । हमने इनकी लोकतन्त्रात्मक संस्थाओं का विचार नहीं किया है । इतना ही नहीं, इन पर संसद् का पर्यवेक्षण नहीं रहेगा, राष्ट्रपति के हाथ में ही इनके प्रशासन की पूरी शक्ति रहेगी ।

माननीय गृह-कार्य मंत्री को इस भूल का सुधार करना चाहिये; और इसके लिये संयुक्त समिति में चर्चा के समय उन्हें लोकतन्त्र को बनाये रखने के दृष्टिकोण से ही उसका पथ-प्रदर्शन करना चाहिये ।

देश की एकता और सुदृढ़ता के हित में, हमें राज्यों का पुनर्गठन इस प्रकार से करना चाहिये कि प्रत्येक राज्य अपने पड़ोसी राज्यों के साथ आपसदारी के सम्बन्ध बना कर रह सके । आज सीमा-क्षेत्रों के सम्बन्ध में जो एक दूसरे के विरोधी दावे किये जा रहे हैं, उन से राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकते । हमें इन दावों के बारे में एक ही बार अन्तिम रूप से निबटारा कर देना चाहिये । इसीलिये शायद, राज्य पुनर्गठन विधेयक के उस मूल प्रारूप में एक सीमा आयोग का उपबन्ध किया गया था जिसे विभिन्न विधान मण्डलों के पास उनकी राय जानने के लिये भेजा गया था । लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि सरकार ने इस लोक-सभा के सामने प्रस्तुत करते समय उस उपबन्ध को हटा दिया है । इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिये । सीमा विवाद उठने पर उनके लिये अलग-अलग सीमा आयोगों की नियुक्ति करने से उनके निबटारे में अधिक समय लग जायेगा और स्वाभाविक है कि उससे कटुता और भी बढ़ जायेगी । इसी लिये हमें इस राज्य पुनर्गठन विधेयक में उस खण्ड को फिर से जोड़ देना चाहिये, या हमें संविधान में ऐसा एक अनुच्छेद जोड़ देना चाहिये ।

कुछ सहयोगी बड़े-बड़े राज्यों या बहुभाषीय राज्यों के पक्ष में हैं । लेकिन कई राज्यों को मिलाकर बड़े-बड़े राज्यों की स्थापना के लिये कुछ शर्तें तो होनी चाहियें, जैसे कि यदि एक अवधि के लिये एक राज्य का व्यक्ति मुख्य मंत्री बनता है, तो अगली अवधि में दूसरे राज्य का बनेगा । लेकिन यदि इस प्रकार मिलाकर बनाये गये बड़े राज्य के एक प्रदेश विशेष के लोग यह मांग उठाते हैं कि वहां की नियुक्तियों के लिये उसी प्रदेश के व्यक्ति लिये जायें, तो फिर हम उसे संविलय कैसे कह सकते हैं ? संविलय तो हम इसी लिये कर रहे हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक के दिमाग़ में एकता की भावना उत्पन्न हो और प्रादेशिक भावनायें न रहें । इस प्रकार की मांगों से तो वह उद्देश्य नष्ट हो जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्]

मानलीजिये कि आप बिहार और पश्चिम बंगाल को मिलाकर बनाये हुए बड़े राज्य को बंगाल-बिहार संयुक्त राज्य के नाम से पुकारते हैं तो इसमें भी बिहारी और बंगाली की भावना तो बनी ही रहती है। इसे संविलय तो नहीं कहा जा सकता। मैं बड़े-बड़े राज्यों और बहुभाषीय राज्यों के पक्ष में तो हूं, पर उसके लिये गारंटियां नहीं मांगनी चाहिये, क्योंकि उनसे परस्पर सन्देह की भावना पैदा होती है। मैं स्वेच्छापूर्वक होने वाले संविलय के पक्ष में हूं। उससे परस्पर विश्वास की भावना को बल मिलेगा।

अब, उच्चतम न्यायालयों सम्बन्धी उपबन्धों को लीजिये। हमें विधि जीवियों में यह भावना उत्पन्न करनी चाहिये कि यदि उनमें से किसी को राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करे तो उसे वह एक बड़े सम्मान की बात समझें। हमें उनमें देश भक्ति की भावना पैदा करने की कोशिश करनी चाहिये, और इसके स्थान पर उनके वेतन बढ़ाने की नहीं। उच्च न्यायालयों सम्बन्धी संशोधनों की जांच इसी दृष्टिकोण से की जानी चाहिये। यह पद उन्हें देश के हित के विचार से स्वीकार करना चाहिये, ऊंचे वेतनों के विचार से नहीं।

राज्य पुनर्गठन विधेयक ने कुछ वर्तमान उच्च न्यायालयों को हटा देने की व्यवस्था की है। उसमें इन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के भविष्य की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। इसके लिये, राज्य पुर्नगठन विधेयक या संविधान (नवां संशोधन) विधेयक में यह व्यवस्था की जा सकती है कि राष्ट्रपति इन न्यायाधीशों को उन उच्च न्यायालयों में नियुक्त कर सकें जो अस्तित्व में रहेंगे।

अब विधान परिषदों का प्रश्न आता है। इस विधेयक में आंध्र-तैलंगाना राज्य के लिये एक विधान-परिषद् की व्यवस्था नहीं की गई है। यह तो ठीक है, पर यही उपयुक्त समय है कि हम सभी राज्यों में विधान-परिषदों को समाप्त कर दें, क्योंकि इन पर धन का अपव्यय ही होता है और इनका निर्वाचित विधान सभाओं पर कोई खास प्रभाव भी नहीं पड़ता है, हां, उनसे विधानों के स्वीकृत होने में विलम्ब अवश्य हो जाता है।

विधेयक में जोनल परिषदों का कोई भी उल्लेख नहीं है। लेकिन इन पर भी धन का अपव्यय ही होता है। भारतीय गणतन्त्र का राष्ट्रपति ही राज्यों और जनता की एकता का प्रतीक है। विभिन्न राज्यों के हितों से सम्बन्धित मसले केन्द्र द्वारा बड़ी आसानी से निबटाये जा सकते हैं। इन जोनल परिषदों की कोई अधिक उपयोगिता भी नहीं है।

यह सच है कि सम्बन्धित राज्यों के कुछ प्रदेश प्रादेशिक समितियों की स्थापना की मांग करते हैं। लेकिन क्या हम उन अल्पसंख्यकों में उनके हितों की रक्षा के प्रति विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते? क्या प्रादशिक समितियों को संविधि में सम्मिलित कर लेना इस बात को सदा के लिये मान लेना नहीं है कि एक राज्य की जनता का एक भाग दूसरे भाग पर विश्वास नहीं रखता है? मेरा विचार है कि इन्हें संविधि में नहीं रखा जाना चाहिये; हां, प्रादेशिक समितियां पारस्परिक समझदारी क आधार गठित की जा सकती हैं।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मैं संयुक्त समिति का एक सदस्य हूं और मैं इस विधेयक के कतिपय प्रस्तावों के गुणावगुणों के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन, एक चीज़ है जिसके बारे में कुछ कहना मैं समझता हूं कि मेरा कर्त्तव्य है।

विधेयक को संयुक्त समिति को सोंपने के इस प्रस्ताव में एक सामान्य खण्ड है कि अन्य बातों में संसदीय समितियों से संबन्धित इस लोक-सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम उन रूपभेदों और परिवर्तनों के साथ ही जो कि अध्यक्ष द्वारा किये जायेंगे, लागू होंगे। यहीं प्रक्रिया रही है, और काफी अधिक समय

---

†मूल अंग्रेजी में

से संयुक्त समिति को सौंपे जाने वाले विधेयकों के सम्बन्ध में ---चाहे वे महत्वपूर्ण विधेयक रहे हों, या न रहे हों---इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता रहा है। स्थिति क्या है ? संयुक्त समितियों की कार्यवाही के पथ-प्रदर्शन के लिये नियम बनाये गये हैं, लेकिन इस पर भी कभी-कभी यह आवश्यक हो जाता है कि किसी मामले विशेष में उनमें कुछ परिवर्तन किये जायें। इसीलिये सतर्कता के तौर पर, हम सदा ही एक ऐसा खण्ड रखते आये हैं जिससे कि प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर किया जा सके। स्वाभाविक ही है कि हम उस समय उसे समिति के सभापति पर ही नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसीलिये हम कहते हैं कि "अध्यक्ष द्वारा किये हुए परिवर्तनों के साथ"। इसीलिये यदि कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है तो सभापति को उसकी ओर अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करना पड़ता है और अध्यक्ष वह परिवर्तन कर देगा।

मेरे माननीय मित्र श्री कामत का प्रस्ताव तो विचित्र है। यदि वे यहां होते तो मैं उनसे आग्रह करता और पूछता कि वे जो कुछ भी करना चाहते हैं वास्तव में उसका आशय क्या है। उन्होंने तीन संशोधन प्रस्तुत किये हैं। पहला तो यह कि "अध्यक्ष द्वारा किये गये परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ" इन शब्दों को हटा दिया जाय। इसका अर्थ तो यह है कि उनका संशोधन स्वीकृत हो जाने के बाद समिति का सभापति केवल उन नियमों से ही बाध्य रहेगा जो कि पहले बनाये जा चुके हैं और उन नियमों में कोई भी परिवर्तन या रूपभेद करने का अधिकार किसी को भी नहीं रहेगा। हमेशा ही परिवर्तन या रूपभेद करना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन उन्होने स्वयं माना है कि यदि किसी कारण से ऐसा करना आवश्यक हो जाये तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक है। वे यही चाहते हैं कि परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कठिन बना दिया जाय जिससे कि यह शक्ति उपलब्ध न रहे।

उनका दूसरा वैकल्पिक संशोधन यह है कि यदि उनका पहला संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है तो परिवर्तन करने की शक्ति अध्यक्ष को नहीं, लोक-सभा को होनी चाहिये। इसका अर्थ यह है कि यदि समिति का सभापति किसी समय यह समझता है कि नियमों में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिये, तो वह परिवर्तन अध्यक्ष नहीं कर सकेगा बल्कि उस सारे मामले को लोक-सभा के सामने लाया जायेगा। क्यों ? यह इसलिये नहीं कि उसको विषय वस्तु के कारण ऐसा करना आवश्यक है, बल्कि केवल इसी-लिये कि सभापति चाहता है कि उसमें कुछ परिवर्तन किये जायें या समिति उसमें कोई परिवर्तन करना चाहती है, और जो कार्य स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये।

जो भी हो, अध्यक्ष ही इस लोक-सभा के विशेषाधिकारों का संरक्षक है। इस संसद् का सारा कार्य इसी आधार पर चलाया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि एक ऐसे पूर्णरूपेण प्रक्रिया सम्बन्धी मामले में इतना अधिक संदेह क्यों किया जाये कि वे यहां तक कह बैठें कि या तो उसके महत्व के कारण या कुछ अन्य कारणों से, इस मामले विशेष में उसे लोक-सभा के सामने ही पेश किया जाना चाहिये। इससे तो स्पष्ट तौर पर यही प्रकट होता है कि जहां तक इस संसद् के कार्य का सम्बन्ध है, उसके पूरे ढांचे में अध्यक्ष की स्थिति और उसके पद को उचित रूप से नहीं समझा गया है।

इससे एक और कठिनाई उत्पन्न होगी। यदि प्रक्रिया सम्बन्धी ऐसे छोटे-मोटे मामले भी लोक-सभा के सामने लाये जायेंगे तो उससे बिना किसी उपयोगिता या स्पष्ट कारण के ही काफी अधिक विलम्ब हो सकता है। और यदि यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है, तो माननीय सदस्य ने एक दूसरा सुझाव रखा है, एक वैकल्पिक संशोधन के रूप में, कि उसमें "लोक-सभा की अनुमति पर" शब्द जोड़ दिये जायें। मान लीजिये कि सभापति इस निर्णय पर पहुंचता है कि या प्रवर समिति यह चाहती है कि प्रकिया में कुछ परिवर्तन किये जाने चाहिये; तो माननीय सदस्य यह सुझाव देकर अध्यक्ष के स्वविवेक को सीमित कर देना चाहते हैं कि वे उससे तब तक सहमत नहीं होंगे जब तक कि लोक-सभा उसकी अनुमति नहीं दे देगी। इसका तो अर्थ यही है कि वे उस रूपभेद को कर तो देंगे, लेकिन उसे

[श्री पाटस्कर]

लोक-सभा के सामने पेश किया जाना चाहिये । इस पर भी वही आपत्ति की जा सकती है जो कि मैंने उनके दूसरे संशोधन के सम्बन्ध में की है ।

इन संशोधनों का क्या औचित्य है ? जैसा कि मैं बता चुका हूं, हम पिछले कई वर्षों से इसी प्रक्रिया का अनुसरण करते आ रहे हैं और हमें उसमें कोई भी कठिनाई नहीं पड़ी है । मेरे विचार से तो इसके लिये जो कारण बताया गया है वह न तो लोक-सभा के सदस्यों की और न ही हमारी संसदीय व्यवस्था की गरिमा को बढ़ाता है । श्री कामत कहते हैं :

> "मुझे इसमें संदेह नहीं है कि यहां के मेरे सहयोगी मुझसे इस बात में सहमत होंगे कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विधान---संयुक्त समिति के कार्यक्रम को विनियमित करने के सम्बन्ध में आजकल लोक-सभा को जो शक्तियां प्राप्त हैं वह किसी भी व्यक्ति को, अध्यक्ष को भी, आत्म-समर्पित नहीं की जायेंगी ।"

आत्म-समर्पण का प्रश्न ही कहां है ? हम पहले से ही इस प्रक्रिया का अनुसरण करते रहे हैं और उसमें कोई भी कठिनाई नहीं पड़ी है । और लोक-सभा की किसी शक्ति को आत्म-समर्पित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है । लोक-सभा के पास तो सदा ही शक्तियां रही हैं । यहां तो प्रश्न अध्यक्ष का ही है, जो इस लोक-सभा के विशेषाधिकारों, शक्तियों और गरिमा का प्रतिनिधि है और जिसे कुछ स्वविवेक का अधिकार दिया गया है ।

इसके बाद वे कहते हैं :

> "मैं बड़ी विनम्रता से सुझाव देता हूं (वास्तव में "विनम्रता" शब्द का प्रयोग किया गया है)"
> "कि यहां हाल में हुई घटनाओं का क्रम और रुझान चिन्ताप्रद और उलझन में डालने वाला रहा है ।"

मैं इतना अवश्य कहूंगा कि यदि हम इस संसद् का कार्य उसी भावना के साथ चलाते रहना चाहते हैं जिसके साथ कि उसे चलाया जाना चाहिये तो ऐसी अस्पष्ट टिप्पणियां नहीं की जानी चाहियें । हो सकता है कि ये टिप्पणियां बिल्कुल असंसदीय न हों, लेकिन उनसे इस देश को संसदीय लोकतंत्र के उद्देश्य को तो बल ही नहीं मिलता है । इसे तो मैं समझ सकता हूं कि कुछ व्यक्तियों को अध्यक्ष से कुछ शिकायतें हो सकती हैं । लेकिन, उसके लिये ऐसे एक अवसर का लाभ उठा कर ऐसे अस्पष्ट दोषारोपण और कटाक्ष करना ठीक नहीं है कि "यहां हाल में हुई घटनाओं का क्रम और रुझान कुछ चिन्ताप्रद और उलझन में डालने वाला रहा है" । हो सकता है कि कुछ सदस्यों के लिये वह चिन्ताप्रद रहा हो । आखिर इस लोक-सभा में पांच सौ सदस्य हैं । हो सकता है कि किसी मामले के सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा किये गये निर्णय किसी सदस्य को पसन्द न आये हों । लेकिन इस बात को तो हमें मानना ही पड़ेगा कि अध्यक्ष को समस्त लोक-सभा की गरिमा का ध्यान रखते हुए भी अपने कर्त्तव्य को निभाना पड़ता है । फिर इस प्रकार के एक मामले में यह कहां तक उचित है कि किसी को कोई शिकायत होने पर वह ऐसे एक अवसर का उपयोग इस प्रकार के कटाक्ष करने के लिये करे ?

जहां तक इस संसद् का सम्बन्ध है, हमें इस प्रकार से अपना काम करना बन्द कर देना चाहिये । मैं यह समझ सकता हूं कि कुछ सदस्यों को कुछ शिकायतें हो सकती हैं । लेकिन उसके कारण, इस प्रकार की टिप्पणियां करना या ऐसे तर्क पेश करना मुझे उचित नहीं लगता । यह संशोधन इसलिये प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि उनमें कोई अच्छाई है । लकिन वे जिस उद्देश्य से प्रस्तुत किये गये हैं, मेरा विचार है कि वह केवल इस अध्यक्ष पद की गरिमा और इस लोक-सभा के सदस्यों के दायित्व से ही नहीं, बल्कि उस भावना के साथ भी मेल नहीं खाता है जिससे कि इस लोक-सभा का कार्य चलाया जाना चाहिये । इस पर, मैं तो यही कहूंगा कि चाहे वर्तमान अध्यक्ष हों या भूतपूर्व अध्यक्ष हों, चाहे वर्तमान उपाध्यक्ष हों, या भूतपूर्व उपाध्यक्ष हों, हो सकता है कि वे विभिन्न सदस्यों द्वारा सुझाई हुई कई बातों से सहमत हुए

हों या न भी हुए हों; लेकिन जहां तक इस संसद् के कार्य का सम्बन्ध है, वह सदा से ही इन्हीं परम्पराओं के अनुसार चलाया जाता रहा है, और वह सदा ही सर्वोत्तम ढंग से, देश तथा लोक-सभा की गरिमा के व्यापक हितों में चलाया जाता रहा है। हो सकता है कि पहले ऐसे कुछ अवसर आये हों जबकि सदस्यगण अध्यक्ष के कुछ विनिर्णयों से रुष्ट हो गये हों। आखिर अध्यक्ष को सभा के कार्यक्रम का प्रबन्ध भी तो करना पड़ता है और इसी कार्य को करने में वह एक-दो सदस्यों को रुष्ट भी कर सकता है। लेकिन उसे कुछ सदस्यों की प्रसन्नता या अप्रसन्नता को ही तो नहीं देखना पड़ता है, उसे तो यह देखना पड़ता है कि इस लोक-सभा के सर्वोत्तम हित में क्या है और परम्परा के अनुरूप क्या है। मुझे यह कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि इस प्रकार की टिप्पणी बिल्कुल ही अनौचित्यपूर्ण है, और अध्यक्ष पद का कार्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या अन्य किसी के भी द्वारा, संसदीय लोकतन्त्र की सर्वोत्तम परम्पराओं के अनुसार ही चलाया जाता रहा है और चलाया जा रहा है।

इसीलिये मैं अपने माननीय मित्र से अनुरोध करूंगा कि उन्हें ऐसे प्रयास नहीं करने चाहियें जो न तो लोकतन्त्र के उद्देश्य के लिये उपयोगी हों और न इस लोक-सभा में उचित रूप से कार्य-संचालन करने के लिये ही ठीक हों। अच्छा होता कि वे यहां उपस्थित होते। इस प्रकार के प्रयासों से तो केवल भ्रांतियां ही बढ़ सकती हैं, बाह्य संसार में यही एक धारणा पैदा की जा सकती है कि शायद इस लोक-सभा में अब उतने सुचारू रूप से काम नहीं होता है जितना कि पहले कभी होता था। वास्तव में कार्य उन्हीं सर्वोत्तम परम्पराओं के अनुसार उसी प्रकार से किया जा रहा है जैसा कि पहले किया जाता था। मुझे विश्वास है कि इस लोक-सभा में माननीय प्रस्तावक को छोड़ कर और कोई अन्य सदस्य इन संशोधनों का अनुमोदन नहीं करेगा। मैं उनसे यह भी निवेदन करूंगा कि वे संविधान सभा और अस्थाई संसद् में भी रह चुके हैं और मुझे विश्वास है कि वे इस लोक-सभा के बड़े ही कर्मनिष्ठ और ईमानदार सदस्य हैं। हो सकता है कि आवेश में वे ऐसी टिप्पणियां कर गये हों, लेकिन जो भी हो, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इन संशोधनों को वापिस ले लें और उन पर आग्रह न करें।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद–पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकर कि हम लोगों का समय बहुत सीमित है, मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में तीन राज्यों के संगठन के बारे में ही कुछ निवेदन करूंगा, एक महाराष्ट्र, दूसरा पंजाब और तीसरा उत्तर प्रदेश जिसकी चर्चा अभी तक नहीं के बराबर हुई है।

महाराष्ट्र के सम्बन्ध में मुझे अपने मराठी और गुजराती भाइयों से यह कहना है कि जो दृश्य मैंने यहां लोक-सभा में उनकी भावनाओं का देखा उससे मुझे पीड़ा हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि हम देश को दृढ़ता, मेल और सहयोगिता से चलायें। उसको इस तरह से चलाने के लिये उंची भावनाओं की आवश्यकता है। बम्बई के प्रश्न ने इन दोनों में खटपट पैदा कर दी है। मैंने एक सुझाव दिया था और उसको मैं फिर दोहराता हूं कि कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिये कि जिससे जहां तक सम्भव हो ये मिलकर रहें। हमारे मराठी भाषी भाइयों ने एक समय माना भी था कि विदर्भ के मिलाने के बाद इसमें सौराष्ट्र रहे, गुजराती भाई भी रहें और सब का मिलकर के एक द्विभाषी प्रदेश बने। मेरा सुझाव है कि आज भी यह आवश्यकता है कि हम उस और ध्यान दें। मैंने सुना है कि मराठी भाई अभी प्रधान मंत्री जी से मिलने वाले हैं। मेरा तो सुझाव है कि अभी भी देर नहीं है। फिर हम उस तरह से विचार करें, और जहां तक सम्भव हो हम इस प्रदेश को द्विभाषी या अधिक भाषा-भाषी बनाने में न हिचकें। मैं जानता हूं कि इस पर दो मत हैं। हमारे भाई जो इधर विरोध में बैठते हैं वे एक भाषा राज्य पर बहुत बल देते हैं। कल भी हमारे भाई श्री साधन गुप्त, ने कहा था कि हमें इसी बात पर अड़े रहना चाहिये कि एक भाषी प्रदेश हों। बिहार और बंगाल के मिलाने का भी उन्होंने विरोध किया। वह भी एक मत है। मैं मानता हूं कि इसमें कई दृष्टियां हैं। पर यह भी तो हमें देखना चाहिये कि और दृष्टि-कोण भी हो सकते हैं और सब को एक ही लाठी से हांकने की आवश्यकता नहीं। सब धान बाईस पसेरी

[श्री टंडन]

नहीं होते। सब प्रदेशों को एक ही लाठी से नहीं हांका जा सकता। गुजराती और मराठी भाइयों को इतने समय से मेल चला आता रहा है। यह कोई नया प्रयोग नहीं है। बिहार और बंगाल भी किसी समय एक थे लेकिन इधर बहुत दिनों से नहीं हैं, इसलिये यह जो बंगाल और बिहार को मिलाने का सुझाव आया है यह एक प्रकार से नया प्रयोग है। मगर गुजराती और मराठी भाइयों के लिये यह कोई नया प्रयोग नहीं है। मेरा तो यही सुझाव है कि वे फिर यह सोचें कि वे मिलकर रह सकते हैं। यह क्यों असम्भव है? हम थोड़ा हिस्सा इन्दौर के पास का-इसमें और मिलाकर इसको एक अधिक बड़ा प्रदेश बना सकते हैं। मैं तो इसके पक्ष में हूं कि हम इस प्रदेश को कुछ और बड़ा बना दें और इन्दौर के पास का कुछ हिस्सा इसमें मिला दें। फिर इसका नाम चाहे बम्बई रहे या महाराष्ट्र रहे। जिन-जिन प्रदेशों के लोग इसमें आवें उन सबको मिलकर काम करने का अवसर मिले। जैसा कि पाटिल भाई ने कहा इस प्रकार संसार के आगे बम्बई एक वृहद् राजधानी के रूप में रहे और उसकी स्थिति अधिक ऊंची हो।

दूसरी बात मैं उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। पहले जो बहुत बड़ी घबराहट थी कि बड़े-बड़े राज्य न रहें वह घबराहट तो अब नहीं रही है। कम से कम केन्द्रीय गवर्नमेंट के मस्तिष्क में अब यह घबराहट नहीं है। अब तो उन्होंने बड़े-बड़े ज़ोन बनाने की बात सोची है और हमारे भाई गिरि जी ने भी यहां से एक आवाज़ उठायी है कि वह तो यह देख रहे हैं कि बड़े-बड़े प्रदेश बनेंगे। जितने प्रदेश एक ज़ोन में रखे गये हैं वे सब एक राज्य बन जायेंगे, इसकी चर्चा उन्होंने यहां की है। यह जान पड़ता है कि अब यह घबराहट नहीं है कि कोई प्रदेश बहुत बड़ा न हो जाय। मैं तो बम्बई को और बड़ा बना देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश आज आबादी में नहीं परन्तु अपने डील-डौल में उत्तर प्रदेश से बड़ा है। मैं पूछता हूं कि आज जो बघेलखंड के लोग या विन्ध्य प्रदेश के लोग हमारे प्रदेश में आना चाहते हैं उनको आप रोकते क्यों हैं? बघेलखंड के लिये यह बात बार-बार कही गयी है। एक भाई बघेलखंड के यहां हैं। उन्होंने ज़ोरों के साथ कहा है कि हम उत्तर प्रदेश के साथ जाना चाहते हैं। बघेलखंद की विधान-सभा में भी इस पर बहस हुई थी। वहां उस समय २० सदस्य उपस्थित थे। उनमें से अधिकतर ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के साथ जाना चाहते हैं। केवल दो सदस्य थे जिन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश के साथ जाना चाहते हैं। इस विषय पर उत्तर प्रदेश की विधान-सभा में भी चर्चा हुई और वहां लगभग सब ने मिल कर कहा कि पूरा विन्ध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ मिलाया जाय, अगर ऐसा करने में कोई कठिनाइयां हैं तो कम से कम बघेलखंड को तो उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाये। वहां के जो मुख्य मंत्री हैं, डा० सम्पूर्णानन्द, उन्होंने भी उस दिन भाषण दिया था। मैं चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे गृह-विभाग के मंत्री जी इधर ध्यान दे। मेरा विश्वास है कि वे प्रवर समिति में रहेंगे। यह सच है कि वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लेकिन मैं इसको उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय समझता हूं कि आपने जो सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) बनायी है उसमें उत्तर प्रदेश का केवल एक मेम्बर (सदस्य) इस भवन से रखा। उस मेम्बर ने भी नाराजगी के तौर पर उसमें काम करने से इन्कार कर दिया क्योंकि आपने इतने बड़े सूबे का केवल एक ही सदस्य रखा। उस मेम्बर की जगह आपने दूसरा मेम्बर रखा है, मैं नहीं जानता कि वह काम करेंगे या नहीं। मुझे मालूम है कि उनसे पूछा नहीं गया है। क्या आप दो सदस्य नहीं रख सकते थे, श्री बेंकटेश नारायण तिवारी और अलगूराय शास्त्री? अगर ये दो आदमी बने रहते तो क्या बिगड़ जाता? मुझको ऐसा लगा है कि हमारे गृह मंत्री जी और हमारे प्रधान मंत्री जी उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिये वे ऐसा करने में संकोच कर रहे हैं और इस संकोचवश जो अन्याय उत्तर प्रदेश के साथ हो रहा है, उसको वे सहन कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह ठीक नहीं है। उनको समझना चाहिये कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले क्या चाहते हैं। यहां बघेलखंड के लोग हैं। अगर आप उनको प्रवर समिति में आने का अवसर देते तो वे अपनी राय आपके सामने रखते। पर आप उनको नहीं रख रहे हैं। न आप बघेलखंड के आदमी रख रहे हैं और न उत्तर प्रदेश को उचित अवसर दे रहे हैं। तो

फिर कौन आपसे कहने आयेगा ? इसलिये मैं आज खड़ा हुआ हूं कि स्पष्ट रूप से कह सकूं कि इस प्रकार आप विन्ध्य प्रदेश के साथ, बघेलखंड के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय न होने दें। उत्तर प्रदेश और बघेलखण्ड का चोली दामन का साथ बहुत पुराना है। हम लोग इस बात को जानते हैं कि वे हमारे कितने समीप हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि जो मंत्रिगण इधर बैठे हैं शायद उनको याद भी होगा क्योंकि वे कांग्रेसी हैं, कि एक समय बघेलखंड की कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी की एक अंग थी। यह कुछ बरस पहले की बात है। किसी काल में वे मध्य प्रदेश के साथ थे लेकिन उनसे वे नाराज हो कर उत्तर प्रदेश के साथ आ मिले। हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक जिला था बघेलखंड। मेरा उत्तर प्रदेश की कांग्रेस के संचालन में हाथ था इसलिये मुझको यह बात याद है। मेरा यह कहना है कि वे हमारे बहुत पास हैं। अगर वे आना नहीं चाहते तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वह आना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश वाले उनको लाना चाहते हैं तो क्यों रुकावट डाली जाये। अभी हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपनी विधान-सभा में कहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि में बड़ा है लेकिन खनिज पदार्थों में छोटा है। उसके पास खनिज पदार्थ नहीं हैं। मध्य प्रदेश के पास खनिज पदार्थ बहुत हैं। ऐसी स्थिति में विन्ध्य प्रदेश का टुकड़ा, जो कि खनिज पदार्थों की दृष्टि में महत्वपूर्ण है, वह उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाये तो दोनों को लाभ है। बुंदेलखंड के अधिकतर लोगों की भी यह इच्छा ज़ान पड़ती है कि वह उत्तर प्रदेश में आवें।

श्री रायचन्द भाई शाह (छिंदवाड़ा) : यह गलत है।

श्री एम० एल० द्विवेदी (जिला हमीरपुर) : मैं कहता हूं कि यह सही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसी तक रहने दें। हमने समझ लिया कि कुछ की राय है कि आ जायें और कुछ की राय है कि न आयें। माननीय सदस्य अपनी तकरीर जारी रखें।

श्री टंडन : मैं तो समझता हूं कि बुंदेलखंड के लोग भी आना चाहते हैं। लेकिन अगर सारा विन्ध्य प्रदेश नहीं आना चाहता तो कम से कम बघेलखंड को तो आने दीजिये। मुझे आशा है कि हमारे मध्य प्रदेश के भाई इसके औचित्य को समझेंगे।

अब मैं थोड़े से मिनटों में पंजाब के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

उस दिन यहां पर सरदार हुक्म सिंह ने जो भाषण किया, उसका मैंने अपने मन में स्वागत किया। उस दिन तो मुझे उस सम्बन्ध में बोलने का अवसर नहीं मिला था, सो आज कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैंने स्वागत उसका इसलिये किया कि उनके भाषण में और मास्टर तारासिंह के भाषण में भी मुझको नया दृष्टिकोण दिखाई दिया अर्थात् यह कि आज जो जालंधर डिवीज़न के बिगड़े हुए लोग हैं और जो सहमत नहीं हो रहे हैं, उनके साथ बातचीत करके, उनको मिलाने का यत्न किया जाय। सरदार हुक्मसिंह के भाषण में वह बात मुझे विशेष अच्छी लगी जो उन्होंने यह कहा कि हम बैठ कर आपस में समझौता करें। यही बात लाला अचिंत राम ने भी अपने भाषण में कही थी। इसमें तो कोई संदेह नहीं और हम सब देख रहे हैं कि यह कहना कि पंजाब में सब लोग संतुष्ट हैं, यह अर्ध सत्य है, यह बिल्कुल सच नहीं है और जो प्रबन्ध किया गया है उससे जालंधर के लोग असन्तुष्ट हैं .....

सरदार इकबाल सिंह (फाज़िल्का सिरसा) : अक्सीरियत (बहुमत) तो संतुष्ट है।

श्री टंडन : हरियाना के लोग मैं मानता हूं संतुष्ट हैं, लेकिन जालंधर डिवीज़न के तमाम हिन्दू इस प्रबन्ध के खिलाफ हैं। साथ ही मैं उसको स्वीकार करता हूं कि आपस में मेल पैदा किया जाय और सरदार हुक्म सिंह का वह सुझाव स्वागत योग्य है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको बैठ कर के कोई रास्ता निकालने का यत्न करना चाहिये।

यह जो क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना करने की बात है, यह एक नया प्रयोग है जो हम करने जा रहे हैं और इसके सम्बन्ध में मैं यही सुझाव दे सकता हूं कि बहुत समझ-बूझ कर हमें इसको चलाना है। एक तरफ रीजिनल कमेटी (प्रादेशिक समिति) का सिद्धान्त अर्थात् यह कि जो एक सूबा है उसको बांट दिया

[श्री टंडन]

जाय, दूसरी तरफ ज़ोनल कौंसिल का सिद्धान्त जो कि उससे भिन्न है, एक तरफ बढ़ाने की बात और दूसरे में छोटे स्थानों में कमेटी बनाने की बात, देखने में ऐसा लगता है कि उनमें दो अलग-अलग सिद्धान्त काम कर रहे हैं और उन दोनों को ही इस संविधान में स्थान दिया गया है। अभी जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव कह रहे थे यह स्थिति स्पष्ट नहीं है, मुझ को भी यही लगता कि अभी गवर्नमेंट का दिमाग कुछ इसके बारे में स्पष्ट नहीं है और वह कुछ टटोल रही है। मैं इस टटोलने को बुरा नहीं कहता, टटोलना कुछ बुरी बात नहीं है, समझ-बूझ कर आगे बढ़ने की बात है। हम रीजनल कमेटी को क्या अधिकार दें, किस तरह से उसको चलायें, इस सम्बन्ध में बहुत समझ-बूझ करके और अनुभव करके आगे काम करना है।

†**श्री वी० पी० पवार** (दक्षिण सतारा) : सबसे पहले मैं विधेयक के खण्ड २ का उल्लेख करूंगा, जिसमें कुछ राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन और वर्गीकरण करने की प्रस्थापना की गयी है। खण्ड १ की पहली अनुसूची में बम्बई का उल्लेख संघीय राज्य क्षेत्र के रूप में किया गया है। मेरा निवेदन है कि बम्बई को संघीय राज्य क्षेत्र की श्रेणी से निकाल कर उसको पड़ौसी महाराष्ट्र राज्य में मिला दिया जाना चाहिये और बम्बई के उन कुछ निवासियों के, जिन्होंने कुछ शंकायें और भय प्रकट किये हैं, हितों को सुरक्षित रखने को लिये किसी शासनयंत्र की स्थापना की जानी चाहिये।

दूसरे, मैं खण्ड ७ का उल्लेख करूंगा, जिसमें संविधान के अनुच्छेद १६८ में संशोधन करने की व्यवस्था की गयी है। इस अनुच्छेद में कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधान मण्डलों को रखने का उपबन्ध किया गया है। मेरा निवेदन है कि नये महाराष्ट्र राज्य में विधान परिषद् का भी होना बहुत आवश्यक है।

अब मैं खण्ड ९ के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। प्रस्थापित महाराष्ट्र विधान-सभा में २४० सदस्य रहेंगे। यदि महाराष्ट्र में द्विसदनीय विधान मण्डल की स्थापना की जानी है तो मेरा सुझाव है कि महाराष्ट्र विधान-सभा के सदस्यों की संख्या २८० अथवा २७० होनी चाहिये जिससे कि संसद् और विधान-सभा के स्थानों में १ और ७ का अनुपात कायम हो सके।

खण्ड १५ में दो या अधिक राज्यों के लिये एक ही उच्च न्यायालय की प्रस्थापना की गयी है। इस सम्बन्ध मे मेरा निवेदन है कि महाराष्ट्र और बृहत्तर बम्बई के लिये तो एक ही उच्च न्यायालय रखा जाय और गुजरात के लिये एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना की जाय।

खण्ड २१ के द्वारा अनुच्छेद ३७१ को प्रस्थापित करने की प्रस्थापना की गयी है। पंजाब और तेलंगाना में क्षेत्रीय समितियों की स्थापना किये जाने के विशेष कारण हो सकते हैं परन्तु इसी सिद्धान्त को बृहत्तर बम्बई अथवा विदर्भ पर लागू करना खतरनाक होगा।

सीमा सम्बन्धी विवादों को हल करने के लिये एक समान नीति होनी चाहिये। एक गांव के इधर रहने या उधर रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, परन्तु हमें किसी एक समान नीति के द्वारा इन समस्त सीमा सम्बन्धी विवादों को, विशेष रूप से बेलगांव, निपानी और करवार के मराठी-भाषी क्षेत्रों से सम्बन्धित विवादों को, सदा-सदा के लिये समाप्त कर देना चाहिये।

इन ६ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करने के बाद अब मैं द्विभाषी राज्यों के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं। यदि हम द्विभाषी राज्य नहीं चाहते हैं तो हामारी इंच्छा के विरुद्ध यह बात हम पर लादी क्यों जाती है। हमने स्पष्ट रूप में इस को ठुकरा दिया है। उसको हम पर लादना अलोकतन्त्रात्मक और अनुचित होगा।

हमें इस बात की प्रसन्नता है कि बम्बई के सम्बन्ध में इस द्विभाषी राज्य के सूत्र को त्याग दिया गया है और इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। अपने आदरणीय नेताओं और सरकार से हमारी

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रार्थना है कि हमारी मांग उचित हैं और हम केवल न्याय चाहते हैं। महाराष्ट्र राज्य को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो ।

†**पंडित जी० बी० पन्त :** कल मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उस पर हुई चर्चा ने राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक पर हुई चर्चा का ही रूप धारण कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन माननीय सदस्यों को राज्य पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के समय अपने विचारों को प्रगट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था उन्होंने सभा को अपने निश्चित मत से प्रभावित करने के लिये इस अवसर से लाभ उठाया है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि हम राज्य पुनर्गठन विधेयक आयोग सम्बन्धी चर्चा को ही जारी रख रहे हैं। यह बात उस विधेयक की विषय वस्तु के अत्यधिक महत्व की परिचायक है।

जो विचार यहां प्रगट किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ कहने से पूर्व, मैं श्री कामत द्वारा प्रस्थापित संशोधनों के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। मेरी कामना तो यही थी कि उन्होंने उन संशोधनों को प्रस्तुत न किया होता। यह संशोधन नितांत अनावश्यक थे। वह हमारे नियमों की भावना के बिल्कुल प्रतिकूल हैं, इस बात की संभावना है कि उनसे इस सभा के गौरव पर और सभा की इस सर्व सम्मत आकांक्षा पर, कि उच्च स्तर को कायम रखा जाय और हर प्रकार के मामलों में पथ प्रदर्शन के लिये अध्यक्ष महोदय का ही जो हमारे विशेषाधिकारों और अधिकारों के केन्द्र हैं, अनुसरण किया जाय, धब्बा लगेगा।

लोक-सभा के कार्य के संचालन के लिये निर्धारित नियमों द्वारा यह उपबन्ध किया गया है कि जब भी इस सभा द्वारा नियुक्त की गयी किसी प्रवर समिति में पालन की जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में अध्यक्ष से परामर्श करने की आवश्यकता पड़े तो उस मामले को अध्यक्ष महोदय को निर्देशित किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में नियम १०९ और ११० बिल्कुल स्पष्ट हैं। नियम १०९ में कहा गया है :

(१) अध्यक्ष समय-समय पर समिति के सभापति को ऐसे निदेश दे सकेगा जिन्हें वह समिति की प्रक्रिया के विनियामन के लिये तथा उसके कार्य के संघठन के लिये आवश्यक समझे।

(२) यदि किसी प्रक्रिया प्रश्न पर या अन्य प्रकार का सन्देह उत्पन्न हो तो सभापति, यदि वह ठीक समझे, वह प्रश्न अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर सकेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

नियम ११० है :

"प्रवर समिति को प्रवर-समितियों से सम्बन्धित प्रक्रिया के विषयों पर अध्यक्ष के विचारार्थ संकल्प पारित करने की शक्ति होगी जो प्रक्रिया में ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।"

श्री कामत द्वारा प्रस्थापित संशोधन इन नियमों की भावना और अर्थों के प्रतिकूल हैं। यह विचित्र बात है कि जब कि इसी सभा से सम्बन्धित कतिपय मामलों के विषय में तो इस सभा को अध्यक्ष पर पूर्ण विश्वास हो और वह उनको प्रवर समिति की प्रक्रिया को जैसे चाहें वैसे विनियामित करने को अधिकार दे दे, परन्तु जिस समय एक संयुक्त-समिति की प्रक्रिया की विनियामित करने के सम्बन्ध में अध्यक्ष को इसी प्रकार की शक्ति और अधिकार प्रदान करने की बात आये तब इस सभा के किसी माननीय सदस्य द्वारा उस पर आपत्ति की जाये। मुझे आशा है कि श्री कामत अपने संशोधनों को वापस लेकर अपनी भूल को सुधार लेंगे। साधारणतया उनकी यह आदत तो नहीं है, परन्तु शायद इस विशेष मामले में वह मेरी राय मान लें---मैं उनके सम्बन्ध में यह नहीं समझना चाहता हूं कि वह सुधार-योग्य ही नहीं हैं।

जो विभिन्न प्रश्न उठाये गये हैं, मैं उनमें से केवल कुछ के ही सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये गये हैं। अपनी ओर से हम तो किसी

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित जी० बी० पन्त]

बड़े अथवा तुलनात्मक रूप से छोटे राज्य में स्थिति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनों में कोई भेद करना नहीं चाहते हैं। परन्तु उनका वेतन राज्यों के संचित कोष में से दिया जाने को है, इसलिये हम उन राज्यों पर पूरी तरह से अपनी इच्छा को लाद भी नहीं सकते हैं। इसलिये जसा कि मैंने कल सुझाव दिया था, सबसे अच्छा ढंग यही है कि सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को सभी राज्यों द्वारा एक समान वेतन-क्रम को स्वीकार करने के लिये तैयार कर लिया जाये। त्रावनकोर-कोचीन, मैसूर और राजस्थान ही एसे तीन राज्य हैं जहां के वेतन अन्य राज्यों से भिन्न हैं। उसके बाद से राजस्थान ने यह इच्छा प्रगट की है कि वह अन्य राज्यों की बराबरी पर आने के लिये तैयार है। केवल मैसूर और त्रावनकोर-कोचीन राज्य ही बाकी बचते हैं। यदि करनाटक और मैसूर का प्रतिनिधित्व करन वाले सदस्यों की इच्छा हो कि मैसूर में भी, यही वेतन-क्रम लागू किये जाने चाहिये; तो मैं नहीं समझता कि कोई कठिनाई हो सकती है। इसी प्रकार, यदि त्रावनकोर-कोचीन का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य भी इसी आशय की इच्छा प्रगट करें, तो मामले की सभी आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी और सभी राज्यों में एक समान वतन-क्रम हो जायेंगे। मैं स्वयं इसका स्वागत करूंगा। इसलिये वह लोग अपना विचार निश्चित करलें और हम को सूचित करदें।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि न्यायाधीशों को अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है, उसके सम्बन्ध में दो मत हो ही नहीं सकते हैं। वास्तव में वह तो जनता की स्वतन्त्रता और उस विधान के, जिसके आधीन रहते हुए हमको कार्य करना पड़ता है, अभिभावक हैं। वह तो न्याय के प्रेरणा-स्रोत हैं। न्यायिक अधिकरणों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में तो हम उच्चतम स्तर को कायम रखना, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये न्यायाधीशों और जनता के साथ पूर्ण सहयोग करना चाहते हैं।

मुझे ज्ञात हुआ है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को, सेवा निवृत्ति के बाद, यदि उनकी इच्छा हो तो, उन उच्च न्यायालयों के, जिनमें उनको कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था, क्षेत्राधिकार से बाहर वकालत करने का अधिकार देने के लिये इस विधेयक में जो प्रस्थापना रखी गयी है उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति उठायी गयी है। जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा, उच्च न्यायालय के लिये सफल अधिवक्ताओं की सेवायें प्राप्त करने में कभी-कभी बड़ी कठिनाई होती है। वह बकालत छोड़ कर न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये जाने के लिये, इस प्रकार की पदोन्नति के फलस्वरूप तत्काल होने वाली हानि के कारण, अनिच्छुक होते हैं। उन पर इस बात का भी प्रभाव पड़ता है कि सेवा-निवृत्ति के बाद वह पुनः अपनी वकालत शुरू नहीं कर पायेंगे। पहले उनको ऐसा करने की अनुमति थी, परन्तु कुछ वर्ष पहले यह परिवर्तन कर दिया गया था। पिछले कुछ वर्षों के अनुभव ने हमको इस बात का पुनरीक्षण करने के लिये बाध्य कर दिया है कि उच्च न्यायालयों में न्याय सम्बन्धी कार्य को सम्पन्न करने के लिये वास्तव में योग्य और अग्रणी अधिवक्ताओं की सेवायें प्राप्त करने के लिये यह वांछनीय है कि सेवा-निवृत्ति के बाद उनको पुनः अपनी वकालत आरम्भ करने की अनुमति दी जाये। उनको जो निवृति-वेतन दिया जाता है वह उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं होता है। इसी प्रकार न्यायाधीशों की भी यही इच्छा है। मैं समझता हूं कि हमको उनकी इच्छाओं को जिन्हें हम उचित समझते हैं स्वीकार कर लेना चाहिये।

न्यायाधीशों के वेतन अत्यधिक नहीं हैं। अनुसचिवीय श्रणियों और अन्य पदों की तुलना में यह निश्चय ही अधिक हैं। परन्तु भाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश संसार भर में यही स्थिति है; सफल अभिवक्ता बहुत ज्यादा धन कमाते हैं--ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह रुपया चीर रहे हैं। इसलिये जब उनसे उच्च न्यायालय में एक स्थान स्वीकार करने के लिये कहा जाता है तो वे स्वाभाविक रूप से ही--मानव स्वभाव ही ऐसा है--इस बात से विचलित हो जाते हैं कि आर्थिक हानि, ठोस स्वर्ण के रूप में,

बहुत अधिक होगी और यही बात उनके उच्च न्यायालयों में सम्मिलित होने में बाधक बन जाती है। इस कारण कष्ट जनता को उठाना पड़ता है। यदि वास्तव में उन लोगों के द्वारा, जो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के आसनों पर बैठते हैं, शुद्ध और महान् न्याय की गारन्टी कर दी जाय तो कुछ सौ रुपयों की कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिये हमारे संविधान में न्यायाधीशों के लिये जिस वेतन का उपबन्ध किया गया है, उससे हमको शिकायत नहीं होनी चाहिये।

लोक-सभा के सदस्यों की संख्या के सम्बन्ध में संविधान में जो उपबन्ध किया गया है, उसके सम्बन्ध में कुछ ग़लतफहमी हो गयी प्रतीत होती है। राज्यों के लिये ५०० सदस्यों और राज्य क्षेत्रों के लिये २० की अधिकतम सीमा निर्दिष्ट की गयी है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि यह समस्त ५२० सदस्य तत्काल ही नियुक्त किये जाने चाहियें। राज्य-क्षेत्रों से निर्वाचित किये जान वाले अथवा नामोद्दिष्ट किये जाने वाले सदस्यों के सम्बन्ध में पहले कोई सीमा नहीं थी। यह एक त्रुटि थी। इसलिये हमने सोचा कि संघीय राज्य क्षेत्रों के लिये २० की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाये। सरकार इस मामले में कुछ भी करने के लिये स्वतन्त्र थी। इसलिये सरकार के स्वविवेक और प्राधिकार को सीमित करने के लिये हमने अधिकतम संख्या २० रखी है। परन्तु राज्यों तथा राज्यक्षेत्रों दोनों से लोक-सभा में प्रतिनिधियों की कुल संख्या, जैसा कि माननीय सदस्यों ने राज्य पुनर्गठित विधेयक से संलग्न अनुसूची में देखा होगा, इस समय केवल ४९९ ही रखी गयी है। परन्तु यह संख्या ५२० तक बढ़ाई जा सकती है--५०० राज्यों से और २० राज्य क्षेत्रों से। परन्तु राज्य पुनर्गठन विधेयक में संलग्न अनुसूची में जिस परिवर्तन का संकेत किया गया है उसके अतिरिक्त और कोई परिवर्तन करने की इच्छा नहीं है।

फिर, ज़ोनल परिषदों के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कही गयी हैं। परन्तु ज़ोनल परिषदों को कोई संविहित प्राधिकार नहीं दिया गया है और मैं कल इसके कारण भी बता चुका हूं। मैं उस समय कही गयी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। यह देखा गया था कि जोनल परिषदों और प्रादेशिक समितियाँ आपस में मेल नहीं खाती हैं। मैं इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं देखता हूं।

ज़ोनल (क्षेत्रीय) परिषदों की स्थापना विभिन्न राज्यों को एक साथ लाने के लिये की जा रही है ताकि सामूहिक हित के मसलों पर वह विचार-विनिमय कर सकें और यदि संभव हो तो किसी प्रकार का समझौता कर सकें। इसलिये उनका स्वरूप परामर्शदात्री है और हम आशा करते हैं कि इन परिषदों के ज़रिये हम देश के राज्यों को किसी प्रकार एक सूत्र में पिरो सकेंगे जोकि इस समय भाषा के आधार पर अलग किये जा रहे हैं। यही उद्देश्य है।

जहां तक प्रादेशिक समितियों का सम्बन्ध है वह विधानमंडल की समितियां हैं जिनमें विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाई सदस्य रहेंगे जोकि कुछ ऐसे मामलों पर विचार करेंगे जिनका निकट सम्बन्ध राज्य के दैनिक जीवन से हो। वह उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की कि हमारे स्वायत्त शासी निकाय हैं। किन्तु कोई यह कह सकता है कि "जब आपके स्वायत्त शासी निकाय नगरपालिका बोर्ड और जिला बोर्ड जैसे रहे हैं तो केन्द्रीय सरकार को कायम रखना एक ऐसी बात है जो कि उसके अनुरूप नहीं है"। किन्तु जब आपके पास मध्यवर्ती निकाय के रूप में एक अधिक बड़ा निकाय हो तो यह और भी आवश्यक हो जाता है। आखिरकार यह सब जो व्यवस्थायें की जा रही हैं वह किसी सिद्धान्त या विचार-धारा पर आधारित नहीं हैं वरन् देश की जनता के विभिन्न विभागों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमें जिन परिस्थितियों में कार्य करना है उनको दृष्टि में रखते हुए की गई हैं। आखिरकार प्रजातन्त्र जनता के संतोष के लिये कार्य करता है और जो भी प्रत्येक कार्यवाही की जानी है वह उन बुनियादी बातों के अनुरूप होनी चाहिये जिनसे इस देश में सभी वर्गों, जातियों और व्यक्तियों को संतोष मिल सके, ताकि सभी व्यक्तियों को स्वाधीनता के सुख की अनुभूति हो और देश की शीघ्र प्रगति और विकास के लिये किये जाने वाले रचनात्मक और सहकारी प्रयास में सभी अपना योगदान दें। मुझे खेद है कि जालंधर डिवीजन के लोगों ने क्षेत्रीय योजना के मन्तव्य और परिणामों को पूर्णरूप से समझा नहीं

[पंडित जी० बी० पन्त]

है। प्रादेशिक और क्षेत्रीय योजना के बारे में सरकार को कोई दुविधा नहीं है और उनके बारे में सभी बातें स्पष्ट हैं। उक्त योजना को सभा-पटल पर रखा गया था और माननीय सदस्यों ने उसे देखा ही होगा। वास्तव में, मुझे खेद है कि जालन्धर डिवीजन के कुछ नागरिक इस योजना के गुणों को पूर्णरूप से अब तक समझ नहीं सके हैं। मेरा अपना विश्वास है कि यदि वह निष्पक्ष भाव से उसकी जांच करें तो वह देखेंगे कि उसमें कोई बात ऐसी नहीं है जो भविष्य के सम्बन्ध में गलतफहमी या आशंका उत्पन्न कर सके। इन दो प्रदेशों में रहने वाले सभी लोगों के लिये यह एक चुनौती है कि पिछले १० या २० वर्षों में उनके जो छोट-मोटे मतभेद या दुराग्रह रहे हों उन्हें वह त्याग दें और इस बात को समझें कि प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण अन्य प्रदेशों में रहने वाले बांधवों के साथ सहयोग करने में ही निहित है। हम बहु-भाषी और एक भाषी राज्यों के बारे में सुनते रहे हैं। किन्तु यहां आप देखते हैं कि एक दिचित्र बात है, और वह यह है कि एक ही प्रदेश में रहने वाले एक ही भाषा बोलने वाले लोग यदि एक दूसरे के साथ लड़ते नहीं हैं तो भी परस्पर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और प्रतिस्पर्था और अविश्वास की भावना का अनुभव करते हैं और यह उनके सार्वजनिक जीवन का और संभवत: व्यक्तिगत जीवन का भी एक अंग है। यह उनके हित में और देश के वृहत्तर हित में भी आवश्यक है और मैं इस सम्बन्ध में आशा-वादी हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे जिन मित्रों को अब भी सन्देह है यदि वह इस प्रश्न पर और हमारे द्वारा खोजे गये हल पर निष्पक्ष रूप से और सहानुभूति से विचार करें तो वह यह देखेंगे कि जो हल हमने सोचा है वह स्वीकार करने योग्य है। यदि वह ऐसा करने में असफल रहते हैं तो वह अपने राज्य और देश के प्रति कर्त्तव्य निर्वाह करने में असफल रहेंगे।

द्विसदनीय विधान मंडलों के बारे में भी कुछ कहा गया है। मेरे कुछ मित्रों का ख्याल है कि प्रत्येक राज्य में केवल एक सदन होना चाहिये और उच्च सदन नहीं होना चाहिये। तथापि राज्य इस सम्बन्ध में सोच विचार करके निर्णय करने के लिये स्वतन्त्र है। प्रजातन्त्र का सार प्रत्येक भाग को अधिकतम स्वाधीनता प्रदान करने में निहित है जोकि स्वयं देश के विकास, उसकी सभी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये उसकी एकता, निष्ठा और प्रगति के अनुरूप है। इसलिये यदि कुछ लोग दूसरा सदन चाहते हैं तो हम उनके रास्ते में नहीं आयेंगे। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि संविधान के अन्तर्गत लोक-सभा किसी भी समय दूसरे सदन की समाप्ति के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। राज्यों की विधान-सभायें भी इसी आशय का सुझाव दे सकती हैं बशर्तेकि दूसरा सदन उसी राज्य में हो। इसलिये किसी राज्य में यदि विधान-परिषद् या विधान-सभा की स्थापना हो भी जाये तो वह एक ऐसी व्यवस्था है जिसका अस्तित्व जनता के प्रतिनिधियों की सभा की इच्छा पर निर्भर होगा। किन्तु मैं यह कहूंगा कि कभी-कभी विधान परिषद उपयोगी कार्य करती है। जब किसी विधान की जांच की जानी होती है तो कई बार यह बांछनीय होता है कि प्रस्तुत विधेयकों की जांच न केवल उसी सदन में हो, जहां कि उन्हें प्रथम प्रस्तुत किया गया हो, किन्तु दूसरे सदन में भी उसकी जांच की जावे। कभी-कभी जब आप अंकों को जोड़ते हैं तो एक ही गलती को बार-बार करते हैं फिर चाहे वह गलती प्रत्यक्ष ही क्यों न हो। कभी-कभी आप १०० और १० को जोड़ कर १२० करते हैं, उसे बार-बार जोड़ कर देखते हैं फिर भी योग १२० ही रहता है। उसी को यदि कोई दूसरा व्यक्ति जोड़ता है तो वह गलती को एकदम पकड़ लेता है और कहता है कि जोड़ १२० नहीं किंतु ११० होना चाहिये। इसलिये दूसरा सदन होना कभी-कभी लाभदायक होता है किन्तु इस बात का निर्णय सम्बन्धित राज्यों पर निर्भर है।

अल्पसंख्यकों के लिये परित्राणों के बारे में भी कुछ कहा गया था। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि विधेयक में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक उपबन्ध है। किन्तु आयोग द्वारा कई परि-त्राणों का सुझाव दिया गया है और हमने उन्हें स्वीकार किया है। परित्राण इसलिये आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक भारत के किसी भाग में अपनी भाषा, जाति, लिंग या अन्य विभेदात्मक बातों के बाव-

जूद पूर्ण अधिकारों का उपयोग कर सके। वहां न केवल भाषा का वरन् अधिवास का प्रश्न भी आता है। कभी-कभी लोगों को उन राज्यों में सेवायुक्त नहीं किया जाता है जिनमें कि उनका स्थायी अधिवास नहीं होता है। कभी-कभी उन्हें कुछ राज्यों में भूधारण करने या भूमि खरीदने नहीं दी जाती है। ऐसी और भी शर्तें हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक ऐसे परित्राणों के अधीन रहकर जोकि उस विशिष्ट क्षेत्र के लिये आवश्यक हों, भारत के प्रत्येक भाग में नागरिकता के अधिकारों और विशेषाधिकारों का पूर्ण उपभोग कर सके।

विधेयक में उपबन्ध किया गया है कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने स्थान पर बने रहेंगे जोकि पहले की विधान सभाओं में थे और पुनर्गठन के बाद नये राज्यों का अधिकांश भाग हैं।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : यह नई विधान-सभाओं पर छोड़ दिया जाये।

†**पंडित जी० बी० पन्त :** सुझाव यही था और मैं भी उसी का निर्देश कर रहा हूं। हमने विधेयक में ऐसा एक उपबन्ध रखा है कि सभी विधान सभाओं के मौजूदा सदस्य नये राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य होंगे। मेरा ख्याल है कि कुर्ग की विधान सभा में इस समय २५ या २४ सदस्य हैं। किसी भी हालत में सदस्यों की संख्या २० से अधिक है और कुर्ग की जनसंख्या लगभग दो लाख है। हमारी अब भी यह इच्छा है कि किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिये और उन सभी सदस्यों को जिन्हें मौजूदा राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने का विशेषाधिकार मिला था, नये राज्यों के विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व करने दिया जाये। इसलिये नये विधान मंडल प्रतिनिधान के एक समान सिद्धान्तों पर आधारित नहीं होंगे। मौजूदा विधान मंडलों में से कुछ में आवश्यकता से अधिक प्रतिनिधित्व होगा तो कुछ मे आवश्यकता से कम। हम इसलिये ऐसा कर रहे हैं ताकि आम चुनाव तक कोई गड़बड़ी न हो। इसलिये हमने मौजूदा परिस्थितियों में यही उचित समझा कि अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को भी कायम रहने दिया जाये क्योंकि जब सदस्य किसी एकसम आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं तो अन्य व्यक्तियों को भी इसी तरह कायम रखना सर्वोत्तम निदान होगा। किन्तु संयुक्त समिति इस प्रश्न पर विचार करने के लिये स्वतन्त्र होगी। मैं दो बजे तक ही बोलने की उम्मीद रखता था और मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री ने सुझाव दिया है कि जो संशोधन मैंने रखे हैं उनके लिये मैं परिमार्जन करूं। क्या वह इस बात से सहमत नहीं हैं कि अध्यक्ष महोदय ने कल मेरे साथ जो व्यवहार किया था उसके लिये उन्हें परिमार्जन करना चाहिये ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** हम उस विवादग्रस्त बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** (गुना) : मैं एक बात के बारे में पूछता हूं। गृह मंत्री ने अभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्देश किया है। क्या मैं उन्हें यह बता सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में विधान सभा का उपाध्यक्ष एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जोकि महाराष्ट्र को चला जायगा ? यह उपबन्ध किया गया है कि वह नई विधान-सभा के उपाध्यक्ष होंगे। यदि इस प्रकार का उपबन्ध विधेयक में किया गया तो ऐसी अनियमिततायें रहेंगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब संयुक्त समिति उस पर विचार करेगी। गृह मंत्री ने कहा है कि संयुक्त समिति परिवर्तन कर सकेगी।

†**श्री कामत :** मैंने जो बात उठाई थी उसके बारे में आपका क्या निर्णय है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा के समक्ष एक प्रस्ताव है। श्री कामत ने कुछ संशोधन पुरःस्थापित किये हैं। विधि-कार्य मंत्री द्वारा, श्री कामत जब अनुपस्थित थे, तब एक अपील की गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : मैं उपस्थित था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है ।

†**श्री कामत** : विधि कार्य मंत्री से मैं पूछता हूं कि क्या मैं उपस्थित नहीं था ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ..... कि यदि माननीय सदस्य अपने संशोधन वापिस ले लें तो अच्छा होगा । मैं केवल माननीय सदस्य की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं ।

†**श्री कामत** : मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे सुझाव के सम्बन्ध में गृह कार्य मंत्री की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उसमें जानने की बात कोई नहीं है । मैं यह माने लेता हूं कि माननीय सदस्य यह संशोधन मेरे द्वारा प्रस्तुत कराना चाहते हैं ।

†**श्री कामत** : हां ।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : मेरी प्रतिक्रिया यह है कि अध्यक्ष महोदय का व्यवहार आद्योपान्त उचित रहा है ।

†**श्री कामत** : मेरा आप से तीव्र मतभेद है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस विवाद में नहीं पड़ेंगे । हमारे समक्ष यह प्रश्न अभी नहीं है । प्रश्न केवल यह है संशोधन स्वीकृत किये जायें अथवा नहीं । जहां तक मेरा ख्याल है वह निश्चय ही हमारे नियम संख्या १०९, ११० आदि का उल्लंघन करते हैं । फिर भी मैं उन्हें सभा के समक्ष रखने के लिये तैयार हूं । और सभा उनके बारे में चाहे जो निर्णय कर सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सदनों के ५१ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जायें; जिसमें ३४ सदस्य इस सभा के, अर्थात् श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या, श्री एच० वी० पाटस्कर, श्री ए० एम० थामस, श्री आर वेंकटरामन, श्री एस० आर० राने, श्री बी० जी० मेहता, श्री बसंत कुमार दास, डा० राम सुभग सिंह, पंडित अलगू राय शास्त्री, श्री देव कांत बरुआ, श्री एस० निजलिंगप्पा, श्री एस०के० पाटिल, श्री श्रीमन्नारायण, श्री जी० एस० आल्तेकर, श्री जी० बी० खेड़कर, श्री राधा चरण शर्मा, श्री गुरुमुख सिंह मुसाफ़िर, श्री राम प्रताप गर्ग, श्री भवनजी ए० खीमजी, श्री पी० रामस्वामी, श्री बी० एन० दातार, श्री आनंदचन्द, श्री फ्रैंक एन्थनी, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री के० के० बसु, श्री जे० बी० कृपालानी, श्री अशोक मेहता, श्री सारंगधर दास, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री जयपाल सिंह, डा० लंका सुन्दररम्; श्री टेक चन्द, डा० एन० एम० जयसूर्य और श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा;

और राज्य सभा के १७ सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने करने के लिये गणपूर्ति (कोरम) संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को १४ मई, १९५६ तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

---

†मूल अंग्रेजी में

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक––जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हमें कार्य सूची के दूसरे विषय को लेना है ।

अब सभा श्री पाटस्कर द्वारा १२ दिसम्बर, १९५५ को पुरःस्थापित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी :

"कि हिन्दुओं में वसीयतरहित उत्तराधिकार सम्बन्धी विधि को संशोधित तथा संहिता-बद्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

इस विधेयक के निपटारे के लिये ३५ घंटे का समय उपलब्ध है । श्री पाटस्कर अपना भाषण पहले ही समाप्त कर चुके हैं ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (ज़िला लखनऊ–मध्य) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित बिल में · · · · · ·

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय महिला सदस्या मुझे क्षमा करेंगी । कुछ संशोधन ऐसे हैं जिन पर विचार किया जाना है । श्री वी० जी० देशपांडे ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** (गुना) : मैं उसे प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मेरा ख्याल है कि नियमों के अन्तर्गत उक्त संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं उसके सम्बन्ध में बाद में कहूंगा । अन्य संशोधन भी हैं । पंडित ठाकुर दास भार्गव ।

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव** (गुड़गांव) : मैं यह भूल गया हूं कि पहले संशोधन क्या थे ? मैंने आज कुछ और संशोधनों की सूचना दी है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं उन संशोधनों के बारे में कह रहा हूं ।

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव** : मैं संशोधन संख्या २१, २२ और २३ प्रस्तुत करना चाहता हूं । क्या मैं उन्हें प्रस्तुत कर सकता हूं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं केवल माननीय सदस्य की इच्छा जानना चाहता था । माननीय मंत्री को उनकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में आपत्ति है ।

†**श्री पाटस्कर** : यह विधेयक राज्य-सभा में आरम्भ किया गया था । उसे एक संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया था । संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद उसे परिषद् द्वारा पारित किया गया है । किसी विधेयक में इस अवस्था पर किये जानेवाले प्रस्तावों के सम्बन्ध में जो नियम हैं वह नियम १५१ से आरम्भ होते हैं जिसका सम्बन्ध परिषद में आरम्भ होने वाले और लोक-सभा को भेजे गये विधेयकों से है । प्रथम नियम यह है कि जब परिषद् में आरम्भ होनेवाला

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

कोई विधेयक परिषद् द्वारा पारित हो गया हो और सभा को पहुंचाया जाये, तो विधेयक, यथासम्भव शीघ्र पटल पर रखा जायेगा। यह सब हो गया होगा। नियम १५३ का सम्बन्ध विचार प्रस्ताव से है।

मुख्य नियम १५५ में कहा गया है कि :

"कोई भी सदस्य (यदि विधेयक पहले ही दोनों सदनों की किसी संयुक्त समिति को सौंप न दिया गया हो, किन्तु अन्यथा नहीं) संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और यदि ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जायेगा, और तब सभा में आरम्भ होने वाले विधेयकों की प्रवर समितियों से सम्बन्धित नियम लागू होंगे।"

वास्तव में नियम १५१ के अन्तर्गत और परिषद् आरम्भ होनेवाले और सभा को पहुंचाये जाने वाले अग्रेतर सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत केवल कुछ ही संशोधन प्रस्तावित किये जा सकते हैं। प्रवर समिति की नियुक्ति से सम्बन्धित नियम १५५ में विशिष्ट रूप से कहा गया है "यदि विधेयक पहले ही दोनों सदनों की किसी संयुक्त समिति को सौंप न दिया गया हो, किन्तु अन्यथा नहीं"। यदि विधेयक संयुक्त समिति को सौंप न दिया गया होता और उस सभा द्वारा पारित न किया गया होता तो ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता था कि इस विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंप दिया जाये। अन्यथा यह सभी प्रस्ताव, जिनका स्वरूप बहुत कुछ विलम्बकरी है, नियम-वाह्य हैं।

श्री देशपांडे के संशोधन में कहा गया है :

"कि विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपा जाय और उसे मिताक्षरा संयुक्त परिवार की सम्पत्ति सम्बन्धी सभी निर्देशों को निकाल देने और विधेयक को पुनः प्रारूपित करने का आदेश दिया जाये।"

वह चाहते थे कि विधेयक को पुनः संयुक्त समिति को सौंपा जाये। जिस विधयक को दूसरी सभा ने पारित करके इस सभा को और इस रूप में और स अवस्था में भेजा उसके सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रस्ताव किये जाने का उपबन्ध नियमों में नहीं है।

मैं सोचता हूं कि पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन प्रातः ११·३५ पर मिले थे। जहां तक मेरा सम्बन्ध है वे प्रस्ताव केवल विलम्बकारी प्रस्ताव हैं और मैं इस बात के लिये सहमत नहीं हूं कि सूचना सम्बन्धी अवधि की छूट दी जाये और उन्हें प्रस्तुत करने दिया जाये परन्तु यह टैक्नीकल विषय है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव का एक संशोधन निम्न प्रकार का है :

"कि विधेयक को राय जानने के लिये परचालित किया जाये"

मैं नहीं सोचता कि ऐसे विधेयकों के बारे में बताये गये नियमों के अधीन ऐसा प्रस्ताव किया जा सकता है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इसे आरम्भ में राय जानने के लिये परिचालित किया गया था और इसके बाद दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने इस पर विचार किया था; वे दोनों प्रक्रम पूरे हो चुके हैं।

पंडित ठाकुरदास भार्गव का २२वां संशोधन निम्न प्रकार है :

"कि विधेयक प्रवर समिति को मूल विधेयक पर फिर से विचार करने और अपना प्रतिवेदन देने के लिये फिर से सौंपा जाये और समिति को यह अनुदेश दिया जाये कि वह विधेयक द्वारा स्पष्ट रूप से छोड़े गये विषयों और सम्पत्तियों को छोड़े।"

यह भी विलम्बकारी प्रस्ताव है। मैंने जिन नियमों का उल्लेख किया है उनके अनुसार ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जा सकता।

उनका तीसरा प्रस्ताव निम्न प्रकार का है :

"कि विधेयक को प्रवर समिति को जिसमें (व्यक्तियों के नाम प्रस्ताव करते समय बताये जायेंगे) सौंपा जाये और उसे यह अनुदेश दिया जाये कि वह मूल विधेयक पर अगस्त १९५६ के अन्त तक अपना प्रतिवेदन दे।"

मैं सोचता हूं कि नियम १५५ के अधीन भी यह स्पष्ट रूप से अवरुद्ध है क्योंकि संयुक्त समिति को यदि यह विधेयक न सौंपा जाता तभी यह प्रस्तुत किया जा सकता था। नियम १५५ स्पष्ट है।

इसके अलावा ये सब विलम्बकारी प्रस्ताव हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान नियम ३२३ की ओर आकर्षित करूंगा जिसमें कहा गया है कि:

"(२) यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि किसी विधेयक पर अग्रेतर राय जानने के लिये उसे पुनः परिचालन का प्रस्ताव ऐसे विलम्बकारी प्रस्ताव के स्वरूप का है जिससे सभा के नियमों का दुरुपयोग होगा क्योंकि मूल परिचालन ही पर्याप्त या व्यापक था या यह कि पूर्व परिचालन के बाद विधेयक के पुनः परिचालन की आवश्यकता के हेतु कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, तो वह उस पर अध्यक्ष पीठ से तुरन्त प्रश्न रख सकेगा या प्रश्न प्रस्थापित करने से इनकार कर सकेगा।"

"(३) यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि किसी विधेयक पर सभा की प्रवर समिति या सदनों की संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने के बाद विधेयक के सभा की प्रवर समिति या सदनों की संयुक्त समिति को फिर से सौंपे जाने या उसके परिचालन या पुनः परिचालन का प्रस्ताव ऐसे विलम्बकारी प्रस्ताव के स्वरूप का है जिससे सभा के नियमों का दुरुपयोग होगा क्योंकि, यथास्थिति, सभा की प्रवर समिति या सदनों की संयुक्त समिति विधेयक पर उचित रीति से विचार कर चुकी है या यह कि विधेयक के ऐसी समिति से आने के बाद कोई अप्रत्याशित या नई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, तो वह उस पर अध्यक्ष पीठ से तुरन्त प्रश्न रख सकेगा या प्रश्न प्रस्थापित करने से इनकार कर सकेगा।"

जिन प्रक्रमों से यह विधेयक निकल चुका है उनको देखते हुए मैं निवेदन करता हूं कि ये **सब** विलम्बकारी प्रस्ताव हैं। इन के द्वारा यह चाहा जा रहा है कि यह विधान जिसे बहुत पहले पारित हो जाना चाहिये था, पारित न हो सके। मैं इस प्रक्रम पर ऐसे किसी प्रस्ताव से प्रस्तुत किये जाने के विरुद्ध हूं।

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव :** माननीय मंत्री किस नियम का उल्लेख कर रहे हैं ?

†**श्री पाटस्कर :** मेरी पहली आपत्ति तो यह है कि दूसरी सभा में आरम्भ होने वाले विधेयकों के बारे में एक विशेष प्रक्रिया है और ये सब प्रस्ताव नियम वाह्य हैं।

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव :** आप किस नियम का उल्लेख कर रहे हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** नियम १५५ और ३२३।

†**श्री वी० जी० देशपांडे :** हमने ये प्रस्ताव विलम्ब करने के लिये प्रस्तुत नहीं किये हैं। विधि कार्य मंत्री ने स्वयं राज्य सभा में स्वीकार किया था कि विधेयक के प्रारूप में कई दोष हैं। राज्य-सभा में भी हमें बहुत सी विसंगत बातों का पता लगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को इस विषय में कहना चाहिये कि क्या इस समय इसे प्रवर समिति को सौंपना ठीक होगा जब कि वह राज्य सभा द्वारा पहले ही संयुक्त समिति को सौंपा जा चुका है ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे :** मैं यह स्पष्ट करना चाहता था कि हम विलम्बकारी चालें नहीं चल रहे हैं। खंड ६ के अधीन एक परन्तुक संशोधन के पश्चात् रखा गया था। मूल रूप में विधेयक में "महिला सम्बन्धी" शब्द थे अब हमने "उस श्रेणी में उल्लिखित पुरुष सम्बन्धी" शब्द रख दिये हैं परन्तु व्याख्या में यह परिवर्तन नहीं किया गया है। ऐसी असंगतियां अब भी रह गई हैं।

मैं चाहता हूं कि विधेयक ऐसे न बने जिससे कि मुकद्दमेबाजी होने लगे। सभा में कोई भी नहीं चाहता कि इसके दोष बने रहें और यह पारित कर दिया जाये।

नियम १५५ के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि यह विधेयक वह मूल विधेयक नहीं है जिसे राज्य-सभा ने हमारे पास भेजा था क्योंकि उसमें मिताक्षर सम्पत्ति को छोड़ दिया गया था और प्रवर समिति ने नियम तथा विनियम बनाकर उसमें कई भ्रम पैदा कर दिये हैं। भिन्न विधेयक होने के कारण वे नियम लागू नहीं होंगे जो दूसरी सभा में आरम्भ होने वाले विधेयकों के ऊपर लागू होते हैं। इसे संयुक्त समिति को सौंपा जाना चाहिये तथा इसका ठीक प्रारूप बनाया जाना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य मेरी सहायता करेंगे ।

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव :** यदि कोई विधेयक दूसरी सभा द्वारा पारित किया गया हो तो भी इस सभा को प्रवर समिति नियुक्त करने की शक्ति होती है। रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक के बारे में ऐसा किया गया था।

इस विधेयक के बारे में, जहां तक मूल विधेयक के खंड ५ का सम्बन्ध है, विशेष स्थिति है। जब इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर यहां चर्चा हुई थी, खंड ५ पर भी चर्चा हुई थी। संयुक्त समिति को सौंपने के समय मूल विधेयक सभा के समक्ष रखा गया था और हमें बताया गया था कि खंड ५ में दी गई संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति आदि पर इस विधेयक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन पर संयुक्त समिति विचार नहीं करेगी।

अंत में संयुक्त समिति का प्रतिवेदन दूसरी सभा के समक्ष रखा गया और हम उसके किसी उपबन्ध पर आक्षेप नहीं उठा सके जैसा हमें विदित है। जनता को अधिकार है कि वह प्रवर समिति को अभ्यावेदन दे सके ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** हम तो संक्षेप में केवल यह जानना चाहते हैं कि जब विधेयक दूसरी सभा द्वारा पारित किया जाये तब क्या हम उसे फिर से संयुक्त समिति अथवा प्रवर समिति को सौंप सकते हैं ?

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव :** उस नियम की संख्या क्या है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** १५५ ।

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव :** यह नियम मामूली मामलों के लिये है जब प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति ने काम न किया हो। किस नियम में यह दिया गया है कि जब कोई विधेयक दूसरी सभा में पारित किया गया हो इस सभा के क्या अधिकार होंगे। नियम १५५ में इस प्रकार के विधेयकों की चर्चा नहीं की गई है। हमें यह सिद्धांत मानना चाहिये कि यह सभा स्वतन्त्र है और दूसरी सभा जो

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ करे उससे हम बाध्य नहीं हैं। जो विधेयक यहां आते हैं वे इस प्रकार के होते हैं मानों उन पर प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया हो। इस आधार पर यह कहना कि हम अपनी प्रवर समिति नियुक्त नहीं कर सकते इस सभा की स्वतन्त्रता और अधिकारों में हस्तक्षेप करना होगा। यह सभा प्रत्येक विषय पर स्वतन्त्र निर्णय ले सकती है तथा स्वतन्त्र प्रक्रिया अपना सकती है।

मेरे माननीय मित्र ने नियम ३२३ का उल्लेख किया। यह प्रस्ताव विलम्बकारी प्रस्ताव नहीं है। इस विधेयक द्वारा आप उत्तराधिकार विधि के सिद्धान्तों में परिवर्तन कर रहे हैं। अतएव जनता की राय लेना आवश्यक है। अभी ऐसा नहीं किया गया है। इस के विपरीत यह धारणा पैदा की गई है कि इसके उपबन्ध संयुक्त परिवार की सम्पत्ति पर लागू नहीं होंगे। अतएव यह आवश्यक है कि यह बताया जाये कि ये प्रस्ताव कैसे अवरुद्ध हुए।

यह सभा के अधिकारों का प्रश्न है। दो सभाओं का क्या उपयोग यदि वे इन विधेयकों के सम्बन्ध में स्वतन्त्र कार्यवाही न कर सकें।

यद्यपि विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा गया था फिर भी दोनों सभाएं किसी सिद्धान्त को मानने के लिये बाध्य नहीं हैं। हम तो केवल मूल विधेयक के उपबन्धों से बाध्य हैं। मूल खंड ५ में दिये गये उपबन्धों से बाहर जाना संयुक्त समिति की शक्ति से परे था।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन यह है कि इन प्रस्तावों को अवरुद्ध करना उचित नहीं होगा और इन्हें प्रस्तुत करने दिया जाये।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर): मैं संयुक्त समिति का सदस्य था और मैं विश्वास करता हूं कि उसने किसी उपबन्ध का अतिक्रमण नहीं किया।

फिर भी मुझे सभा के अधिकारों में रुचि है। नियम १५५ में केवल यह दिया गया है कि यदि कोई विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा गया हो तो हम यहां विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव नहीं कर सकते। परन्तु श्री वी० जी० देशपांडे ने प्रस्ताव किया है कि विधेयक उसी संयुक्त समिति को सौंपा जाये।

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव** : मैंने भी ऐसा ही किया है।

†**श्री एस० एस० मोरे** : माननीय सदस्य के संशोधन परिचालित नहीं किये गये।

यदि संशोधन यह हो कि विधेयक फिर से उसी संयुक्त समिति को सौंपा जाये तो मैं नियम ३२३ (३) का सहारा लूंगा जिसमें कहा गया है कि :

(३) यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि किसी विधेयक पर सभा की प्रवर समिति या सदनों की संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने के बाद विधेयक के सभा की प्रवर समिति या सदनों की संयुक्त समिति को फिर से सौंपे जाने या उसके परिचालन या पुनः परिचालन का प्रस्ताव ऐसे विलम्बकारी प्रस्ताव के रूप का है जिससे सभा के नियमों का दुरुपयोग होगा क्योंकि, यथास्थिति, सभा की प्रवर समिति या सदनों की संयुक्त समिति विधेयक पर उचित रीति से विचार कर चुकी है या यह कि विधेयक के ऐसी समिति से आने के बाद कोई अप्रत्याशित या नई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, तो वह उस पर अध्यक्ष पीठ से तुरन्त प्रश्न रख सकेगा या प्रश्न प्रस्थापित करने से इन्कार कर सकेगा।

यदि हम उस नियम विशेष की व्याख्या करें तो इसका अभिप्राय यह होगा कि माननीय सदस्य यह प्रस्ताव कर सकते हैं, कि विधेयक उपसंयुक्त समिति अथवा प्रवर समिति को जिसने प्रारम्भ में प्रतिवेदन दिया था, फ़िर से सौंपा जाय। उस नियम में कुछ बातों का भी उल्लेख है जिन पर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एस० एस० मोरे]

अध्यक्ष को प्रस्ताव को मान्य ठहराने अथवा विलम्बकारी बताकर अस्वीकृत करने का निर्णय करने से पूर्व विचार करना होगा। नियम ३२३ की प्रक्रिया नियम १५५ की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करती है अतः विधेयक को संयुक्त समिति को फिर से सौंपने अथवा प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वतः ही शून्यवत नहीं होता। यह बात दूसरी है कि अध्यक्ष महोदय यह निर्णय दें कि यह विलम्बकारी है। किन्तु प्रस्ताव आरम्भ से ही शून्यवत नहीं है।

†**श्री साधन गुप्त :** (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधनों को स्वीकार करने का जहाँ तक सम्बन्ध है यह मामला पर्याप्त मात्रा में नियम १५५ के अधीन आ जाता है। नियम १५५ में जिस विधेयक का निर्देश किया गया है वह किसी भी प्रकार का हो सकता है, जो कि संयुक्त समिति को सौंपा गया हो और जो कि राज्य सभा से भेजा गया हो। यह विधेयक संयुक्त समिति को भेजा गया था और संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन देने के पश्चात् राज्य सभा ने इसे हमारे पास भेजा है। और राज्य सभा ने इस विधेयक पर विचार किया है तथा इसे पारित कर दिया है।

यह विधेयक राज्य सभा में पहले आरम्भ किया गया था। पंडित ठाकुर दास भार्गव उपाध्यक्ष महोदय के कथन का सहारा ले रहे हैं। मुझे भी याद है कि वह उनका विनिर्णय नहीं था अपितु वे तो केवल विचार ही प्रकट कर रहे थे। इस सम्बन्ध में कोई औचित्य प्रश्न आदि नहीं उठाया गया था। उन्होंने यह कहा था कि संयुक्त परिवार की संपत्ति को छोड़ने के सम्बन्ध में संयुक्त समिति सक्षम नहीं हैं सभी बातों को देखते हुए मैं तो यही समझता हूं कि यह विनिर्णय नहीं है अपितु उपाध्यक्ष महोदय का एक प्रकार से विचार प्रकट करना ही है। किन्तु मान लीजिये कि यह विनिर्णय है तो यह देखना है कि संयुक्त समिति दूसरी सभा के कहने पर बनाई गई थी नियमानुसार यह संयुक्त समिति उस सभा की प्रक्रिया से शासित होती है और उस सभा के सभापति ही संयुक्त समिति के कार्यों को तय करने एवं समिति की उपयुक्तता के बारे में निश्चय करने के लिये उपयुक्त अधिकारी हैं।

चूंकि कोई आपत्ति नहीं उठाई गई अतः यह परिवर्तन करने के लिये संयुक्त समिति ने अपने आपको उपयुक्त समझा। जब यह राज्य सभा में वापस आया तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई अतः हमने यह अनुमान लगाया कि उस सभा के सभी सदस्य इस बात से सहमत हैं कि संयुक्त समिति ऐसा करने के लिये उपयुक्त है।

अतः संयुक्त समिति की उपयुक्तता के बारे में हम इस सभा में चर्चा नहीं कर सकते। अब यह प्रश्न उठता है कि जब संयुक्त समिति कोई भूल करती है तो क्या इस मामले को प्रवर समिति को सौंपने का अधिकार से यह सभा वंचित हो जायेगी? निश्चय ही हमारी सभा को इस विशेषाधिकार से वंचित होना पड़ेगा क्योंकि हमारी सभा के सदस्य भी उस संयुक्त समिति में थे और हम यह भी जानते थे कि उस संयुक्त समिति पर इस सभा के नियम लागू नहीं होते; अतः संयुक्त समिति सम्मिलित होने के प्रस्ताव से सहमति प्रकट करते समय हम यह भी जानते थे कि प्रक्रिया के सम्बन्ध में यह संयुक्त समिति जो कुछ भी तय करेगी उसे हम मानेंगे। उस समिति ने राज्य सभा को प्रतिवेदन दे दिया है और राज्य सभा ने विधेयक पारित करके हमें भेज दिया है। यदि विधेयक के किसी अंश से हम सहमत नहीं हैं तो हम उसे अस्वीकार कर सकते हैं। किसी विशेष उपबन्ध पर अपने अधिकारों के बारे में यह सभा ज़ोर दे सकती है। किन्तु जहां तक इसे प्रवर समिति को सौंपने की बात है वह उस नियम के अन्तर्गत आ जाता है। चूंकि हम तत्संबंधी संयुक्त समिति में पारिणामों को जानते हुए सम्मिलित होने के लिये भी तैयार हो गये थे इसलिये मैं समझता हूं कि अब यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरे मैं यह भी निवेदन करूंगा आप इस प्रस्ताव को विलम्बकारी प्रस्ताव ठहरायें।

यह मामला पहली बार नहीं आया है। यदि इसको चुनौती देनी हो तो प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव कर ऐसा नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे मामले में देरी ही होगी। यदि चुनौती देना ही है तो खुली चुनौती देना चाहिये और मतदान से इसके बारे में निश्चय किया जाना चाहिये।

पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन क्या हैं इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है क्योंकि उनकी मुझे कोई सूचना नहीं मिली है। नियमों के अनुसार मुझे उन संशोधनों पर आपत्ति करने का अधिकार है जिनकी पूर्व सूचना २४ घंटे पहले नहीं दी गई हो। नियमों में यह उपबन्ध भी है यदि कोई सदस्य विरोध करे तो अध्यक्ष महोदय उसे प्रस्तुत नहीं करेंगे। अतः मैं यह मालूम करना चाहता हूं पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन क्या हैं ताकि यह निश्चित कर सकूं कि मुझे उनका विरोध करना है अथवा नहीं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उनका कहना है कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाये और परिचालित किया जाये ।

†**श्री साधन गुप्त :** इसका मैं निश्चय ही विरोध करूंगा और आप से निवेदन करूंगा कि आप नियमों की जांच करें क्योंकि मेरा विचार ऐसा है कि यदि कोई सदस्य उनका विरोध करे तो अध्यक्ष उसे प्रस्तुत नहीं करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** ये सब संशोधन सभा के सम्मुख प्रस्तुत हैं। श्री वी० जी० देशपांडे की आपत्ति यह है कि इस विधेयक में संयुक्त समिति ने बहुत परिवर्तन कर दिये हैं, अतः इसे फिर से प्रवर समिति के पास भेजा जाय। यह विधेयक राज्य सभा में पारित हो चुका है। श्री वी० जी० देशपांडे कोई ऐसा नियम नहीं बता सके हैं जिसके अधीन हम इसे संयुक्त समिति में भेज सकें। ऐसे मामलों के सम्बन्ध में ३ दिसम्बर, १९५३ में अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया था कि यदि कोई विधेयक राज्य सभा में पारित हो चुका है वह लोक मत जानने के लिये परिचालित नहीं किया जा सकता है किन्तु प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। इस सम्बन्ध में नियम १५५ में यह उपबन्ध है कि कोई भी सदस्य (यदि विधेयक पहले ही राज्य सभा की किसी प्रवर समिति को अथवा दोनों सदनों की किसी संयुक्त समिति को न सौंप दिया गया हो, अन्यथा नहीं) संशोधन के रूप में यह प्रस्तुत कर सकेगा कि विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपने संशोधनों में विस्तारपूर्वक यह बताया है कि लोक-सभा स्वतन्त्र और सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न है। अतः वह इसे ले सकती है। किन्तु हम भी नियमों में बंधे हुए हैं। हमें संविधान तथा अपने नियमों का पालन करना होता है और इस प्रकार यह मामला नियम १५५ के अन्तर्गत आता है।

श्री मोरे ने नियम ३२३ (३) का हवाला दिया है। मैं इस पर गौर करूंगा यदि यह विलम्बकारी प्रस्ताव होगा तो अस्वीकृत हो जायेगा अन्यथा मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। मेरे विचार से इस स्थिति पर पहुँचने के पश्चात् ऐसा प्रस्ताव विलम्बकारी है। जहाँ तक अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णय का प्रश्न है, वह इस स्थान पर संगत नहीं है। इसलिये नियम १५५ के अन्तर्गत मैं संशोधन संख्या १३ और ५ को नियम-वाह्य घोषित करता हूं। अन्य प्रस्ताव भी विलम्बकारी हैं; अतः मैं उन्हें भी अस्वीकार करता हूं। इसलिये इस प्रश्न पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक पर चर्चा के लिये समय किस प्रकार विभाजित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एस० एस० मोरे :** मेरे विचार से इसके पूर्व ही सभा में इस विधेयक पर काफी चर्चा हो चुकी है। इसलिये मेरा सुझाव है कि १५ घंटे सामान्य चर्चा के लिये, २० घंटे खंडवार चर्चा के लिये पर्याप्त होंगे। तृतीय वाचन के लिये हम कुछ समय निकाल लेंगे।

†**प्रधान मंत्री और वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं विरोधी पक्ष के सदस्य से सहमत हूं। वस्तुतः मैं कहूंगा कि सामान्य चर्चा के लिये कम समय चाहिये। अनिश्चित सामान्य चर्चा के स्थान पर यथासम्भव विस्तृत खंडवार चर्चा करना अधिक उपयोगी है। किन्तु यह निश्चय करना पूर्णतः लोक-सभा के ऊपर निर्भर है।

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव :** मेरा सुझाव है कि सामान्य चर्चा के लिये १० घंटे, खंडवार चर्चा के लिये २० घंटे तथा तृतीय वाचन के लिये ५ घंटे पर्याप्त होंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** सामान्य चर्चा के लिये १० घंटे, खंडवार चर्चा के लिये २० घंटे और तृतीय वाचन के लिये ५ घंटे नियत हुए हैं। लेकिन इस विभाजन का कठोरता से पालन नहीं किया जायेगा। सामान्य चर्चा १० से १५ घंटे तक चल सकती है।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : मैं समझती हूं कि इस हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक द्वारा जो कि आज हमारे समक्ष उपस्थित है, हम अपने देश में एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। इसके पहले जब यह बिल हाउस में आया था तब माननीय मंत्री ने अपने भाषण में हमको इस बिल की महत्ता से परिचित कराया था और यह बतलाया था कि यह कानून हमारे देश की लगभग ६ करोड़ स्त्रियों की अयोग्यता, अर्थात् डिस्एबिलिटीज़ को दूर कर सकेगा और मुझे माननीय मंत्री की इस बात ने उस समय काफ़ी प्रभावित किया था और मेरे विचार से जिस लक्ष्य को लेकर यह बिल इस सदन में लाया जा रहा है वह वास्तव में बड़ा ही महत्वपूर्ण है और प्रशंसनीय है, और वह लक्ष्य है स्त्रियों को अधिक सिक्योरिटी (सुरक्षा) देना तथा उनके स्टेटस (पद) को ऊंचा करना। इन दोनों बातों से मैं समझती हूं कि इस सदन के और इस सदन के बाहर के किसी स्त्री अथवा पुरुष को इन्कार नहीं होगा, परन्तु मुझे आपत्ति केवल इस बात में है कि इस बिल में जिस हद तक मंत्री महोदय स्त्रियों के लिये अधिकार रख रहे हैं, वह शायद आशा से बहुत ज्यादा है और स्वयं स्त्रियों ने भी कभी इतना अधिकार पाने की मांग नहीं की थी और न इतना पाने की उनको सम्भावना थी। बहनों ने तो केवल भाइयों से समानता का अधिकार चाहा था, अधिकता का नहीं, परन्तु माननीय मंत्री ने अपनी उदारता से बहनों को भाइयों से भी ऊंचा कर दिया और बढ़ा दिया। अब इस बिल के अनुसार बहनों को तो तीन ओर से सम्पत्ति प्राप्त होगी, माता की, पिता की और पति की परन्तु भाई को केवल एक ओर से ही सम्पत्ति मिलेगी यानी पिता की। कहां तो हमारे हिन्दू समाज में अभी तक किसी ओर से स्त्रियों को कोई सम्पत्ति का अधिकार ही न था, परन्तु अब हमारी कांग्रेस सरकार हमारे साथ न्याय करके इतने अधिकार देने जा रही है कि स्वयं बहनें अचम्भे में पड़ गयीं, माता-पिता चकित रह गये और भाई चिन्तित हो गये और यह तो वही मसल हुई कि या तो हंसा मोती चुगे या लंघन कर जाये। इस विधेयक के अनुसार अब एक हिन्दू ज्वाइंट फैम्ली (संयुक्त परिवार) की लड़की को शादी के बाद भी अपने माता-पिता की सम्पत्ति में उतना ही भाग मिलेगा जितना कि उसके एक अनडिवाइडेड (पृथक्) भाई को मिलेगा।

मेरे विचार से यह अनुचित होगा। हम कैसे इस बात को भूल सकते हैं कि अब भी हमारे हिन्दू समाज में माता-पिता इस बात को अपना परम धार्मिक कर्तव्य समझते हैं कि वे अपनी लड़कियों की शादी करें। और हिन्दू समाज में लड़कियों की शादी पर पहले ही काफी धन व्यय कर दिया जाता है। लेकिन इतना होने के बाद भी लड़कियों को उतना ही धन देना, सम्पत्ति में उतना ही भाग देना,

---

†मूल अंग्रेजी में

जितना कि एक अनडिवाइडेड भाई को, मेरे नजदीक यह न्याय के विपरीत है। मध्यम श्रेणी की जो फैमिलीज (परिवार) हैं उनमें इस प्रकार का अधिकार दे कर विवाहित लड़की को, हम भाइयों को दरिद्र बना देंगे। मैं ने इस बात की काफी जानकारी हासिल की है और लोगों से छानबीन की है कि हमारा हिन्दू स्त्री-समाज इस विषय में क्या विचार रखता है। मुझे मालूम है कि हमारे देश में ऐसी स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक है जो अपने पिता की सम्पत्ति में उतना अधिकार नहीं चाहती हैं जिससे उन के भाइयों के ऊपर काफी ग़रीबी या कर्ज़ा आ जाय। हम यह भी देखते हैं कि पिता का जितना भी कर्ज़ा होता है, लेन-देन होता है, उसके सम्बन्ध में जो उत्तरदायित्व होता है वह लगभग पूरे का पूरा लड़के के ऊपर ही होता है, लड़की पर नहीं, और शादी के बाद तो वह और भी कम हो जाता है। अपने परिवार की कठिनाइयों को दूर करने में न कभी उन का कोई भाग रहा है और न आगे ही होगा। बेशक माता-पिता की सम्पत्ति में उनका भाई के साथ समानता का अधिकार हो जायेगा। मेरा यह अभिप्राय कभी भी नहीं है और न मैं यह चाहती हूं कि लड़की को पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार न मिले, या जिस तरह से आज लड़की पिता की सम्पत्ति से वंचित है उसी तरह से भविष्य में भी रहे, परन्तु मैं बराबरी के दावे को पसन्द नहीं करती हूं। यदि पिता की सम्पत्ति में से भाई का आधा भाग भी लड़की को दे दिया जाय तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारे यहां मुसलमान भाइयों में भी लड़की को भाई की सम्पत्ति का तिहाई भाग दिया जाता है। यदि हमारे मंत्री महोदय ऐसा कर दें तो मैं समझती हूं कि इस बिल को यूनिवर्सल सपोर्ट (व्यापक सहमति) प्राप्त होगा और हमारा समस्त देश इसे स्वीकार कर लेगा, जैसी की हमारे माननीय मंत्री जी की इच्छा भी है।

मैं समझती हूं कि आज हमारे समाज में बड़े-बड़े अन्याय हैं और वे अन्याय शरीर के ऊपर फोड़ों के समान हैं, परन्तु मैं नहीं समझती कि उन अन्यायों को दूर करने के लिये हम एक दम से नश्तर चला दें, क्योंकि इससे तो कठोरता और जुल्म होने लगेंगे। इसलिये यह ज्यादा अच्छा होगा कि अन्याय को ठीक करने के लिये उतना ही डोज (खुराक) दिया जाय जितना कि समाज हजम कर सके। कानून में हर समय सुधार हो सकते हैं। आज का जो हमारा हिन्दू समाज है वह काफी पिछड़ा हुआ है, अगर आप उसको एक दम से लिफ्ट लगा कर ऊपर उठाना चाहें तो वह चढ़ नहीं सकता। हल्के-हल्के समझा कर उस को आप अपने विचारों का बनाइये। अगर आप ऐसा करेंगे तो वह अधिक ठीक होगा। फोड़ों को ठीक करने के लिये हमें सेंकने की जरूरत होती है, लेकिन अगर एक दम से सारे शरीर को हम उबलते हुए पानी में डाल दें तो वह उछल कर खड़ा हो जायेगा और कभी भी उधर जाने का नाम नहीं लेगा। अगर आप गुनगुने पानी के टब में शरीर को रखें, फिर उस के बाद उस में गर्म पानी मिलाते चले जायें तो चाहे पानी में से भाप भी निकलने लगे, शरीर उस को सह लेगा और कभी उस के खिलाफ नहीं जायेगा। इसलिये मैं कहती हूं कि आप सुधार तो बड़े से बड़े कर सकते हैं पर धीरे-धीरे उन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस सम्बन्ध में इतना ही सुधार इस वक्त काफी है कि बहन को भाई के भाग का आधा मिले, आगे चल कर बराबर-बराबर भाग भी हो सकता है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो इस को सारा समाज मंजूर कर लेगा।

माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि इस विधेयक से मिताक्षर नियम पर चलने वाला हमारा ज्वायंट फैमिली सिस्टम (संयुक्त परिवार पद्धति) है वह भी बनी रहेगी और साथ ही बहनों को भाइयों के बराबर ही अधिकार माता-पिता की सम्पत्ति में हो जायेगा। अब, इस कानूनी हथकंडों को तो मैं समझती नहीं हूं और न ही उन पर विश्वास करती हूं। मैं यह नहीं जानती हूं कि बहनों को बराबर का अधिकार प्राप्त हो जायेगा या नहीं, परन्तु वकीलों की जरूर इस से बन आयेगी और उन को लाभ होगा। हमारे माननीय मंत्रीजी जो अधिकार लड़कियों को दे रहे हैं,

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

उसका पूरा-पूरा असर और जो उसका नुक्सान होगा वह अनडिवाइडेड सन्स (अविभाजित बेटों) पर पड़ेगा क्योंकि उस से लड़कियों को अपने पिता की सम्पत्ति का बटवारा करा लेने का पूरा-पूरा प्रोत्साहन मिलता है। ऐसी सूरत में ज्वायंट फैमिली का बहुत दिनों तक कायम रह पाना मुझे असम्भव सा दिखाई देता है ।

मैं माननीय मंत्री जी की इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि अब हिन्दू समाज में फैमिली समाज की इकाई नहीं रह गई है। अभी भी अधिकांश देश में एक व्यक्ति समाज की खाई या यूनिट नहीं समझा जाता। आप संविधान में कुछ भी लिख दें परन्तु इस देश में आज भी ज्वाइंट फैमिली के प्रति अधिक श्रद्धा और आकर्षण हैं, आज उसी के पक्ष में जनता का सेंटिमेंट और फीलिंग (भावना) है। यह नहीं है कि आज कोई यह समझता ही नहीं कि समाज के अन्दर फैमिली भी कोई चीज़ है।

इस के बाद एक और भी चीज़ है जिस के ऊपर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहती हूं और वह यह है कि कानून देहातों के खेतों पर और अन्य लैंड होल्डिंग्स (जोतों) पर लागू नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीया सदस्या दो मिनट में खत्म कर सकेंगी ?

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : जी हां, मैं खत्म कर दूंगी। मैं अपनी बात आज ही कह लेना चाहती हूं क्योंकि मैं आज लखनऊ जा रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा, आप दो मिनट में खत्म कर लीजिये।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : यह कानून देहातों के खेतों और लैंड होल्डिंग्स पर लागू नहीं होगा, परन्तु यह सभी जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि-प्रधान देश है, उसकी अधिकतर जनता जो है और जो परिवार हैं, वह खेतिहर हैं। मैं यह नहीं कहती कि उन पर यह लागू किया जाय, और न यह मेरा विचार ही है, परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि जब हम देहात के खेतों पर और लैण्ड होल्डिंग्स पर इस कानून को लागू नहीं करना चाहते तो इस विधेयक से हम अपना कौन-सा बड़ा लक्ष्य पूरा करने की इच्छा रखते हैं। देश के जिन प्रान्तों में दायभाग चलता है, वहां पर इस कानून की आवश्यकता नहीं है ।

जो मुसलमान हैं, जो ईसाई हैं, जो पारसी हैं, उनको इस कानून की आवश्यकता नहीं है। मुसलमानों में तो पहले से ही लड़की को जायदाद में हिस्सा दिया जाता है। देहातों में खेतों पर आप इस कानून को लागू नहीं करना चाहते। तो मैं पूछती हूं कि खाली उत्तर भारत के शहरों की कुछ मुट्ठी भर फैमिलीज के ऊपर यह कानून क्यों लागू किया जा रहा है ? उपाध्यक्ष महोदय, यह कानून जो उत्तर भारत और मध्य भारत की जो फैमिलीज हैं उन्हीं के ऊपर ज्यादातर आघात करेगा और यह भाई-बहन में बजाय प्रेम-भाव पैदा करने के उनके अन्दर एक कानूनी रिश्ता कायम करेगा। इस वास्ते मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि यह विधेयक कोई अन्तिम वाक्य नहीं है। कानून में किसी समय भी फेरबदल किया जा सकता है। यदि वह इसमें इतना सुधार कर दें कि बराबरी के दावे को हटाकर बहन का भाग भाई के भाग का आधा कर दें तो विधेयक बिना किसी विरोध या आपत्ति के समस्त देश को सहर्ष स्वीकार हो जायेगा। इससे न परिवार छिन्न-भिन्न होंगे, न बहन-भाई के प्रेम-भाव का नाता टूटेगा तथा वह लक्ष्य कि स्त्रियों को अधिक सिक्योरिटी और स्टेटस मिलें, वह भी इससे प्राप्त हो जायेगा।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इक्यानवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा २५ अप्रैल, १९५६ को इस सभा के समक्ष उपस्थापित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इक्यानवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय :** सभा अब श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी के, १४-४-५६ को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर पुनः चर्चा करेगी। इस संकल्प के लिये अब २ घंटे २९ मिनट अवशेष हैं।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : हमारा देश एक अविकसित राष्ट्र है। कई पश्चिमी राष्ट्र हमें आर्थिक विकास में सहायता करने को तैयार हैं किन्तु बाहरी आर्थिक सहायता के साथ-साथ उन देशों के सिद्धांत और विचारों का प्रभाव पड़ना भी अनिवार्य है। जिस देश की अर्थ व्यवस्था अविकसित होगी और जहां सामाजिक सिद्धांत समनुगत नहीं होंगे वहां का समाज जर्जर हो जायेगा फलस्वरूप समाज में ही परस्पर संघर्ष और द्वंद का बोलबाला हो जायेगा। ये सब बातें तथाकथित व्यावहारिक दृष्टिकोण के द्वारा नहीं सुलझाई जा सकती हैं।

हमारे पक्ष को यह जान कर बहुत प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री का रवैया बहुत कुछ बदल गया है। बीमा निगम विधेयक पर भाषण करते समय उन्होंने कहा था कि सिद्धान्त दर्शन और कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों के आधार पर राष्ट्रीयकरण करना उचित है। देश की वर्तमान अवस्था को देखते हुये समाजवादी विचारधारा के अनुसार समाज की रूपरेखा का निर्माण करना अधिक उत्तम होगा। यदि हम सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते तो कम से कम अंशिक रूप से तो ऐसा कर सकते हैं। इसके लिये अर्थ-व्यवस्था के ऊंचे शिखरों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये।

इसी पृष्ठभूमि में, मैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण की चर्चा करूंगा। राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वे ही ऋण देने के स्रोत हैं। ऋण देना और उसका वितरण करना लोक सेवा का कार्य है, इसे निजी व्यापार के हाथों छोड़ना उचित नहीं है क्योंकि वे लोग इसे लाभ का साधन बनाते हैं। राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को परिपक्व और स्थिर बनाने के लिये भारत जैसे अविकसित देश में बैंकों का राष्ट्रीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। इस सम्बन्ध में भारत के रक्षित बैंक की स्थापना हमारे राष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण भी उचित दिशा की ओर उठाया गया एक कदम है। किन्तु दुख है कि इसके पश्चात् अन्य राज्य-सम्बद्ध बैंकों अथवा संयुक्त स्कन्ध बैंकों (ज्वाइंट स्टाक बैंक) का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया।

भारत में निधि बैंकों का इतिहास, अर्थ-व्यवस्था, कुप्रबन्ध और धूर्तता की लम्बी कहानी है। इसके फलस्वरूप पिछले वर्षों में कई बैंकों का दिवाला निकल गया। [बैंक परिसमापन प्रक्रिया समिति के प्रतिवेदन के अनुसार १९२६ से १९५२ तक ३९१ बैंक अपना रुपया अदा न कर सके। जो धन वे अदा न कर सके उसकी कुल राशि २५·५७ करोड़ रुपये थी। पिछले महायुद्ध के बाद तो बैंको के दिवालिया होने का ताँता बंध गया। १९४७ से १९५१ तक के बीच १९१ बैंकों का दिवाला निकल गया।] मेरे हिसाब से पिछले सात वर्षों में औसतन प्रति वर्ष ४२ बैंकों का दिवाला निकलता रहा है। इससे विनियोजकों के लगभग २०० करोड़ रुपये डूब गये।

इस समय भी बैंकों की दशा बहुत शोचनीय है। भारत के रक्षित बैंक के आंकड़ों से आपको यह ज्ञात होगा कि १९५५ में ७२ अनुसूचित बैंकों में से १४ बैंक घाटे पर चल रहे थे। १२ बैंक कुछ लाभांश

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

देने योग्य नहीं थे। १७ विदेशी बैंकों में से १० का भारतीय व्यवसाय घाटे में चल रहा था। संयुक्त स्कंध बैंकों में से ११६ घाटे पर चल रहे हैं और ६८ बैंक कोई लाभांश घोषित नहीं कर सके। रक्षित बैंक के बैंकिग प्रवृत्ति (बैंकिग ट्रैंड) के प्रतिवेदन में वे त्रुटियां भी बताई गई हैं, जो कि इस संयुक्त स्कंध वाले बैंकों के निरीक्षण के समय देखी गई थीं; यथा, १६ बैंकों के पास पर्याप्त राशि नहीं थी। १८३ बैंकों के अप्राप्य अग्रिम धन की मात्रा बहुत अधिक थी। १०८ बैंकों ने अचल सम्पत्ति के आधार पर बहुत अधिक अग्रिम धन दे दिया था। ७० बैंकों ने विदेशकों तथा उनके सम्बन्धियों को बहुत बड़ी-बड़ी रकमें अग्रिम धन के रूप में दी हैं, इत्यादि।

१९४९ के पूर्व रक्षित बैंक के निरीक्षण सम्बन्धी अधिकार, बैंकों को भारत रक्षित बैंक अधिनियम की अनुसूची भी शामिल करने अथवा रुपया जमा करने वालों के हितों का ध्यान रखने तक ही सीमित थे; किन्तु बैंकिग समवाय अधिनियम बन जाने के पश्चात व भारत रक्षित बैंक अधिनियम की धारा ४२ की उपधारा ६ में संशोधन हो जाने के पश्चात् से भारत के रक्षित बैंक के अधिकार पर्याप्त बढ़ गये और बैंकों के लिये व्यवसाय शुरू करने अथवा नई शाखा खोलते समय रक्षित बैंक की अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य हो गया। इसके अलावा एकीकरण की योजना अथवा प्रबन्ध में भी रक्षित बैंक की स्वीकृति आवश्यक हो गई है। लेकिन इतने अधिकारों के मिल जाने के पश्चात् भी बैंकों की अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समस्या को हम दूसरे दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। अन्य संयुक्त स्कंध समवायों के विपरीत, व्यावसायिक बैंकों की पूंजी का बड़ा भाग, जिस पर लाभ कमाया जाता है, रुपया जमा करने वालों की जेब से आता है न कि अंशधारियों की जेब से। भारत के रक्षित बैंक के प्रतिवेदन के अनुसार, संयुक्त स्कन्ध बैंक की प्रदत्त पूंजी ५०·५८ करोड़ और रक्षित पूंजी ३०·५३ करोड़ रुपये हैं; जब कि जमा को गई कुल पूंजी १०६६·३५ करोड़ रुपये हैं। इस पूंजी का सारा लाभ अंशधारियों और विशेषतः केवल उन परिवारों को मिलता है जो कि उन बैंकों का नियंत्रण करते हैं। इसलिये वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अर्थ यह होगा कि समुदाय की बचत का उपयोग थोड़े से व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिये नहीं कर सकेंगे और सारे देश की सामाजिक भलाई के वह काम आयेगी। लोगों का रुपया लोगों के ही लाभ के लिये काम में आयेगा।

इसी प्रसंग में हमें एक और महत्वपूर्ण बात पर भी विचार करना चाहिये। संयुक्त स्कन्ध बैंक अविकसित क्षेत्रों को ऋण देने की सुविधायें प्रदान करने में असफल रहे हैं। परिणामस्वरूप थोड़े नगरों में और थोड़े राज्यों में बैंक संकेन्द्रित हैं। उदाहरणार्थ आन्ध्र में छ बैंक हैं जब कि बम्बई में उनकी संख्या ४५, मद्रास में १४० और त्रावनकोर-कोचीन में १४२ हैं। उड़ीसा और आसाम में क्रमशः दो और पांच बैंक हैं। दस लाख और इससे अधिक जनसंख्या के तीन स्थानों पर बैंकों की ४३८ शाखायें हैं, जबकि ३४९ जगहों पर जिनकी जनसंख्या ५,००० और १०,००० के बीच है बैंकों की केवल ४७९ शाखायें हैं। इसलिये अविकसित क्षेत्रों तथा हमारी अर्थ-व्यवस्था के पिछड़े हुये प्रदेशों के विकास के लिये बैंकों पर सरकारी नियन्त्रण और स्वामित्व अत्यन्त आवश्यक है।

कुछ लोग कहेंगे कि यदि समस्त बैंक व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण किया गया तो व्यापार कम हो जायेगा, ऐसे आलोचकों से मैं केवल इतना कह सकता हूं कि संयुक्त स्कन्ध बैंक लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिये स्वयं इस बात का प्रचार करते हैं कि निक्षेपकों का अधिकतर रुपया सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया जाता है।

इसके अतिरिक्त सरकार डाकघर बचत बैंक में स्वयं कारबार करती है और उसके काम का संयुक्त स्कन्ध बैंकों से कहीं अच्छा परिणाम हुआ है। ३१ मार्च, १९४८ और ३१ मार्च १९५४ के दौरान में डाकघर बचत बैंकों में १२८·११ करोड़ से बढ़ कर २३१·९५ करोड़ रुपये जमा थे और

रुपया जमा कराने वालों की संख्या ३१·५३ लाख से बढ़ कर ५०·७० लाख हो गई थी । परन्तु इसी अवधि में संयुक्त स्कन्ध बैंकों में ५५·७० करोड़ रुपये की कमी हुई थी ।

माननीय वित्त मंत्री ने २९ फ़रवरी, १९५६ को जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर भाषण देते हुये कहा था कि अग्रेतर विधान द्वारा बीमा उद्योग का स्तर उंचा उठाना सम्भव नहीं है और सभी प्रकार के नियन्त्रण या विनियमन का नकारात्मक स्वरूप होता है, इस से स्तरों को ऊंचा नहीं उठाया जा सकता है । क्या बैंकों के मामले में भी वित्त मंत्रो के यह शब्द लागू नहीं होंगे ?

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना और अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करने के लिये भारी रोक संसाधनों की आवश्यकता है । और फिर अधिक विकास वित्त की प्राप्यता तथा युक्तिपूर्ण वितरण पर निर्भर होगा । ये प्रयोजन तभी अधिकतम सीमा तक पूरे हो सकते हैं जब कि समस्त बैंक व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण किया जाय । वित्त मंत्री को बेखटके इस सम्बन्ध में निर्णय करना चाहिये और इससे उन्हें देश के लाखों लोगों का प्रेम प्राप्त होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं लोक-सभा से संकल्प स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"इस सभा की यह राय है कि सरकार को देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये ।"

एक या दो संशोधन हैं । क्या माननीय सदस्य उन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

†**श्री डी० सी० शर्मा** (होशियारपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्न शब्द रखे जायें ।

"इस सभा की यह राय है कि देश में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में सब से अच्छा उपाय ढूंढने के लिये सरकार द्वारा पांच व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की जाय, जिसे यह अनुदेश दिये जायें कि वह अगस्त, १९५६ के समाप्त होने से पूर्व प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री कौट्टुकप्पल्ली** (मीनाचिल) : मैं श्री गुरुपादस्वामी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का विरोध करता हूं । उन्होंने ऐसे किसी भी देश का नाम नहीं बताया, ऐसे किसी देश का कोई उदाहरण नहीं दिया जिसने अपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया हो । उन्होंने कहा था कि किसी अविकसित देश के विकास के लिये पहली बात यह होनी चाहिय कि गैर-सरकारी संयुक्त स्कन्ध बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ब्रिटेन का विकास, औद्योगिक उन्नति, कृषि सम्बन्धी समृद्धि का आधार संयुक्त स्कन्ध बैंकों का पूर्व राष्ट्रीयकरण था ? यदि आप ब्रिटेन के आर्थिक इतिहास को देखें तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटेन की उन्नति, समृद्धि तथा विकास सभी संयुक्त स्कन्ध बैंकों के विकास के साथ-साथ हुआ है ।

यही बात अमेरिका पर भी लागू होती है । वहां पर विकास का कारण बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं था बल्कि इससे बिल्कुल विपरीत बात थी ।

श्री गुरुपादस्वामी ने भारत बैंकों के टूटने की चर्चा की है । हमारे वित्त मंत्रो श्री सी० डी० देशमुख प्राय: लोक-सभा को यह बताते रहे हैं कि, सरकार के समस्त बैंक उद्योगों में भारत का बैंक उद्योग सब से अधिक नियंत्रित है । जलयानों, वायुयानों तथा रेलगाड़ियों की दुर्घटनाएं प्राय: होती रहती हैं परन्तु क्या इन दुर्घटनाओं के कारण जलयानों, वायुयानों तथा रेलगाड़ियों का चलाना बन्द कर दिया जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कौट्टुकप्पल्ली]

किसी विभाग या संस्था के फ़ेल होने का यह अर्थ नहीं है कि उसकी उपयोगिता या अच्छाई ख़त्म हो गई है और उन्होंने देश के विकास में जो सहयोग दिया है वह बेकार हो गया है ।

मैं यह प्रश्न पूछता हूं कि संयुक्त स्कन्ध बैंकों की कुल संचित आस्तियों तथा दायित्वों की तुलना में पिछले १५ वर्षों में फेल होने वाले बैंकों की आस्तियों तथा दायित्वों का अनुपात क्या है ?

भारत में संयुक्त स्कन्ध बैंकों के विकास की अन्य देशों के आंकड़ों से तुलना की जाये तो हम देखेंगे कि ब्रिटेन में दस लाख जनसंख्या के लिये बैंकों के कार्यालयों की संख्या २२९ है । अमेरिका में १२९, कनाडा में २५६, आस्ट्रेलिया में ४५० तथा भारत में १६ है । आस्ट्रेलिया की जनसंख्या केवल १ करोड़ के लगभग है । यदि कनाडा में दस लाख जनसंख्या के पीछे २५६ बैंक हैं तो वे वहां की सरकार द्वारा नहीं स्थापित किये गये हैं । ऐसी ही बात इंग्लैंड के सम्बन्ध में भी है । वहां भी यह कार्य सरकार द्वारा नहीं वरन् गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा किया गया है ।

भारत का प्रमुख बैंक—इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया—प्रारंभ से ही अर्ध-राष्ट्रीय कृत था और अब वह पूर्ण रूपेण राष्ट्रीयकृत हो गया है और भारत का राज्य बैंक (स्टेट बैंक आफ इण्डिया) कहलाता है । इम्पीरियल बैंक का जन्म, बंगाल, मद्रास और बम्बई के बैंकों के एकीकरण से हुआ था । इससे भारत के लोगों को क्या सहायता मिली है ?

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

मेरे राज्य में इसकी एक दो शाखायें हैं और वे विदेशियों की सेवा कर रही हैं । वे यूरोपियन समवायों के साथ ही लेन-देन करती हैं । ३० या ४० वर्ष पूर्व मेरे राज्य के आदमियों को साहूकारों पर ही निर्भर रहना पड़ता था परन्तु ब्याज की दर १२ से लेकर २४ प्रतिशत तक थी । उन परिस्थितियों में मेरे राज्य में बहुत से संयुक्त स्कन्ध (ज्वाइंट स्टाक) बैंक निर्मित किये गये थे । यदि आप मेरे राज्य के आर्थिक विकास का इतिहास देखें तो आपको पता चलेगा कि त्रावनकोर-कोचीन की आर्थिक समृद्धि इन संयुक्त स्कन्ध (ज्वाइंट स्टाक) बैंकों के ही कारण हुई है जिनको वहां की जनता ने स्थापित किया था तथा जो जनता द्वारा जनता के लिये चलाये जाते हैं । यदि ये बैंक न होते तो पता नहीं मेरे राज्य की हालत क्या होती । मेरे राज्य में पानी में डूबी हुई जमीन को कृषि योग्य बनाया गया है जो कार्य हालैण्ड के अतिरिक्त संसार में अन्यत्र कहीं नहीं किया गया है । इस कार्य में इम्पीरियल बैंक ने मदद नहीं की वरन् वहां के संयुक्त-स्कन्ध (ज्वाइंट स्टाक) बैंकों ने ही की । यदि उन्होंने कृषकों की सहायता न की होती तो वे भूखों मर जाते ।

यदि भारत के राज्य बैंकों की शाखाओं के विभाजन को देखा जाये तो ज्ञात होगा कि वे देश के एक भाग में केन्द्रित हैं । मध्य भारत के एक बड़े भाग में तथा उड़ीसा और त्रावणकोर-कोचीन में उसकी एक भी शाखा नहीं है । कोई भी व्यक्ति इस बात की जांच कर सकता है कि इम्पीरियल बैंक ने गत ७० वर्षों में भारत की जनता के लिये क्या किया है ? भारत में कपड़ा, सीमेंट तथा चीनी उद्योगों को किसने आर्थिक सहायता दी ? इम्पीरियल बैंक यूरोपियन समवायों की सहायता कर रहा था ।

हम रक्षित बैंक, इम्पीरियल बैंक और बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर चुके हैं । भारत के राज्य बैंक के कार्यकरण के सम्बन्ध में डा० जान मथाई के भाषण पर टिप्पणी करते हुये 'हिन्दुस्तान टाइम्स' ने लिखा है कि राष्ट्रीयकरण होने के बाद से भारत के राज्य बैंक के निक्षेप कम हो गये हैं जबकि भारत के अन्य संयुक्त स्कन्ध (ज्वाइंट स्टाक) बैंकों के निक्षेप काफी बढ़ गये हैं । निस्संदेह, यह कहा जा सकता है कि यह अस्थाई लक्षण है और भविष्य में उसकी स्थिति सुधर जायगी ।

हमारा अनुभव थोड़े समय का और सीमित है और हमें बहुत सावधान रहना होगा । हमें धीरे धीरे बढ़ना चाहिये ।

†**श्री मात्तन** (तिरुवल्ला) : मैं बैंकिंग के अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। मैं श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी की तरह राष्ट्रीयकरण का समर्थक रहा हूं, परन्तु मैं उनका पूर्ण समर्थन नहीं कर सकता ।

यह सच है कि मैं संसद् का पहला सदस्य हूं जो बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करता रहा है। एक तरह से मैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हूं। परन्तु मेरा लक्ष्य दूसरों से भिन्न है। मैं गैर-सरकारी क्षेत्र को बनाये रखना चाहता हूं। मैं व्यापार में स्पर्धा का पुट भी बनाये रखना चाहता हूं क्योंकि उसके बिना किसी उद्योग का उचित विकास नहीं होगा। एकाधिकार से भ्रष्टाचार फैलता है, चाहे वह एकाधिकार सरकार का हो या गैर-सरकारी क्षेत्र का। हम इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर चुके हैं। यदि आप गैर-सरकारी क्षेत्र समाप्त करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति शोक प्रकट करेगा। यदि आप अपने चारों ओर देखें तो आपको पता चलेगा कि सबको यह भय है कि बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप लालफीताशाही बढ़ेगी और काम ठीक तरह नहीं हो सकेगा। यही कारण है कि मैं राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हुए भी थोड़ा-सा गैर-सरकारी क्षेत्र बनाये रखना चाहता हूं ।

मैं श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी की तरह राष्ट्रीयकरण में विश्वास रखता हूं। परन्तु भारत की अर्थव्यवस्था के लिये यह भी समान रूप से आवश्यक है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को बनाये रखा जाय और स्पर्धा भी बनी रहे। मैं श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी का ध्यान जर्मनी में कैसर विलियम के राज्य काल में हुए औद्योगिक विकास की ओर आकर्षित करूंगा ।

उस समय संसार का उद्योग और व्यापार इंग्लैंड के हाथ में था। जब कैसर ने विदेशी व्यापार की संभाव्यता महसूस की तो उसने क्या किया ? उसने ब्रिटेन के बैंकिंग सिद्धान्तों को नहीं अपनाया वरन् स्वतन्त्र व्यापार रखा। भारत में बैंकिंग के पुराने सिद्धान्तों से लांभ नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। ३०-४० वर्ष पूर्व जब एक अमरीकी प्रतिनिधि ने काजू उद्योग की संभाव्यता का संकेत किया तो मैं बड़े व्यापारियों के पास गया। परन्तु उन्होंने उसको प्रारंभ करने से इन्कार कर दिया। फिर मैं साधारण किसानों के पास गया और उनको काजू उद्योग प्रारंभ करने के लिये धन दिया। उन्होंने वह कार्य प्रारंभ किया और आज वह वहां का सब से बड़ा उद्योग है। यदि रुढ़िवादी नीति अपनाई जाती तो अग्रिम धन देने की बात सोची ही नहीं जा सकती थी, भले ही सरकार बैंकिंग क्षेत्र में रही होती। गैर-सरकारी क्षेत्र की उदार नीति के कारण ही आज बहुत से आदमी काजू उद्योग से धनी बन गये हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक उद्योग में—बैंकिंग और बीमा में भी—मैं समझता हूं कि स्वतन्त्र निगम होने चाहियें ताकि स्पर्धा की भावना बनी रहे जो विकास के लिये आवश्यक है, जैसा कि मैंने कहा जर्मनी के उद्योगों का विकास वहां की बैंकिंग नीति के कारण हुआ ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने बैंकों के फेल हो जाने पर बहुत जोर दिया। मैं समझता हूं कि श्री कौट्टुकप्पल्ली ने इसका उत्तर दे दिया है। बैंकिंग समवाय अधिनियम पास होने और रक्षित बैंक की नियंत्रण नीति प्रारंभ होने के बाद संभवतः कोई भी बैंक फेल नहीं हुआ। यदि रक्षित बैंक की यह नीति जारी रही तो मुझे विश्वास है कि बैंक फेल होने की घटनायें बहुत कम होंगी।

†**श्री फीरोज गांधी** (जिला प्रतापगढ़—पश्चिम व जिला राव-बरेली पूर्व) : क्या रक्षित बैंक के रहते हुए कलकत्ता के बैंक फेल नहीं हुए थे ?

†**श्री मात्तन** : रक्षित बैंक अवश्य था परन्तु कोई नियंत्रण नहीं रखा गया। यदि बैंको पर नियंत्रण रखा गया होता तो ऐसा नहीं हो सकता था। छोटे बैंकों पर तो नियंत्रण था ही नहीं और अनुसूचित बैंकों पर भी सीमित नियंत्रण था। आज की स्थिति सर्वथा भिन्न है। अब दोनों प्रकार के बैंकों पर नियंत्रण रखा जाता है। मैं नियंत्रण के पक्ष में हूं और 'यथेच्छा-कारिता' पूंजीवाद के विरुद्ध हूं। मेरा मतभेद

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मात्तन]

यह है कि जहां तक बैंकिंग का सम्बन्ध है हम राष्ट्रीयकरण कर चुके हैं, यदि हम इससे अधिक कुछ करते हैं तो वह ठीक न होगा । इस समय हमें मूल उद्योगों का विकास करना है और उनकी सहायता गैर-सरकारी बैंकर ही कर सकता है । इसलिये मैं समझता हूं कि बीमा की तरह बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना बुद्धिमानी नहीं होगी ।

†**श्री वी० पी० नायर** (चिरयिन्कील) : मैं श्री गुरुपादस्वामी के संकल्प का हृदय से समर्थन करता हूं ।

यदि उनक संकल्प में "कदम उठाने चाहियें" के पूर्व "तुरन्त" और जुड़ा होता तो मैं उस संकल्प का और भी अधिक स्वागत करता ।

उनके बाद जिन दो बैंक व्यवसायियों ने भाषण दिये उन्होंने बैंकों के पक्ष में बहुत कुछ कहा परन्तु वे अपने प्रयत्न में असफल रहे ।

श्री कौट्टुकप्पल्ली को अपने बैंक का कुछ अनुभव अवश्य है और उन्होंने कम से कम त्रावणकोर-कोचीन में कुछ अच्छा काम भी किया है । वह कहते हैं कि त्रावनकोर-कोचीन में बैंक अच्छी तरह चल रहे हैं । यदि ऐसा है तो मैं पूछता हूं कि वे अभी तक पंचाट द्वारा निर्धारित दर का भुगतान क्यों नहीं करते ?

†**श्री कौट्टुकप्पल्ली** : जिस बैंक से मेरा सम्बन्ध है वह तो पंचाट के पहले से ही उसका भुगतान कर रहा है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : हम यहां यह विचार कर रहे हैं कि क्या आज की स्थिति में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये ? मैं बैंकिग उद्योग के इतिहास की चर्चा नहीं करूंगा । १९२५ तक हमारे देश में केवल २८ बैंक थे परन्तु अब लगभग ४०० बैंक हैं । परन्तु इस उद्योग का विकास ऐसा हुआ है कि वह थोड़े से लोगों के हाथों में शोषण का अस्त्र बन गया है । इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

यदि आप बैंकिंग उद्योग के पिछले कार्यों का विश्लेषण करें तो आपको पता चलेगा कि उसने भारत की कृषि के विकास के लिये बहुत थोड़ा कार्य किया है । रक्षित बैक द्वारा इकट्ठा किये गये आंकड़ों से पता चलता है कि बैंकों द्वारा जो ५५७ करोड़ रुपये अग्रिम दिये गये हैं उसमें से केवल ५ करोड़ रुपये कृषि के लिये हैं जोकि बैंकों के कुल विनियोजनों का एक प्रतिशत होता है । फिर भी मेरे मित्र अभी कह रहे थे हमने काजू, अदरक आदि के लिये धन दिया है । क्या यह उचित है कि एक ऐसे देश में, जहां ८० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती हो, बैंकिंग उद्योग विकसित तो हो परन्तु वह एक प्रतिशत से भी कम कृषि को दे ?

†**श्री मात्तन** : उसके लिये आप बैंकों को दोष नहीं दे सकते क्योंकि रक्षित बैंक की नीति कृषि-अर्थव्यवस्था के विरुद्ध थी ।

†**श्री बी० पी० नायर** : मैं उस पर आ रहा हूं । भारतीय बैंकों ने वैयक्तिक ऋणों अथवा वैयक्तिक जमानत के तौर पर ४७ करोड़ रुपये अग्रिम दिये हैं जो लगभग ९ प्रतिशत होता है ।

†**श्री कौट्टुकप्पल्ली** : गैर-सरकारी बैंकों के कुल निक्षेपों का कम से कम ४५ प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित रहता है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : हमारे सम्मुख यह प्रश्न नहीं है कि आपने सरकारी प्रतिभूतियों में कितना विनियोजन किया है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बैंकों में जितना रुपया है उसका ३४·३

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिशत उद्योगों में और ५० प्रतिशत वाणिज्य में लगाया जाता है। वाणिज्य क्या है ? हम जानते हैं कि सभी बैंक उद्योगपतियों के हाथ में हैं जैसे बिड़ला, टाटा, डालमिया आदि। प्रत्येक उद्योगपति के घराने का अपना अलग बैंक है ।

मेरे मित्र ने प्रश्न किया था क्या इंग्लैंड अथवा अमेरिका के बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक भी दृष्टान्त दिया जा सकता है ? परन्तु मैं पूछता हूं क्या मेरे मित्र श्री कौट्टुकप्पल्ली यह कह सकते कि अमेरिका अथवा इंग्लैंड ने समाजवादी ढांचे के लक्ष्य की घोषणा की है जैसाकि हमने अपने देश में की है ?

†**श्री भागवत झा आजाद** : बैंक आफ इंग्लैंड एक्ट का खण्ड ४ बैंकों के नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : जहां तक मैं समझता हूं द्वितीय योजना को दृष्टि में रखते हुए बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक परम आवश्यकता है क्योंकि सरकार यह कहती है कि वह योजना हमें समाजवादी ढांचे के लक्ष्य की ओर ले जायगी। बैंक किस काम के लिये होता है ? उसको जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। मुझे आश्चर्य है कि द्वितीय योजना के प्रश्न द्वार पर पहुंचने पर भी सरकार यह वचन नहीं दे रही है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। मैंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रतिवेदन का एक-एक शब्द ध्यान से पढ़ा है। उसमें इम्पीरियल बैंक और बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण का उल्लेख तो है परन्तु इस सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं है ।

मैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के पृष्ठ १७ में से कुछ अंश पढ़कर सुनाता हूं जिससे यह मालूम होगा कि ऐसा करना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये कितना आवश्यक है :

> "जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण करने के हाल के निर्णय से सरकारी क्षेत्र के भण्डार में बचत बढ़ाने और धन को योजना की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग में लाने के लिये विनियमन करने का शक्तिशाली यंत्र बढ़ गया है ।"

मैं माननीय राजस्व तथा प्रतिरक्षा व्यय मंत्री से एक प्रश्न करता हूं कि यदि बीमा के राष्ट्रीयकरण को उपयोगी भण्डार समझा जा सकता है तो क्या हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण को द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अर्थ-व्यवस्था के लिये उससे भी अधिक उपयोगी भण्डार नहीं समझ सकते ? बैंकों में १,२०० करोड़ रुपये की आस्तियां हैं। आजकल बैंक बहुत-सी आमदनी छिपा लेते हैं जिससे पूरा कर वसूल नहीं हो पाता। भारत सरकार व रक्षित बैंक को भो यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह बैंकों को व्यक्तियों के निजी खाते बताने को बाध्य कर सके। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वे कहते हैं कि सुरक्षित निक्षेप सम्बन्धी आंकड़े बताना जनहित में नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछता हूं कि क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण से कर-अपवंचन रोकने में सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि अधिकांश कर अपवचंक अपने खाते अनेक नामों से बैंकों में रखते हैं और बैंक यदि वे सरकार के हाथ में हो, उसका पता लगा सकते हैं। मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता। उस प्रकार की सभी बातों को तभी रोका जा सकता है जब कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। यह अनुमान लगाया गया है कि देश में प्रति वर्ष कर-अपवंचन के द्वारा तीस करोड़ रुपये से अधिक राशि की हानि रही है; यदि बैंकों पर नियंत्रण कर लिया जाये तो इस हानि को रोका जा सकता है ।

मेरे मित्र ने पूछा है कि क्या ब्रिटेन में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है ? मैं पूछता हूं कि हम हर बात में ब्रिटेन का ही अनुसरण क्यों करें ? वैसे तो आस्ट्रेलिया में लेबर सरकार के शासन काल में सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। उसके बाद लिबरल सरकार ने सत्तारूढ़ होने पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण को समाप्त कर दिया था परन्तु पहले तो वे राष्ट्रीयकृत थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वी० पी० नायर]

इसी प्रकार फ्रांस का उदाहरण ले लीजिये। ब्रिटेन के 'समुद्र पारीय आर्थिक सर्वेक्षण' नामक बैंक सम्बन्धी प्रतिवेदन में फ्रांस के सम्बन्ध में बताया गया है कि वहां पर पांच बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है जिन्हें 'डिपाज़िट बैंक' कहते हैं और फ्रांस का ६० प्रतिशत बैंकिंग उद्योग उन्हीं के हाथ में है। मैं यह नहीं कहता कि यहां पर प्रत्येक बैंक का एकदम राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये, परन्तु सभी अनुसूचित बैंकों, सभी विनिमय बैंकों तथा प्रथम श्रेणी के बैंकों का राष्ट्रीयकरण अवश्य किया जाये।

इंग्लैंड में भी 'बैंक आफ इंग्लैंड' का राष्ट्रीयकरण किया गया है। वह एक केन्द्रित बैंक है। केवल इंगलैंड ही नहीं सभी पूंजीवादी देशों में केन्द्रीय बैंक राष्ट्रीयकृत हैं। परन्तु आस्ट्रेलिया में तो सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और फ्रांस में केन्द्रीय बैंक के अतिरिक्त कई अन्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया है।

बैंकिंग उद्योग भारत में उतना ही प्राचीन है जितने वेद, क्योंकि वेदों में ऋणों आदि का उल्लेख कौटिल्य ने भी अपने अर्थ-शास्त्र में ब्याज की एक सीमा निर्धारित की थी। परन्तु आज बैंकों ने देश में बड़ी अव्यवस्था बना रखी है। अनुसूचित या अनुसूचि बैंकों के अतिरिक्त निजी साहूकारों ने तो देश में लट मचा रखी है, वे १०० प्रतिशत की दर से ब्याज ले रहे हैं। ये साहूकार करते यह हैं कि १०० रुपये का ऋण देते समय वे ५०० रुपये की रसीद लिखवा लेते हैं और फिर उस पर ब्याज लेते हैं। बड़े-बड़े गैर-सरकारी बैंकों द्वारा भी यही किया जा रहा है। इस प्रकार के अत्याचार को तभी रोका जा सकता है जब कि बैंकिंग उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि आज बैंकों द्वारा अपनायी जा रही नीति राष्ट्र के हित में नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि जब भी देश में मूल्यों की स्थिति अनुकूल होती है, तो बैंक उदारता से ऋण देते हैं, किन्तु जब यह प्रतिकूल होती है, तो ये ऋणों पर अधिक नियन्त्रण करने लगते हैं? क्या यह सच नहीं है कि बैंकिंग उद्योग पर केवल कुछ एक पूंजीपतियों ने ही एकाधिकार जमा रखा है? और क्या यह भी सच नहीं है कि केवल इन्हीं इने गिने बैंक साहूकारों ने ही देश के सम्पूर्ण व्यापार तथा उद्योगों पर एकाधिकार जमा रखा है?

यह वास्तव में बड़े दुःख की बात है कि जहां एक ओर हम यह कहते हैं कि हम एक समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसके लिये सरकार को सब प्रकार के संसाधन ढूंढने चाहियें, वहां दूसरी ओर बैंकिंग जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण वित्त के साधन को गैर-सरकारी हाथों में ही छोड़ दिया गया है।

अतः अन्त में मेरा यही निवेदन है कि जनता को इन साहूकारों के अत्याचारों से बचाने के लिये, देश को बैंकों द्वारा उत्पन्न की गई आर्थिक अव्यवस्था से बचाने के लिये और योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये देश के सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। बड़े-बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण तुरन्त किया जा सकता है मुझे पूर्ण आशा है कि जब सरकार का उद्देश्य समतावादी समाज स्थापित करना है, तो ऐसा करने में उसे कोई संकोच न होगा।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** (पूर्निया व संथाल परगना) : विश्व में बैंक संस्था बहुत उन्नत हो चुकी है, किन्तु भारत में इस की प्रगति बहुत निराशाजनक है। भारत में बैंकिंग उद्योग आज तक अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सका।

भारत में बैंकिंग संस्थाओं की सब से बड़ी त्रुटि यह है कि इन की कार्यक्षमता बहुत कम है। इसका प्रमाण यह है कि भारत में बैंकों में रुपया जमा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या केवल ३६ लाख है

†मूल अंग्रेजी में

अर्थात् देश के केवल १ प्रतिशत लोग बैंकों में रुपया जमा कराते हैं। कार्यक्षमता इस बात से भी प्रकट होती है कि १९४७ में बैंक कार्यालयों की संख्या ४८१९ थी और १९५४ में घट कर ४०१४ रह गई है।

अधिकांश बैंकों ने अपनी शाखायें केवल शहरों में ही स्थापित की हैं, छोटे कस्बों तथा ग्रामों की किसी को कोई चिन्ता नहीं। इतने बड़े देश में बैंकों के कार्यालय में से ४० प्रतिशत केवल ६४ स्थानों पर हैं। कृषि क्षेत्र में समृद्धि के परिणामस्वरूप तथा द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के परिणामस्वरूप आज धन शहरों से ग्रामों में जा रहा है। इसीलिये यही एक अवसर है जब कि बैंकों को इस धन को काम में लाकर लाभ उठाना चाहिये। ग्रामों में भी शाखायें स्थापित किये बिना ये बैंक देश की आर्थिक समृद्धि तथा व्यापार और उद्योग की प्रगति में कोई सहायता नहीं कर सकेंगे।

हमें अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने के लिये अधिक से अधिक धन की आवश्यकता है। और उसके लिये हमें उन लोगों को आकर्षित करना होगा जो थोड़ा-थोड़ा रुपया जमा करवाते हैं या छोटे-छोटे ऋण लेते हैं। परन्तु ये बैंक ऋण देने के मामले में भेदभावपूर्ण नीति का अनुसरण करते हैं। बैंक संचालक आपस में तो बहुत कम दर के ब्याज पर एक दूसरे को ऋण देते हैं परन्तु साधारण लोगों को वे बहुत उंचे दरों पर ऋण देते हैं। उद्योगपति कम दरों पर बहुत बड़े-बड़े ऋण लेकर सट्टाबाज़ी करते हैं। मैं पूछता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था से देश को क्या लाभ है? इससे देश समृद्ध न हो सकेगा, इससे तो देश की आर्थिक स्थिति अधिक डावांडोल हो जायेगी।

ये बैंक भेदभावपूर्ण नीति का अनुसरण करते हैं जिसके अनुसार वे छोटे-छोटे ऋण लेने वालों से तो बहुत अधिक ब्याज लेते हैं, परन्तु बहुत कम दाम पर एक दूसरे को ऋण दे देते हैं। इस धन से वे हिस्से खरीदते हैं, सट्टाबाज़ी करते हैं और देश की आर्थिक व्यवस्था को हानि पहूंचाते हैं। इसके परिणाम-स्वरूप देश की आर्थिक व्यवस्था नष्ट हो रही है। इसलिये मैं समझता हूं कि आज इस बात की आवश्यकता है कि देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये।

ये बड़े-बड़े साहूकार निर्धन लोगों को उनके धन तथा लाभांश से वंचित इस प्रकार से करते हैं कि वे बैंकों से बड़ी भारी रकम ऋण के रूप में लेकर उससे सट्टे का व्यापार करते हैं जिससे देश के आवश्यक पण्यों पर एकाधिपत्य कर लेते हैं, और उसके परिणामस्वरूप उपभोक्तागण उनसे वंचित रह जाते हैं और ये साहूकार खूब लाभ उठाते हैं।

गत युद्ध के बाद जापान में भी यही स्थिति उत्पन्न हो गयी थी, परन्तु उन्होंने इस स्थिति को बड़े सुन्दर ढंग से संभाला। उन्होंने नकद तथा उधार प्रणाली के अधीन अग्रिम धनों तथा ऋणों पर नियंत्रण रखने के लिये एक केन्द्रीय प्राधिकार स्थापित किया। परन्तु हमारे भारत में ऋणों तथा अग्रिम धनों पर नियंत्रण रखने के लिये इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है इसीलिये बैंकों की अकार्यकुशलता और लाभ के लालच के कारण निक्षेपकों को कोई विश्वास नहीं रहा।

दिसम्बर, १९५५ में भारत में नोटों का परिचालन १३७४ करोड़ रुपये का था जब कि निक्षेप दायित्वों की कुल राशि १०५२ करोड़ रुपये थी। तो इस प्रकार से यह अनुपात केवल ७५ प्रतिशत बनता है जब कि उसी समय कैनेडा में ·६८४ प्रतिशत था, दक्षिणी अफ्रीका में ·४१८ था तथा अमरीका में ३९० प्रतिशत था। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में बैंकों में अकार्यकुशलता तथा स्वार्थ सिद्धियों के कारण जनता का बैंकों में विश्वास नहीं रहा है। इसलिये आज यह अत्यन्त आवश्यक है कि सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये ताकि उन से प्राप्त हुई राशि को देश की विकास योजनाओं पर लगाया जा सके।

श्री कौट्टुकपल्ली ने एक बैंक का उदाहरण देते हुए कहा है कि उसने देश का बहुत भला किया है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि सभी बैंक इतने अच्छे हैं।

[श्री भागवत झा आज़ाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने बैंकों के असफल होने की जहाज़ों तथा गाड़ियों के फेल होने के साथ तुलना की है। परन्तु मेरा उनसे निवेदन है कि दोनों के फेल होने में आकाश पाताल का अन्तर है। जहाज़ का चालक तो जहाज़ को बचाने का हर प्रकार का प्रयत्न करता है, दुर्घटना तो दुर्भाग्यवश हो जाती है, परन्तु बैंकों के फेल होने के कारण ये हैं कि छोटे नगरों में अनुचित स्पर्धा होती है बैंकों के मालिक सट्टाबाज़ी करते हैं और नकद तथा उधार प्रणाली का दुरुपयोग करते हैं।

१९४८ से १९५४ तक २९४ बैंक फेल हो चुके हैं। यह संख्या केवल कलकत्ते के बैंकों की है। इसके कारण ग़रीब निक्षेपकों का ३० करोड़ रुपया हड़प कर लिया गया है। इसीलिये तो आज जनता को बैंकों में कोई विश्वास नहीं रहा है।

बैंकों में एक और भ्रष्टाचार यह प्रचलित है कि ऋण लेने वाले व्यक्ति को ऋण के रूप में दी जाने वाली राशि में से कुछ अंश वे पहले ही काट लेते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि वाणिज्यिक बैंकों पर भी कुछ नियंत्रण रखा जाये।

इंग्लैण्ड में 'बैंक आफ इंग्लैण्ड' अधिनियम के खण्ड (४) के अधीन उस बैंक को व्यापक अधिकार दिये गये हैं जिसके अनुसार वह किसी भी बैंक से किसी भी बात के बारे में जानकारी ले सकता है, सिफ़ारिशें कर सकता है और निदेश दे सकता है। इस प्रकार से वह अधिनियम एक संरक्षक के समान काम करता है।

फ्रांस में चार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। आस्ट्रेलिया में भी राष्ट्रीयकरण के लिये १९४७ में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। उस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री, श्री चोफ़ले ने यह स्पष्ट कहा था कि गैर-सरकारी बैंक राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, वे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये अधिक से अधिक लाभ उठा रहे हैं।

बिल्कुल वे ही परिस्थितियां आज भारत में भी विद्यमान हैं। इसलिये यह अत्यावश्यक है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये ताकि नगरों से ग्रामों में जाने वाले रुपये का उपयोग किया जा सके और योजना के लिये रुपये की कमी को पूरा किया जा सके। जब तक बैंकों का राष्ट्रीयकरण न किया जायेगा तब तक जनसाधारण से धन संसाधन प्राप्त न किये जा सकेंगे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के द्वारा जनता के मन में विश्वास उत्पन्न होगा। इसलिये मुझे आशा है कि सरकार इस सुझाव को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेगी।

अतः मैं पूरे ज़ोर से श्री गुरुपादस्वामी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम) : बैंकों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी इस संकल्प पर बोलने वाला मैं त्रावनकोर-कोचीन का चौथा व्यक्ति हूं। इसका कारण यह है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारे राज्य में सबसे अधिक बैंक हैं। वहां पर अनेक संयुक्त पूंजी बैंक जनता की अच्छी सेवा करते हैं और राज्य में जो छोटे व्यापारी हैं उनकी सहायता करते हैं।

श्री एम० एस० गुरुदपास्वामी चाहते हैं कि देश के समस्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। दूसरी ओर श्री वी० पी० नायर का यह मत है कि केवल बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये।

†**श्री वी० पी० नायर** : आप मेरी बात का गलत अर्थ लगा रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि सब बैंकों का यथाशीघ्र राष्ट्रीयकरण किया जाय।

†**श्री ए० एम० थामस** : कुछ भी सही। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि इस संकल्प को पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ने भारत के राज्य बैंक अधिनियम की धारा ३५ में पहले ही

---

†मूल अंग्रेजी में

यह उपबन्ध किया है कि केन्द्रीय सरकार के निदेश पर राज्य बैंक, किसी भी अन्य बैंक से उसकी आस्तियां प्राप्त करने की वार्ता प्रारम्भ कर सकता है।

भारत के रिजर्व बैंक की निदेश समिति ने इस समस्या पर पहले ही विचार किया है। उसने केवल इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की, बल्कि सौराष्ट्र बैंक, पटियाला बैंक राजस्थान बैंक आदि राज्यों से सम्बद्ध बैंकों को भी राज्य बैंक में मिलाने के लिया कहा है। मेरे ख्याल से इस सिफारिश को भारत सरकार ने स्वीकार किया है।

समाजवादी आधार को अपनाने के बाद इस बात का ध्यान रखना हमारा कर्त्तव्य है कि आर्थिक शक्ति केन्द्रीभूत न हो जाय। इसी उद्देश्य से हमने बीमे का राष्ट्रीयकरण किया है। अतः बैंकों की ओर भी हमें भली भांति विचार करने के बाद आगे बढ़ना चाहिये। श्री थामस ने आंकड़ों के द्वारा यह बताया है कि देश में बैंकों की सुविधायें संतोषजनक नहीं हैं। औसतन दस लाख लोगों के बीच केवल १६ बैंक कार्यालय देश में उपलब्ध हैं। अतएव इस क्षेत्र में अभी सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के विकास की बहुत गुंजाइश है। हमें राष्ट्रीयकरण में जल्दी नहीं करनी चाहिये। गैर-सरकारी बैंकों पर हाथ डालने से समस्त गैर-सरकारी उद्योगों को धक्का लगेगा। अभी तो केवल राज्यों से सम्बद्ध बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये।

श्री गुरुपादस्वामी ने कुछ बैंकों का दिवाला निकल जाने का उल्लेख किया है परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक के हाथ में अब जो अधीक्षण की शक्तियां आ गई हैं उनके कारण इस प्रकार के उदाहरण अब बिरले ही मिल सकेंगे।

दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीयकरण की दिशा में यदि शीघ्रता से कोई कदम उठाया गया तो गांव-गांव में जो साहूकार मौजूद हैं उनकी चढ़ बनेगी और गांवों के लोग उन्हीं के पास अधिक जाने लगेंगे।

अन्त में मैं एक बात और कहूंगा। हम यह जानते हैं कि देश में बैंक कर्मचारियों की बहुत कमी है और राष्ट्रीयकरण की दशा में हमें हजारों कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिये हमें पहले योग्य व्यक्तियों को इस काम के लिये उचित प्रशिक्षण देना चाहिये। अनेक बैंकों के प्रबन्धक विदेशों में जा कर बहुत सी बातें स्वयं सीख रहे हैं। अतः जब हमें यह विश्वास हो जाय कि हम बैंकों का प्रबन्ध सुचारु रूप से चला सकेंगे, तभी हमें इसके लिये कार्यवाही करनी चाहिये।

सरकार के पास अभी जितनी शक्तियां हैं उनसे काम लेकर वह यह काम जब भी उचित समझे कर सकती है। अतः मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि इस प्रकार का संकल्प पारित किया जाय। मैं आशा करता हूं कि श्री गुरुपादस्वामी इस के लिये आग्रह नहीं करेंगे।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : मैं बैंकों के प्रश्न पर केवल आर्थिक दृष्टि से विचार नहीं करता। उनका एक सामाजिक पहलू भी है। मैं समझता हूं कि आज के युग में बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक महत्व-पूर्ण विषय है।

प्रथम तो हम आर्थिक योजनायें बना रहे हैं, द्वितीय हम बेकारी दूर करना चाहते हैं और तृतीय हम राष्ट्रीय सम्पत्ति का राष्ट्र के द्वारा और राष्ट्र के हित में उपयोग चाहते हैं।

यदि हम अन्य देशों के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें ज्ञात होगा कि राष्ट्रीयकरण से उन्होंने बहुत उन्नति की है। उदाहरण के लिये, इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया को लीजिये। वहां पर इस ओर काफी ध्यान दिया गया था किन्तु जब अन्य दलों ने सत्ता धारण की तो उन्होंने इस कार्यवाही को न करने का प्रयत्न किया। फ्रांस की सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है और वहां निदेशक बोर्ड

†मूल अंग्रेजी में

[श्री डी० सी० शर्मा]

की नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेगी। इन बैंकों में उस देश की कुल बैंक पूंजी का ५५ प्रतिशत भाग मौजूद है और जो बैंक अभी राष्ट्रीयकरण से बच गये हैं वे भी उस ओर अग्रसर हो रहे हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

श्री फीरोज गांधी ने हमें बताया है कि हमारे देश में पहला बैंक १८८५ में प्रारम्भ हुआ था। अभी तक हमारे यहां बैंकों का बहुत कम विकास हो पाया है। केवल एक प्रतिशत लोगों का बैंकों से सम्बन्ध रहता है और वे भी नगरनिवासी हैं। ग्रामवासी तो अभी इस सुविधा से पूर्णतया वंचित हैं। अब वह समय आ गया है जब हमें उनकी सहायता करनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि जो गैर-सरकारी बैंक हैं वे अनेक बार असफल सिद्ध होते हैं। बैंकों के दिवाले निकलने से बंगाल में जनता का ३० करोड़ रुपया और आसाम में १० करोड़ रुपया डूब गया। इस प्रकार जन सम्पत्ति की हानि से तो यह कहीं अच्छा है कि हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण करें और इस प्रकार के उदाहरणों की पुनरावृत्ति न होने दें।

बैंकों का मुख्य उद्देश्य देश के उत्पादन में वृद्धि करना होना चाहिये। जब हम छोटे व्यापारियों को भी बैंको द्वारा सुविधायें देंगे तो देश की समृद्धि बहुत बढ़ जायेगी। आज कल लोगों को अधिक सुविधायें प्राप्त नहीं हैं और बैंकों में पारस्परिक होड़ के कारण उनका वातावरण दूषित हो गया है।

जब हम ने जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया है तो हमें उसी पथ पर और आगे बढ़ना चाहिये वर्ना हमारी मंजिल तय नहीं हो सकेगी। गैर-सरकारी बैंकों में जनता का धन सुरक्षित नहीं रहता है। इसका कारण यह है कि ऐसे बैंकों के निदेशकों का स्वार्थ किसी दूसरी ओर लगा रहता है। बैंकों के निदेशक अन्य बैंकों से भी अपना लेन देन चलाते रहते हैं। ऐसी स्थिति सदैव खतरनाक होती है और उसका एक मात्र उपाय राष्ट्रीयकरण है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को अब अपना भाषण समाप्त करना चाहिये।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : हां, तो अन्त में मुझे यही कहना है कि बैंकों से हमारे यहां ऋण की सुविधायें बढ़ेंगी किन्तु बैंकपति उनका अनुचित लाभ उठाकर सट्टा लगाना शुरू करेंगे। इसलिये सबसे अच्छा तरीका यही है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। इस से हमारी पंचवर्षीय योजनायें भी सफल होंगी और हमारा कल्याणकारी राज्य बनाने का सपना भी सच हो जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब माननीय मंत्री अपना भाषण प्रारम्भ करेंगे।

†**श्री फीरोज गांधी** (जिला—प्रतापगढ़—पश्चिम व जिला रायबरेली—पूर्व) : मैं माननीय मंत्री से पूछता हूं कि क्या भारत के रक्षित बैंक ने श्री डी० सी० शर्मा के इस कथन के सम्बन्ध में कि विभिन्न बैंकों के निर्देशक एक दूसरे से ऋण ले रहे हैं यद्यपि विद्यमान विधि के अनुसार वे निर्देशक रहते ऋण नहीं ले सकते, कोई जांच की है। वे एक दूसरे से किस प्रकार ऋण लेते हैं यह मालूम करने के लिये क्या कोई जांच की गयी है और यदि हां, तो भारत का रक्षित बैंक किस नतीजे पर पहुंचा है ?

†**राजस्व तथा प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह)** : संकल्प के प्रस्तावक का भाषण सुन कर मुझे बड़ी निराशा हुई। मैं उन से कहीं अधिक जोरदार और उत्साहपूर्ण भाषण की आशा करता था। मेरे विचार से वे अपने संकल्प के पक्ष में अधिक तर्क नहीं इकट्ठा कर सके। उन्होंने कुछ तथ्य और आंकड़ों की शरण ली है किन्तु कुछ आंकड़े उनके संकल्प के लिये बिलकुल संगत नहीं हैं।

प्रारम्भ से ही उन्होंने यह मान लिया है कि सरकार साधारणतया यथार्थवादी आधार पर आगे बढ़ती है और उन्होंने कहा है कि यथार्थवाद में कोई विचारधारा, कोई सिद्धान्त नहीं है। कोई नयी

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्यवाही करने के पूर्व सरकार केवल व्यावहारिक मंजूरी पर ही आगे बढ़ सकती है। सरकार के लिये एक मात्र मंजूरी यह है कि वह यह निर्णय करे कि नयी कार्यवाही कहां तक जनता के लिये कल्याण-कारक है। अतः मुख्यतः व्यावहारिक आधार पर सरकारी नीति का अनुमोदन करते हुए मैं कोई क्षमा-याचना नहीं करता। यद्यपि हम व्यावहारिक अधार पर आगे बढ़ सकते है फिर भी कोई सिद्धान्त और विचाराधारा होनी चाहिये।

सरकार और इस सभा की यह मान्य नीति है कि समाजवादी ढांचे का समाज स्थापित करना है किन्तु इस सरकार की यह भी मान्य नीति है कि वह मिली जुली अर्थ व्यवस्था के आधार पर अग्रसर होगी। सरकार और इस सभा ने अभी यह निर्णय नहीं किया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को मिटा दिया जाये या नहीं। मेरे मित्र श्री मात्तन ने कहा है कि यदि सरकार पूरी तौर से गैर सरकारी क्षेत्र को मिटा देने का निश्चय करे तो वह बड़े दुख की बात होगी। अतः किसी सामाजिक अथवा आर्थिक कल्पना के विषय में आगे बढ़ते समय हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि इस देश में एक गैर-सरकारी क्षेत्र भी काम कर रहा है। अब भी ९० प्रतिशत से अधिक हमारा राष्ट्रीय धन गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त होता है। केवल कुछ सिद्धान्तवाद आधारों पर ही हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण की नीति नहीं अपना सकते। वह केवल इसी आधार पर अपनायी जानी चाहिये कि उससे जनता की कहां तक भलाई होगी।

अनेक सदस्यों ने पुराने बैंक डूब जाने का निर्देश किया है। उन्होंने बैंक परिसमापन कार्यवाही समिति के प्रतिवेदन का भी निर्देश किया है। आप को स्मरण होगा कि संविधान सभा और अन्तर्कालीन संसद् में एक गैर-सरकारी सदस्य के नाते इस समिति से मेरा कुछ सम्बन्ध रहा है अन्य माननीय सदस्यों की अपेक्षा मैं इस समस्या के महत्व को कम नहीं समझता। फिर भी मैं उन से कहूंगा कि वे इस विषय में यथार्थवादी दृष्टिकोण रखें। श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने कहा है कि केवल युद्धोत्तर काल की अनिश्चित आर्थिक दशाओं के कारण ही नहीं बल्कि युद्ध के पहले भी अनेक बैंक डूब गये हैं। निश्चय ही युद्ध काल और युद्धोत्तर वर्षों में डूबे हुए बैंकों की संख्या की तुलना में, युद्ध पूर्ण काल में डूबे हुये बैंकों की संख्या नगण्य है। १९२६ या उससे पूर्व भी, से १९३९ तक डूबे हुए बैंकों में ३ करोड़ से अधिक राशि फंसी हुई थी। युद्ध के बाद से इस समस्या ने बड़ा गम्भीर और चिन्ताजनक रूप धारण कर लिया है और मेरे प्रान्त को अत्यधिक हानि हुई है।

अन्तर्ग्रस्त धन राशि का निर्देश करते हुए श्री डी० सी० शर्मा ने एक स्थान पर लगभग ३० करोड़ रुपये और आसाम में १० करोड़ रुपये बताया है। प्रारम्भ से ही अर्थात् १९२६ से आसाम और अन्य स्थानों को शामिल कर कुल ३० करोड़ रुपये की धन राशि अन्तर्ग्रस्त है और उसमें से २० करोड़ रुपये पश्चिमी बंगाल के हैं। मैं इन बैंकों के प्रबन्धकों और प्रबन्ध निर्देशकों की कार्यकुशलता या सद्व्यवहार के बारे में वकालत नहीं करता किन्तु फिर भी हमें उन अन्य बातों पर विचार करना चाहिये जिनके कारण कि बंगाल में ये बैंक डूब गये हैं। हमें इस बात की अपेक्षा नहीं करनी चाहिये कि बंगाल के विभाजन से उन बैंकों पर क्या बीती। उन में से अधिकतर बैंक पूर्वी बंगाल के थे और २०००, ३००० या ५००० रुपये की छोटी पूंजी से उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया था और विशेषकर युद्धकालीन दशाओं के कारण उन्होंने अपना एक अच्छा स्थान बना लिया था। अतः एकाएक बंगाल के विभाजन से इन बैंकों की स्थिर आस्तियां पूर्वी बंगाल में पड़ गयीं जिन पर उन्हें कोई ऋण या नगद धन न मिल सका। प्रबन्धकों या प्रबन्ध-निर्देशकों की बेईमानी या व्यावसायिक अकुशलता के अतिरिक्त मेरे विचार से बंगाल का विभाजन ही उन बैंकों के डूब जाने के लिये अधिक उत्तरदायी था। अन्यथा उनमें से कुछ बैंक तो अवश्य ही चालू रहते।

[श्री ए० सी० गुह]

मैं माननीय सदस्यों को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया आज सबसे बड़े बैंकों में से एक है जो ४ छोटे बैंकों का एकीकरण है और उनमें से एक को छोड़ बाकी सभी पूर्वी बंगाल के हैं जिन्होंने एक बहुत छोटी पूंजी से व्यवसाय प्रारम्भ किया था ।

†**श्री फीरोज गांधी** : क्या अब भी बेईमान निर्देशक और प्रबन्धक वहां हैं ?

†**श्री ए० सी० गुह** : मैं उस तरह को कोई बात नहीं कह सकता । आशा है कि अब बेईमान निर्देशक या प्रबन्धक वहां नहीं है, क्योंकि अब रक्षित बैंक का कड़ा नियन्त्रण और निरीक्षण है । उसने वहां एक परामर्शदाता भी रखा है और केन्द्रीय सरकार की मंजूरी और अनुमोदन से वहां बोर्ड का एक अध्यक्ष भी है । सदस्यों को स्मरण होगा कि श्री के० सी० नियोगी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष थे जो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से नियुक्त किये गये थे । दूसरे व्यक्ति भी केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से वहां हैं । मैं समझता हूं कि श्री डी० सी० शर्मा और श्री भागवत झा आजाद को छोड़कर और सभी सदस्य जिन्होंने इस संकल्प पर वाद विवाद में भाग लिया, त्रावनकोर-कोचीन के हैं । उनमें कुछ ने राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया है ।

मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीयकरण से आपके बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा । यदि त्रावनकोर-कोचीन के लगभग १६० बैंकों को काम न करने दिया जाये तो वहां की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था काफी बिगड़ जायगी । मैंने ब्रिटेन, अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों से दिये गये उदाहरण सुने हैं किन्तु मैं उन देशों का स्तर नहीं लेना चाहता । यदि हम अपने देश का भी उदाहरण लें तब भी ये १६० बैंक एक महीने के अन्दर बैठ जायेंगे । रक्षित बैंक और केन्द्रीय सरकार को उनके लिये विशेष प्रबन्ध करना होगा ताकि ये बैंक काम कर सकें । रक्षित बैंक और सरकार का यह दृढ़ मत है कि ये बैंक उपयोगी काम करते रहे हैं और त्रावनकोर-कोचीन में उनके काम करने के लिये विशेष उपबन्ध बनाये जाने चाहियें । माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि अन्तिम बैंक पंचाट न्यायाधिकरण ने त्रावनकोर की जांच का सुझाव दिया था और केन्द्रीय सरकार ने उन बैंकों की दशा की जांच करने और उनमें सुधार करने के लिये एक आयोग बनाया है । मेरे विचार से त्रावनकोर-कोचीन के बैंकों का राष्ट्रीयकरण त्रावनकोर-कोचीन के लिये हानिकारक होगा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने जमा राशियों, बैंक कार्यालयों आदि का उल्लेख करते हुए आस्ट्रेलिया, कनाडा, और कुछ पश्चिमी देशों से तुलना की है । कनाडा या आस्ट्रेलिया से तुलना के समय हमें वहां की प्रति व्यक्ति आय और भारत में प्रति व्यक्ति आय भी ध्यान में रखनी चाहिये । उनके बीच अन्तर की उपेक्षा कर तुलना करने से कोई लाभ नहीं ।

सम्भवतः संकल्प के प्रस्तावक या अन्य किसी ने उल्लेख किया है कि केवल ६० स्थानों पर ही बैंक कार्यालय और उनकी शाखायें हैं । किन्तु मैं भारत में बैंकों सम्बन्धी आंकड़ों से बता सकता हूं कि, १६१३ स्थानों पर बैंकों की शाखायें हैं और भारत में बैंक व्यवसाय करने वाले कार्यालयों की कुल संख्या ४,९३८ है । ये आंकड़े १९५४ के सम्बन्ध में हैं । इस सभा में इसका भी समर्थन किया गया था कि उप-नगरीय या ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोले जाने चाहियें । मेरा यह दावा नहीं है कि भारत में बैंक व्यवसाय उतना उन्नत है जितना कि उन्नत होना चाहिये । निश्चय ही हमारी अर्थ व्यवस्था कम-उन्नत और उसी तरह बैंक व्यवसाय भी अधिक उन्नत नहीं है ।

यह तर्क रखा गया है कि भारतीय बैंक कुशलतापूर्वक काम नहीं कर रहे हैं और उनमें कुशलता लाने के लिये हमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये । मैं कहता हूं कि बिना राष्ट्रीयकरण के भी कार्यकुशलता लायी जा सकती है । मैं यह नहीं कहता कि गैर-सरकारी क्षेत्र कार्य कुशलता का नमूना

---

†मूल अंग्रेजी में

है अथवा सरकारी क्षेत्र को अपने आप कार्य कुशलता का आदर्श मान लिया जाये । दोनों ही क्षेत्रों में कार्यकुशलता हो सकती है अन्यथा सरकार दोनों को ही देश में जारी न रखती । मेरे विचार से गैर-सरकारी क्षेत्र भी सरकारी क्षेत्र जैसे ही कार्यकुशलता से काम कर सकता है । उसी तरह सरकारी क्षेत्र में भी कार्यकुशलता के अभाव के उदाहरण मिल सकते हैं । माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि भवन निर्माण कारखाने के संचालन को कुशल नहीं कहा जा सकता ।

बैंकिंग समवाय अधिनियम के अधीन रक्षित बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि वह इन बैंकों का प्रबन्ध कुशल बनाने की ओर ध्यान दे । मैं यह कह सकता हूं कि मई, १९५१ से कोई अनुसूचित बैंक फेल नहीं हुआ है । जब श्री मात्तन बोल रहे थे तब श्री फीरोज गांधी ने पूछा कि क्या उस समय रक्षित बैंक नहीं था । रक्षित बैंक उस समय अवश्य था किन्तु उसे आवश्यक अधिकार नहीं दिया गया था कि वह बैंकों की कार्यकुशलता सुनिश्चित बनाये ।

बैंक समवाय अधिनियम का १९५० तथा १९५३ में संशोधन किया गया तथा रक्षित बैंक को इस बात के सुनिश्चियन के सम्बन्ध में कुछ शक्तियां दी गईं कि बैंक ईमानदारी से तथा उचित ढंग से चलाये जा सकें । बैंक समवाय अधिनियम में कई धारायें अर्थात् धारा ३५, २१ तथा २० आदि हैं जो कि रक्षित बैंक को दूसरे बैंकों पर नियन्त्रण तथा निगरानी रखने के लिये काफी अधिकार देती हैं । मैं एक लम्बी सूची नहीं पढ़ना चाहता हूं परन्तु मैं कह सकता हूं कि जब से रक्षित बैंक को यह शक्ति दी गई तब से वह बकों के कार्य संचालन पर काफी नियन्त्रण रख सका है तथा तब से अधिकांश बैंकों की स्थिति काफी सुधर गई है ।

अब मैं मुख्य बात पर आता हूं । कहा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें बैंकों का राष्ट्रीय-करण करना चाहिये तथा बैंकों के पास पड़े धन को उपयोग में लाना चाहिये । बीमा समवायों के राष्ट्रीयकरण का हवाला दिया गया है । बीमा समवायों तथा बैंकों में भारी अन्तर है । बीमा समवायों का धन दीर्घकालीन विनियोजन है और अभी हाल ही में कुछ मामलों में धन का उचित रूप से उपयोग भी नहीं किया गया था । किन्तु बैंकों के पास जो धन है वह अल्पकालीन विनियोजन है जो कि दीर्घ-कालीन विनियोजन तथा सरकार के विकास कार्यों के लिये उपलब्ध नहीं हो सकता है । फिर मुनाफे का सवाल है । १९५४ में समस्त बैंकों ने २,८२,००,००० रुपये लाभांश के रूप में वितरित किया जिसमें से कि एक करोड़ रुपया केवल इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया का था । इस तरह से सभी बैंकों के शेयरहोल्डरों के लिये १,८२,००,००० रुपया रह जाता है । मेरे विचार में वह कोई बहुत बड़ी राशि नहीं । और भी मेरे विचार में केवल इस लिये कुछ ऐसी बातें करना ठीक नहीं कि इस से सरकार के हाथ में पैसा आ जायगा । उससे सरकार की नामवरी नहीं बढ़ेगी । तो इस बात में कोई तर्क नहीं कि हमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये क्योंकि इससे हमारे हाथ में भारी धन राशि आ जायेगी ।

†**श्री वी० पी० नायर** : हम केवल विनियमन चाहते हैं ।

†**श्री अरुण चन्द गुह** : यह तो पहले ही किया जा रहा है परन्तु यह राष्ट्रीयकरण नहीं है । हमें यह भी याद रखना चाहिये कि बैंकों का ४१ प्रतिशत धन सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित है । और भी इन सभी बैंकों को रक्षित बैंक में कुछ धनराशि विनियोजित करनी पड़ती है । मेरा ख्याल है कि लगभग ५३ करोड़ अथवा ५५ करोड़ रुपया रक्षित बैंक में विनियोजित किया गया है ।

दूसरी बात उधार के उगाहने, नियन्त्रण तथा वितरण के सम्बन्ध में है । उधार के उगाहने तथा नियन्त्रण के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि खुले बाजार की गतिविधियों के अधीन तथा सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर तथा बिल मार्केट स्कीम के अन्तर्गत व्यापार तथा वाणिज्यिक बिलों के आधार पर अनुसूचित बैंकों को अग्रिम धन देने के रूप में रक्षित बैंक को काफी शक्तियां

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अरुण चन्द गुह]

प्राप्त हैं। रक्षित बैंक का उधार उगाहने पर भी काफी नियन्त्रण है। इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप, स्टेट बैंक की शाखाओं का विस्तार करने के परिणामस्वरूप तथा सहकारी संस्थाओं के प्रस्थापित विस्तार के परिणामस्वरूप हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं जोकि बड़ी राशि में उधार का वितरण कर सकेगी।

सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व रक्षित बैंक का राष्ट्रीयकरण किया है; गत वर्ष इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। केवल इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने से सरकार ने वाणिज्यक बैंकों के काम का २२ अथवा २३ प्रतिशत अपने हाथ में लिया है।

हमने कुछ कार्यवाही की है तथा वर्तमान परिस्थितियों में और आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं। कुछ सज्जनों ने उस समिति की सिफारिशों की ओर निर्देश किया है जोकि रक्षित बैंक ने ग्राम्य उधार सर्वेक्षण के लिये नियुक्त की थी। सरकार ने सिद्धान्ततः उन सिफारिशों को अंगीकार किया है। जहां तक राज्यों से सम्बद्ध बैंकों को अपने नियन्त्रण में लेने का सम्बन्ध है, यह मामला विचाराधीन है, तथा हो सकता है कि सरकार शीघ्र ही इस सम्बन्ध में सभा से आवश्यक प्राधिकार के लिये याचना करे।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं श्री फीरोज गांधी द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उन्होंने पूछा कि क्या रक्षित बैंक को पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं। मैं उन्हें एक निश्चित स्वीकारात्मक उत्तर नहीं दे सकता हूं। परन्तु यदि हमारे हाथ में पर्याप्त शक्ति नहीं होगी तो हम इस सभा में संशोधक विधेयक प्रस्तुत करेंगे जिससे कि रक्षित बैंक को अन्य बैंकों पर नियन्त्रण तथा निगरानी रखने के लिये पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हों। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प के माननीय प्रस्तावक से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना संकल्प वापस लें। सरकार समाजवादी ढंग के समाज का निर्माण करने के लिये बचनबद्ध है। उन्होंने इम्पीरियल बैंक को अपने नियन्त्रण में लिया है। इस समय वाणिज्यक बैंकों में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें पूरा विश्वास है कि रिजर्व बैंक प्रभावी रूप से अन्य वाणिज्यक बैंकों के संचालन को अपने नियन्त्रण में रख सकेगा, तथा आगे कोई अनियमतता नहीं होगी, हमें आशा है कि गैर-सरकारी बैंकों का व्यवहार उचित होगा। यदि उनका व्यवहार ठीक न रहेगा तो रक्षित बैंक इन बातों पर ध्यान देगा तथा जरूरी कार्यवाही करेगा।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : माननीय वित्त मंत्री जी ने इस समस्या के प्रति बड़ा अनुदार और गैर-समाजवादी दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी ढांचे के लिये रिजर्व बैंक पर अधिक विनियमन तथा नियन्त्रण के अधिकार रखना पर्याप्त होगा। माननीय मंत्री जी को सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह बात ध्यान में रखनी चाहिये थी कि एक आयोजित अर्थव्यवस्था के लिये वित्त उगाही पूर्णतया राष्ट्रीय नियन्त्रण में हो अथवा इसे निजी हाथों में छोड़ दिया जाये। यह बताना मेरे लिये आवश्यक नहीं है कि निजी व्यवसायिक बैंक अपने कार्यकरण में पूर्णतया असफल रहे हैं। इसके अलावा सैद्धान्तिक रूप से भी हमारी अर्थव्यवस्था के मुख्य सूत्रों को पूर्णतया सरकारी स्तर पर नियंत्रित करना आवश्यक है। बैंकिंग न केवल वित्त उगाही अपितु वित्त वितरण का भी साधन है जहां तक वित्त उगाही का सम्बन्ध है, रिजर्व बैंक का और आंशिक रूप से इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। किन्तु वित्त का वितरण निजी बैंकों पर छोड़ दिया गया है। विकसित अर्थव्यवस्था में वित्त का वितरण वित्त उगाही से अधिक महत्वपूर्ण है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १२०० करोड़ रुपये की वित्त उगाही की जानी है। क्या इतनी वृहत राशि का नियन्त्रण, प्रबन्ध और वितरण विभिन्न व्यवसायिक बैंकों की मनमानी नीतियों पर छोड़ सकते हैं? यदि आप ऐसा करेंगे

†मूल अंग्रेजी में

तो मुद्राफीति का खतरा बढ़ जायेगा । बैंकिंग विधि के अन्तर्गत सरकार को केवल विनियमन के अधिकार प्राप्त हैं और महज इन अधिकारों से वित्त का नियन्त्रण रखना बहुत कठिन है । मैं समझता हूं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से हमारी अर्थ-व्यवस्था मजबूत होगी । बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना अनिवार्य है । यदि इसे स्थगित किया गया तो भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लिये यह बुरी चीज होगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह संकल्प है । इस पर श्री डी० सी० शर्मा का संशोधन भी है । क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसे सभी के मतदान के लिये रखा जाये ?

†**श्री डी० सी० शर्मा** : जी नहीं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संकल्प मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

व्यक्ति की आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :

"इस सभा की यह राय है कि सरकार को प्रत्येक व्यक्ति की आय की अधिकतम सीमा निश्चित करने के लिये शीघ्र ही उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिये ।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की आवश्यकता है कि इस देश में——

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अगली बार अपना भाषण जारी रखें ।

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा २१ अप्रैल, १९५६ को पारित वित्त विधेयक के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में आधे घण्टे की चर्चा

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब डा० लंकासुन्दरम् ११ अप्रैल, १९५६ को श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३६८ के उत्तर से उत्पन्न कुछ बातों पर आधे घण्टे की चर्चा उठायेंगे ।

†**डा० लंका सुन्दरम्** (विशाखापटनम्) : यह चर्चा मैं सभा का ध्यान इस मास ११ तारीख को श्रम मंत्री तथा श्रम उपमंत्री द्वारा दिये गये बहुत असंतोषजनक उत्तरों की ओर आकर्षित करने के लिये उठाना चाहता हूं । उनके उत्तरों से न केवल सम्बन्धित अधिनियम के विषय में भ्रांति पैदा हुई है, वरन् श्रमजीवी पत्रकारों के हितों को बहुत हानि पहुंची है ।

सर्वप्रथम, उपमंत्री जी ने कहा था कि वेतन बोर्ड बनाने के बाद भी वेतन के इस प्रश्न को तय करने में छः मास या अधिक लग सकते हैं । अधिनियम २० दिसम्बर, १९५५ को पास हुआ था । चार मास और एक सप्ताह गुजर चुके हैं । दूसरे शब्दों में इसका यह अर्थ है कि उक्त अधिनियम के वेतन सम्बन्धी तथा अन्य उपबन्धों को लागू करते-करते एक वर्ष हो जायेगा ।

दूसरी चीज जो उत्तर से विदित होती है यह है कि सरकार का अन्तःकालीन वेतनों को लागू करने का कोई इरादा नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० लंका सुन्दरम्]

तीसरे, मंत्री जी से यह पूछे जाने पर कि निर्णय होने पर क्या उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जायेगा, मंत्री जी ने कहा कि वह वचन नहीं दे सकते।

चौथे, श्री खंडूभाई ने कहा कि अधिनियमों के उपबन्धों को लागू न किये जाने के परिणामस्वरूप श्रमजीवी पत्रकारों को हुई कोई कठिनाइयों से वे अवगत नहीं हैं।

सदन को स्मरण होगा कि जब यह अधिनियम पास किया जा रहा था तो सदन के सभी पक्षों में इसके उपबन्धों के सम्बन्ध में मतैक्य था और इसे इतना शीघ्र पास कर दिया गया था जिसकी तुलना किसी भी अन्य विधेयक के सम्बन्ध में नहीं मिलती। दूसरे शब्दों में, दोनों सदन इस सिद्धान्त पर वचनबद्ध थे कि श्रमजीवी पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिये तत्काल ही कुछ किया जाना चाहिये। लेकिन माननीय मंत्री जी ने ११ तारीख को सदन में जो कुछ कहा उसके अनुसार इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में एक वर्ष से अधिक लग जायेगा। इसका अर्थ यह है कि सरकार ने संसद् की मंशा के अनुसार काम नहीं किया है।

यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा। यह विधेयक सूचना तथा प्रसारण मंत्री, डा० केसकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था और बाद में इसे श्रम मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया गया। सूचना तथा प्रसारण मंत्री और भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के मध्य हुई बातचीत के परिणामस्वरूप अन्तः-कालीन वेतन के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ था। डा० केसकर यहां मौजूद नहीं हैं और मुझे आशा है कि श्रम मंत्री यह बतायेंगे कि इस प्रकार का समझौता हुआ या नहीं जिसके परिणामस्वरूप कि विधेयक में बीच ही में राज्य सभा में परिवर्तन किया गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जब श्रम मंत्रालय द्वारा यह कहा जाता है कि अंतरिम वेतनों के निर्धारण के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हुआ था, तो मुझे कहना पड़ता है कि यह संसद् को दिये गये वचन का भंग करना है।

दूसरी चीज नियम बनाने के सम्बन्ध में है। सदन देखेगा कि मंत्री जी इस बात का उत्तर नहीं दे सके कि कब तक ये नियम बना लिये जायेंगे। जिन सिद्धान्तों पर यह अधिनियम बनाया गया उनके अन्तर्गत समुचित समय में नियम न बनने के कारण नुकसान हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा।

अधिनियम के अन्तर्गत बहुत-सी बातों जैसे आकस्मिक अवकाश, छुट्टियां, डाक्टरी छुट्टियों का ब्योरा, काम के घण्टे इत्यादि को नियमों द्वारा विनियमित करने के लिये छोड़ दिया गया है। किन्तु उन नियमों के न बनाये जाने के कारण श्रमजीवी पत्रकारों को अब पहले से भी अधिक समय के लिये काम करने को मजबूर किया जा रहा है।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह विधेयक लाया गया। वेतन बोर्ड बनाने का जिम्मा श्रम मंत्रालय ने ले लिया। अब विधि मंत्रालय के बीच में आने से एक बहुत असाधारण और अविश्वसनीय परिस्थिति पैदा हो गयी है। अधिनियम की धारा २ (च) में दी गयी परिभाषा के अनुसार सम्पादक, अग्रलेख लेखक, समाचार सम्पादक, उप-सम्पादक, फीचर लेखक, कापी टेस्टर, संवाददाता, व्यंग चित्रकार, समाचार फोटोग्राफर और प्रूफरीडर ये सब "श्रमजीवी पत्रकार" के अर्थ में आते हैं और उसमें सम्मिलित हैं। जब यह धारा विधि मंत्रालय के पास स्पष्टीकरण के लिये भेजी गयी तो उसने इसका बहुत बढ़िया स्पष्टीकरण किया। जबकि अधिनियम में स्पष्ट रूप से उपबन्धित है कि उपर्युक्त श्रेणियां "श्रमजीवी पत्रकार" में सम्मिलित हैं, विधि मंत्रालय ने व्याख्या की कि वे सम्मिलित नहीं हैं। यह बहुत ही अविश्वसनीय व्याख्या है। मुझे आशा है कि इस चर्चा के परिणामस्वरूप माननीय मंत्री स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

कृपया याद रखिये कि श्रमजीवी पत्रकारों के पास इस स्थिति के अन्य निदान मौजूद हैं। वे न्यायालय में मामला ले जाकर त्राण प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु उन्होंने अभी ऐसा किया नहीं है। मुझे आशा है कि ऐसा करने के लिये उन्हें मजबूर नहीं किया जायेगा।

आधे घंटे की चर्चा

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : मैंने डा० लंकासुन्दरम् को ध्यानपूर्वक सुना । इस समय सूचना और प्रसारण मंत्री यहां मौजूद हैं और मुझे आशा है कि वह इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करेंगे कि शब्द "प्रूफरीडर" को "श्रमजीवी पत्रकार" की परिभाषा में कैसे रखा गया । अब चूंकि वह जाने वाले हैं, इसलिये मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें एक-दो मिनट इस पर प्रकाश डालने की अनुमति दी जाये और तत्पश्चात् मैं अन्य बातों को लूंगा ।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : चूंकि इसका उत्तर देना श्रम मंत्री का कार्य है, अतः मैं बीच में न बोलता किन्तु मैं केवल यह कहना चाहता था कि वहां पर प्रूफरीडर (ईक्ष्य-वाचक) शब्द कैसे आया और उसका अभिप्राय क्या है ? यहां पर जो कुछ कहा गया है, मैं उस पर टीका-टिप्पणी नहीं कर रहा हूं ।

जब विधेयक का प्रारूप प्रारम्भ में बनाया गया था तो श्रमजीवी पत्रकारों की सूची में सम्पादक, समाचार सम्पादक आदि के साथ प्रूफरीडर को सम्मिलित नहीं किया गया था । श्रमजीवी पत्र-कारों का एक प्रतिनिधि मण्डल मुझ से मिला और उसने बताया कि कुछ छोटे पत्रों में एक ही व्यक्ति उप-सम्पादन कार्य, प्रूफ संशोधन और अन्य कार्य करता है । मुझ से कहा गया कि ऐसे व्यक्तियों को केवल इस कारण ही, कि वे अन्य काम करते हैं, अलग रखना न्याय नहीं होगा । उनसे चर्चा करने के बाद हमने यह अनुभव किया कि ऐसे व्यक्तियों को जो मुख्यतया पत्रकार हैं और मुख्यतया प्रूफरीडर नहीं हैं, अलग रखना उनके साथ अन्याय करना होगा । उनसे चर्चा करने के पश्चात् ही प्रूफरीडरों को सम्मिलित किया गया है ।

एक बात मुझे और कहनी है । परिभाषा इस अर्थ में बड़ी स्पष्ट है कि वह व्यक्ति सम्मिलित किया जा सकता है जिसका मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता हो चाहे वह कुछ और काम भी करता हो । कोई व्यक्ति विशेष इस में सम्मिलित किया जा सकता है अथवा नहीं यह एक विशिष्ट मामला होगा जिस के बारे में मैं यहां कोई राय नहीं दे सकूंगा । इसका निर्णय उसके गुण-दोष के अनुसार ही किया जायेगा । किन्तु जहां तक इस शब्द को सम्मिलित करने के इतिहास का सम्बन्ध है, मुझे भय है कि मुझे यह कहना होगा कि जब तक प्रूफरीडर का मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता है, तब तक उसे इस में सम्मिलित करना कठिन है । मैं यह नहीं कहता कि प्रूफरीडरों को सम्मिलित नहीं करना चाहिये । यह एक बिल्कुल भिन्न बात है । किन्तु जैसा कि आज है उसका यह इतिहास है कि यह शब्द किस प्रकार सम्मिलित किया गया ।

श्रम मंत्री अन्य बातों पर बोलेंगे ।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : माननीय मंत्री और फडरेशन की वार्ता के बारे में क्या हुआ है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह तो अधिनियम का निर्वचन है । वह अभी उसकी व्याख्या करना चाहते थे ।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : इस छोटे से वाद-विवाद में तीन बातें उठाई गई हैं ।

†**एक माननीय सदस्य** : चार ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कुछ माननीय सदस्य प्रश्न भी पूछना चाहते हैं, अतः मंत्री को भी बहुत संक्षेप में बोलना होगा ।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : एक बात तो यह है कि नियम नहीं बनाये गये हैं और इससे श्रमजीवी पत्रकारों के मार्ग में कठिनाई उपस्थित होती है । वास्तव में अधिनियम के कार्य-संचालन के लिये नियमों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खंडूभाई देसाई]

का होना नितांत अनिवार्य नहीं है। अधिनियम २० दिसम्बर से लागू हो गया है। यदि कोई कठिनाई थी तो उन्हें राज्य सरकारों के पास जाना चाहिये था जो विधि प्रशासन के प्रभारी हैं।

छुट्टियों, अर्जित अवकाश, डाक्टरी प्रमाणपत्र पर अवकाश, आकस्मिक अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश जो श्रमजीवी पत्रकारों को मिल सकता है, के बारे में कुछ नियम बनाने हैं। इन सब श्रेणियों में अब भी प्रत्येक प्रतिष्ठान में कुछ ऐसी स्थितियां विद्यमान हैं जिन्हें जब तक अन्तिम रूप से तय न कर लिया जाये, उन्हें चलाते रहना है। नियमों का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि उनका प्रारूप शीघ्र ही तैयार हो जायेगा। हम इन नियमों के सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्षों से परामर्श करने का विचार करते हैं। मैं तो समझता था कि सत्र समाप्त होने के पूर्व नियमों को लोक-सभा पटल पर रख सकना सम्भव नहीं होगा। किन्तु अब मैं समझता हूं कि सत्र और लम्बा होगा और मैं आशा करता हूं कि सत्रावसान से पूर्व मैं नियमों को सभा-पटल पर रख सकूंगा।

दूसरी बात मजूरी बोर्ड के बारे में उठाई गई है। अधिनियम के अनुसार दोनों सम्बन्धित प्रतिनिधियों को बुलाकर मजूरी बोर्ड का गठन करना है। सभापति को रखने का निश्चय करने से पूर्व इस में कुछ समय लगा था। हमने एक व्यक्ति को सभापति बनाने का निश्चय किया था किन्तु बाद में उसने कहा कि वह कार्य नहीं कर सकेगा। हम अभी बोर्ड का सभापति नहीं बना सके हैं। तत्पश्चात् हमने प्रतिनिधियों के नाम भेजने के लिये विभिन्न संस्थाओं को लिखा था। हमें नाम मिल गये हैं किन्तु मजूरी बोर्ड में उन्हें सम्मिलित करने से पहले हमें उनकी सम्मति ले लेनी चाहिये। कल शाम तक हमें बोर्ड में नियुक्त करने के लिये उन सभी छः सदस्यों की सम्मति मिल गई है और मैं आशा करता हूं कि अगले सप्ताह के आरम्भ में बोर्ड की रचना की घोषणा कर सकूंगा।

जहां तक श्रमजीवी पत्रकारों को स्वीकृत अन्तिम मजूरी क्रम का सम्बन्ध है, वह पहले से ही संविधि में दिया हुआ है। सरकार एक अधिसूचना जारी कर सकती है जिसके द्वारा अन्तिम मजूरी क्रम दिया जा सकता है, किन्तु ऐसा मजूरी बोर्ड के परामर्श से किया जायेगा। अतः जब तक कि मजूरी बोर्ड नहीं बन जाता, सरकार क्यों किसी से परामर्श करने और एसी अधिसूचना जारी करने लगी ? बोर्ड शीघ्र ही बनने जा रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधि होंग। वह सारे प्रश्नों पर विचार करेगा। यदि श्रम प्रतिनिधि अथवा बोर्ड के श्रमजीवी पत्रकार इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि अन्तिम मजूरी निर्धारित करने में काफी समय लगेगा, तो वे सरकार से सिफारिश कर सकते हैं और सरकार उनकी सिफारिशों को उचित महत्व देगी।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : उनके कनिष्ठ सहयोगी ने कहा कि बोर्ड बन जाने के बाद छः मास या अधिक समय लगेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सम्भवतः ज्येष्ठ सहयोगी द्वारा बाद में दिया गया वक्तव्य सही माना जायेगा।

†**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : मैं समझता हूं कि यह आपका विनिर्णय नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : विनिर्णय का प्रश्न नहीं है।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : प्रूफरीडरों के सम्बन्ध में, मेरे साथी, डा० केसकर ने बताया कि किन परिस्थितियों में प्रूफरीडरों को श्रमजीवी पत्रकारों में सम्मिलित किया गया था। पहले यह विधेयक जब सभा में रखा गया था, प्रूफरीडर इस में सम्मिलित नहीं किये गये थे। किन्तु इस सभा के सदस्यों ने यह बात कही थी कि नियोजक श्रमजीवी पत्रकार को काम में लगा लेगा और उसे प्रूफरीडर का पद देगा। अतएव प्रूफरीडर को सम्मिलित कर लिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

किन्तु तथ्य यह है कि जो व्यक्ति काम में लगाया जाये, वह प्रमुख रूप से श्रमजीवी पत्रकार हो। विधि का अभिप्राय यही है। किन्तु जैसा कि डा० लंका सुन्दरम् ने कहा है, यदि इस में कुछ सन्देह हो, तो यह मामला न्यायालय में भेजा जा सकता है और निर्णय प्राप्त किया जा सकता है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि कुछ लोगों के साथ कठोर व्यवहार किया गया है। मैं श्रमजीवी पत्रकारों से विधि पढ़ने का निवेदन करूंगा। इसके उपचार संविधि में दिये हुए हैं।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : इसके लिये धन कहां से आयेगा ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : यदि विधि के उल्लंघन की आशा की जाती है, तो पत्रकारों के, लिये दो उपचार रह जाते हैं। यदि उपदान नहीं दिया जाता, यदि प्रतिकर नहीं दिया जाता अथवा किसी को प्रतिकर दिये बिना भेज दिया जाता है, तो कर्मचारी द्वारा आवेदन दिये जाने पर मामला सीधे राज्य सरकार के पास भेजा जा सकता है। सरकार प्रतिकर वसूल करने के लिये उस मामले को क्लेक्टर के पास भूमि राजस्व की अवशिष्ट राशि के रूप में जमा करने के लिये भेज सकती है। कम से कम यह बात मुझे नहीं बताई गई कि इन में से किसी उपबन्ध के अधीन किसी पत्रकार के मामले का निर्णय किया गया है जिस के द्वारा उसे कोई प्रतिकर उपदान या इस प्रकार की कोई और चीज नहीं दी गई है, जो उसे इस विधि के अधीन मिलनी चाहिये थी।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : निर्वाचन के समीप आने के कारण राजनीतिक नेताओं और प्रेस मालिकों में बुरा गठबन्धन बढ़ता जा रहा है और श्रमजीवी पत्रकारों को धमकियां दी जा रही हैं। मैं पूछना चाहता था कि सूचना और प्रसारण मंत्री ने प्रूफरीडरों के बारे में जो निर्वचन दिया है, क्या वह न्यायालय में भी माना जायेगा ? यह निर्वचन सर्वथा गलत है।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : हम विधि मंत्री का निर्वचन लेते हैं जो हमारा विधि सम्बन्धी परामर्शदाता है और वही हमारा निर्वचन होता है। यदि किसी को उसके बारे में मतभेद है, तो न्यायालय उसका निर्णय करता है।

†**श्री कामत** : मालिक इस आधार पर अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करते कि नियम नहीं बनाये गये हैं, मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि विलम्ब क्यों किया जा रहा है, परन्तु उन्होंने यह प्रश्न टाल दिया। पुनः पुनः आग्रह करने पर उन्होंने कहा कि इस सत्र में नियम प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि हमने १९५१ में वृहत निर्वाचन विधि पारित की थी और सितम्बर तक नियम तैयार होकर सभा-पटल पर रखे गये थे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब तो मंत्री महोदय ने इसी सत्र में लाने का वचन दे दिया है।

†**श्री कामत** : धारा १३ में श्रमजीवी पत्रकारों के अन्तरिम वेतन निर्धारण करने का उपबन्ध किया गया है और सूचना और प्रसारण मंत्री तथा श्रमजीवी पत्रकारों के फेडरेशन के बीच इस विषय पर एक समझौता किया गया था। उसे क्यों कार्यान्वित नहीं किया जाता ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : मैं कह चुका हूं कि धारा १३ में इस का उपबन्ध है। वेतन बोर्ड होना चाहिये। आवश्यकतानुसार हम निश्चय ही वेतन बोर्ड के परामर्श के साथ अन्तरिम वेतनक्रम अधिसूचित करेंगे।

†**श्री सी० आर० नरसिंहन** (कृष्णगिरि) : क्या वह इस तनाव को बढ़ने न देते हुए, पत्रकारों, मालिकों और सरकार का त्रिदलीय सम्मेलन बुलाना उचित नहीं समझते, ताकि सबके लाभ के लिये कोई समझौता किया जा सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री खंडूभाई देसाई** : ऐसा कोई तनाव नहीं है। एक सप्ताह के लगभग दोनों दलों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन होगा और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसके सभापति होंगे। यदि वहां कोई चीज हुई जिसकी चर्चा की जा सके और यदि वहां किसी प्रकार का समझौता हो सका तो हम अत्यन्त प्रसन्न होंगे। यदि वे विधि की कार्यान्विति के सम्बन्ध में कुछ निश्चय या निर्णय कर सकें, तो हमें प्रसन्नता होगी। वे प्रायः प्रतिदिन परस्पर मिलेंगे।

†**श्री सी० के० नायर** (बाह्य दिल्ली) : हम कर्मचारियों के लिये जितनी अधिक विधियां पारित करते हैं, मालिकों के दिलों में उतना ही मनोमालिन्य बढ़ता है और न केवल प्रेस अपितु सब उद्योगों के काम में गड़बड़ी होती है। मंत्रालय को मालिकों और कर्मचारियों के बीच उत्तम सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिये।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : वेतन बोर्ड की नियुक्ति में विलम्ब होने के कारण मालिकों ने अपने लेखाओं में हेरफेर करना आरम्भ कर दिया है। इसके लिये मंत्री क्या कार्रवाई कर रहे हैं ?

दूसरे, क्या प्रूफरीडरों के वेतन का मामला भी वेतन बोर्ड को सौंपा जायेगा ? तीसरे, क्या सरकार मजूरी बोर्ड द्वारा अन्तिम निर्णय किये जाने तक अन्तरिम मजूरी देने का विचार कर रही है ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : मैं पिछले दो प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं। पहले प्रश्न के बारे में अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं मिली कि क्या मालिक लेखाओं में हेरफेर करने लगे हैं। यदि वे हेरफेर भी कर रहे हैं, तो भी अपने हितों की देखभाल के लिये कर्मचारियों के प्रतिनिधि वहां हैं।

†**श्री डी० सी० शर्मा** (होशियारपुर) : जब समाचारपत्रों में कठिनाई और कष्ट के कई मामले प्रकाशित हो चुके हैं, तब मंत्री महोदय को उनकी सूचना क्यों नहीं मिली ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : यदि इस विधि के संचालन से कोई कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं, तो श्रमजीवी पत्रकार काफी समझदार हैं, और वे उनका इलाज जानते हैं। यदि उन्हें कोई कठिनाई है तो वे सीधे राज्य सरकार से शिकायत कर सकते हैं। यदि कोई कठिनाई हो, तो वे उसे दूर करने के लिये बहुत समर्थ हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६]

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र २७९७

ऐसे कुछ विवरणों की एक-एक प्रति, जिनमें अनुदानों की मांगों (रेलवे) १९५६-५७ के बारे में सदस्यों से प्राप्त हुये कुछ ज्ञापनों के उत्तर हैं, सभा पटल पर रखी गई ।

सदस्य की नजरबन्दी ... २७९७

अध्यक्ष ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें कलकत्ता के मुख्य प्रेसीडेंसी दण्डाधिकारी से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि २३ अप्रैल, १९५६ को विलय-विरोधी प्रदर्शनों के सम्बन्ध में श्री तुषार चटर्जी को प्रेसीडेंसी जेल, अलीपुर, कलकत्ता में नजरबन्द कर दिया गया है ।

याचिका का उपस्थापन २७९७

डा० रामा राव ने हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, १९५५ के सम्बन्ध में एक याचिका, जिस पर तीन हज़ार एक सौ सताईस लोगों के हस्ताक्षर थे, उपस्थापित की ।

संयुक्त समिति को विधेयक सौंपने का प्रस्ताव ... २७९८–२८२१

संयुक्त समिति को संविधान (नवां संशोधन) विधेयक सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर विचार २८२१–३०

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत २८३१

इक्यावनवां प्रतिवेदन स्वीकृत

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प अस्वीकृत २८३१

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी के संकल्प पर चर्चा समाप्त हुई । संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प विचाराधीन २८४७

श्री विभूति मिश्र ने अधिकतम व्यक्तिगत आय के बारे में एक संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

पृष्ठ

राज्य सभा से संदेश २८४७

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त यह सन्देश बताया कि राज्य सभा को वित्त विधेयक १९५६ के बारे में, जो लोक-सभा ने २१ अप्रैल, १९५६ को पारित किया था, कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

आधे घण्टे की चर्चा २८४७–५२

डा० लंका सुन्दरम् ने श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में ११ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १३६८ के दिये गये उत्तरों से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घण्टे की चर्चा उठाई ।

सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६ के लिये कार्यावलि—

सरकार की औद्योगिक नीति पर वक्तव्य तथा राज्य सभा द्वारा पारित रूप में हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक पर और आगे विचार ।

MGIPF—190—125LSD—12-12-57